

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XXI, Ninth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 19, Tuesday, December 20, 2011/Agrahayana 29, 1933 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 361 to 368	2-49
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 369 to 380	50-97
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	99-504

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member

PAPERS LAID ON THE TABLE	505-518
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	519
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	520
REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY DELEGATION AT THE 124TH ASSEMBLY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)	520
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 12th and 13th Reports	521
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY 26th Report	521
STANDING COMMITTEE ON LABOUR Reports	522
STATEMENTS BY MINISTERS	523-526
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 11 th and 12 th Reports of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2011-12) and New Railway Recruitement Policy, respectively, pertaining to the Ministry of Railways	
Shri K.H. Muniyappa	523
(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 9 th , 10 th and 14 th Reports of the Standing Committee on Energy on 'Funding of Power Projects', 'Availability of Gas and Coal for Power Sector'; and 'Transmission and Distribution Systems and Networks' respectively, pertaining to the Ministry of Power	
Shri K.C. Venugopal	524
(iii) Court hearing in a Russian city on the Bhagavad Gita	526, 532
Shri S.M. Krishna	

MOTION RE: THIRTY-SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	527
GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED	528-529
(i) RIGHT OF CITIZENS FOR TIME BOUND DELIVERY OF GOODS AND SERVICES AND REDRESSAL OF THEIR GRIEVANCES BILL, 2011	528
(ii) REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY BILL, 2011	529
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	538-552
Need to take adequate safety measures to protect the live of Safai Karamcharis (sewar cleaners) and provide health insurance cover to them	
Shri Arjun Ram Meghwal	538, 540-547
Shri Mukul Wasnik	538-539, 548-552
Shri Shailendra Kumar	547-548
MATTERS UNDER RULE 377	559-578
(i) Need to formulate new mass rapid public transport schemes for North East Delhi Parliamentary Constituency	
Shri Jai Prakash Agarwal	559
(ii) Need to provide pension to ex-servicemen who left their jobs due to compelling domestic circumstances or in compliance with Government orders before the mandatory period of service to earn pensionary benefits	
Shri K. Sudhakaran	560
(iii) Need to formulate a comprehensive plan to provide better rail, road and air connectivity to Buddhist tourist places in Uttar Pradesh and Bihar	
Shri Harsh Vardhan	561

- (iv) Need to renew the licences for Japanese Quail Farming in the country
Shri S.S. Ramasubbu 562-563
- (v) Need to address the problems of Non-Resident Indians and People of Indian Origin by Indian missions abroad in a prompt manner
Shri Anto Antony 563
- (vi) Need to undertake gauge conversion work of railway line from Mavli Junction to Marwar Junction in Rajasthan under North Western Railway Zone
Shri Gopal Singh Shekhawat 564
- (vii) Need to provide stoppages of Kolhapur-Nagpur Express, Bhusawal-Nizamuddin-Gondawana Express and Tirupati Express at Murtizapur Railway Station in Akola Parliamentary Constituency, Maharashtra
Shri Sanjay Dhotre 565
- (viii) Need to bring a constitutional amendment in view of 'Dhaka Agreement 2011' regarding handing over of certain Indian territories to Bangladesh
Shri Ramen Deka 566
- (ix) Need to develop Jabalpur in Madhya Pradesh as a tourist place of national importance
Shri Rakesh Singh 567
- (x) Need to run Lok Manya Tilak Express daily between Faizabad and Mumbai and provide its stoppage at Mandiyahu Railway Station in Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Tufani Saroj 568

- (xi) Need to undertake repair and renovation of historical buildings in Fatehpur Sikri and Tajganj in Uttar Pradesh
- Shrimati Seema Upadhyay
- 569
- (xii) Need to undertake renovation of Sabaiya airport in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar and operate domestic flights from the airport.
- Shri Purnmasi Ram
- 570
- (xiii) Need to release water from Neyyar Dam in Kerala for farmers in the Kanyakumari district of Tamil Nadu
- Shrimati J. Helen Davidson
- 571-572
- (xiv) Need to convert N.H. 220 from Nanded to Aurangabad in Maharashtra into four lane.
- Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar
- 573
- (xv) Need to provide honorarium to teachers working under UIDAI Project and Census 2011
- Dr. Sanjeev Ganesh Naik
- 574
- (xvi) Need to evolve a new mechanism for fixation of Minimum Support Price for the betterment of farmers
- Shri Jayant Chaudhary
- 575
- (xvii) Need to expedite the work of various railway projects under South Eastern Railways
- Shri Prabodh Panda
- 576
- (xviii) Need to increase the Minimum Support Price (MSP) of paddy in Andhra Pradesh
- Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy
- 577-578

(i) PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA) AMENDMENT BILL, 2011	579-655
Motion to Consider	578
Shri Choudhury Mohan Jatua	579-581 645-650
Shri Pralhad Joshi	582-589
Chaudhary Lal Singh	590-594
Shri Shailendra Kumar	595-597
Shri Vijay Bahadur Singh	598-600
Shri Vishwa Mohan Kumar	601-603
Dr. Ratna De	604-605
Sk. Saidul Haque	606-609
Shri Tathagata Satpathy	610-614
Shri M. Anandam	615-617
Shri Prabodh Panda	618-619
Shri R. Thamaraiselvan	620-622
Shrimati Sumitra Mahajan	623-625
Shri Sanjay Nirupam	626-629
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	630-632
Shri Narahari Mahato	633-634
Shri Mohammed E.T. Basheer	635-636
Shri Prasanta Kumar Majumdar	637-638
Dr. Tarun Mandal	639-640
Shri Ramkishun	641
Shri Bishnu Pada Ray	642
Shrimati Ambika Soni	643-644, 652-654
Clauses 2 to 4 and 1	655
Motion to pass	655

REGULATION OF FACTOR (ASSIGNMENT OF RECEIVABLES) BILL, 2011 656-574

Motion to Consider	656
Shri Namu Narain Meena	656-657
Shri Uday Singh	657-664
Shri Harish Chaudhary	665-669
Shri Shailendra Kumar	670-671
Shri Gorakhnath Pandey	672-673
Shri Mahendra Kumar Roy	674

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	683
Member-wise Index to Unstarred Questions	684-688

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	689
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	690

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, December 20, 2011/Agrahayana 29, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या-361, कुमारी मीनाक्षी नटराजन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैनर नीचे रखिए, नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : मेरे संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा ...(व्यवधान) मानव दुर्व्यापार के मामले ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Keep the banner down.

... (Interruptions)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : खासतौर पर बालिकाओं के लिए सामने आए हैं ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : ऐसे में उनके संरक्षण के लिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैनर नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : उन समुदायों का उन प्रथाओं से उनके उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से क्या कार्रवाई की जा रही है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैनर नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। ...(व्यवधान)

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हाँ अब आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ... **

(Q. No. 361)

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा बालिकाओं के अपहरण, मानव तस्करी और दुर्व्यापार के मामले सामने आए हैं। ...(व्यवधान) ऐसे में उन समुदायों को इन प्रथाओं से उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिल कर क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे सुधार के कदम उठाने के बारे में केंद्र सरकार ने क्या फैसला किया है? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please repeat your question.

... *(Interruptions)*

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर में एक समुदाय विशेष द्वारा खास तौर पर बालिकाओं की मानव तस्करी, अपहरण और दुर्व्यवहार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में इन समुदायों को इन प्रथाओं से मुक्त करने के लिए, उन्मूलन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और उसके सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निर्देशित किया गया है? ...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, as far as the cases registered for total crimes committed under human trafficking in Madhya Pradesh are concerned, there were 30 incidents in 2008, 22 cases were registered in 2009 and 44 cases were registered in 2010. ... *(Interruptions)* As far as the Government of India is concerned, we release funds to the States for establishment of Anti Human Trafficking Units. We have issued Advisories. ... *(Interruptions)* We have issued three Advisories on 4th of September, 2009, 9th of September, 2009 and 14th of July, 2010.... *(Interruptions)*

As far as Madhya Pradesh is concerned, we have released Rs. 60,64,000. ... *(Interruptions)* They had to set up 8 Anti Human Trafficking Units, and they have set up the 8 Anti Human Trafficking Units.... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि मानव तस्करी से जिन बच्चों को बचाया जाता है उनके संरक्षण के लिए, उनके रीहैबिलिटेशन के लिए और उनकी निगरानी के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ जो दण्डात्मक कार्रवाई होनी चाहिए उसकी निगरानी कैसे की जाती है?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, as far as our Advisories are concerned, our Advisories are very clear that they have to increase the number of beat constables;... *(Interruptions)* increase the number of police help booths and kiosks, especially in remote and lonely stretches;... *(Interruptions)* increase police patrolling during nights; posting police officers, especially women, fully equipped with infrastructure; identify children at risk;... *(Interruptions)* report instances of children in need of protection to relevant child protection agencies; carry out checks on sponsors and people who claim to be the relatives of children identified as being at risk of trafficking; and participate in local child protection networks with related organisations including NGOs.... *(Interruptions)*

The Ministry of Women & Child Development has a comprehensive Scheme for prevention of trafficking, rescue, rehabilitation, reintegration and repatriation of the victims.... *(Interruptions)* The Scheme is called “Ujjawala” and has been launched by the Ministry of Women and Child Development on 04/12/2007. ... *(Interruptions)*

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Madam Speaker, thank you. ... *(Interruptions)* I thank the hon. Minister for his detailed reply. We all know that woman is worshipped in this country as Goddess. It is unfortunate that we are discussing about the human trafficking in this House. ... *(Interruptions)*

As we all know, the problem of trafficking of women and children for the purpose of sexual exploitation has assumed alarming proportions in recent years.... *(Interruptions)*

I thank the hon. Minister for adopting a multi-pronged approach to combat human trafficking and issued advisory to the States to deal with this menace. Even after rescuing them, how many women have been rehabilitated and provided

skilled training for becoming economically independent so that they do not go back to the same profession.... (*Interruptions*)

I also thank the hon. Minister for sanctioning a comprehensive scheme for setting up 335 Integrated Anti-Human Trafficking Units and funds for the same have been released.... (*Interruptions*) So far, how many State Governments have set up these Units and how many have not? Will the hon. Minister consider setting up an agency like the CBI in all the States to deal with this menace?... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam Speaker, the information regarding the rehabilitation of women is not available centrally.... (*Interruptions*) We have the information about the number of cases registered; number of cases charge-sheeted; number of persons who were arrested; number of persons chargesheeted; and the number of persons convicted.... (*Interruptions*) The number of women rehabilitated will be available with the respective State Governments.... (*Interruptions*)

As regards setting up of AHTUs against the target of 115, against which a sum of Rs. 8,71,70,000 is being released. The State Governments have set up 101 AHTUs.... (*Interruptions*)

(Q. No. 362)

SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, the Commission that went into the 9/11 attacks found that one of the major problems in the US security establishment was that the agencies which were tasked with the responsibility of national security were not talking to each other. ... *(Interruptions)*


Post 26/11, while the Government has created the Multi Agency Centre, there is a difference between tactical intelligence and strategic intelligence.... *(Interruptions)* What I want to ask the hon. Minister is that what steps and measures have been taken by the Government to ensure strategic coordination between the various agencies which have been tasked with the responsibility of national security?... *(Interruptions)*

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, this is an important question and I think we need to address it seriously.... *(Interruptions)*

As far as the strategic coordination is concerned, that coordination is provided at one level by the Multi-Agency Centre; at the higher level by the National Security Council Secretariat; and at the political level by the National Security Council and the Cabinet Committee on Security.... *(Interruptions)*

Matters that are dealt with at the level of the Cabinet Committee on Security, matters that are dealt with at the level of the National Security Council are matters relating to strategy. In my view, there is adequate coordination among the various organs of the Governments.... *(Interruptions)*

SHRI MANISH TEWARI : Madam Speaker, various newspapers over the last one week have reported that the Ministry of Home Affairs has issued a notification whereby the RAW (Research and Analysis Wing) has been given the authority to intercept telecommunications and electronic data emanating out of India.

I would like to ask the Minister  that whether these reports are correct; and b) if these reports are correct, is it not a transgression of the Charter of the RAW because the Charter very clearly talks about an external responsibility and totally

precludes the RAW from any activity within India, specifically with regard to interception of conversation or electronic material of Indian citizens...

(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, the question really does not arise out of the main Question. Nevertheless, I would like to say that the R&AW has been added as one more organization, which is authorized to intercept, but the intercepts are limited to the mandate of R&AW; and we are fully satisfied that in authorizing a limited class of interception, R&AW will be acting strictly within its mandate and it will not exceed its mandate... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Shri Sanjay Dina Patil.

... *(Interruptions)*

SHRI SANJAY DINA PATIL : Madam, I would like to ask the hon. Minister that in 2009 he had promised to set up the NCDC. Even after three years of 26/11 incident, there is no progress. Then, how can India pro-actively prevent terrorist attacks? What further necessary steps is the Government going to take?...

(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The NCTC is a very crucial organization. A decision on the NCTC cannot be taken in haste. But I am glad to report that the final note for getting the approval of the Cabinet Committee on Security for setting up the NCTC is now before the CCS; and I sincerely hope that the decision will be taken before the end of this calendar year.

MADAM SPEAKER: Question No. 363, Shri Manohar Tirkey: Not Present.
Shri Prasanta Kumar Majumdar.

... (*Interruptions*)

11.13 hrs.

*At this stage, Shri K. Sugumar and some other hon. Members
came and stood on the floor near the Table*

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, what is this? Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Majumdar
says.

(*Interruptions*) ...*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

11.14 hrs.

*At this stage, Shri K. Sugumar and some other hon. Members
went back to their seats*

* Not recorded

(Q. No. 363)

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : Madam, now there is 26 per cent FDI in publications of news magazines. The Ministry had ordered to fill all the posts of senior executives and journalists from the Indian origin only. But even after all this, is the Ministry aware that the foreign media is influencing the Indian market by propagating their respective countries' interest and profit specially through the business and financial magazines resulting in wrong investment by our own people.

MADAM SPEAKER: Please ask your Supplementary.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : In such a situation, how would the Ministry tackle this problem?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, the basic stricture of the Print Media Policy of the Government comes from the Cabinet decision of 1955, which had laid down that no foreign owned newspapers and publications should be published in India. The foreign newspapers and periodicals dealing mainly with the news and current affairs should not be allowed to bring out Indian editions. In view of the liberalisation of Indian economy, a certain percentage of foreign direct investment, that is, 26 per cent, has been given for the news and current affairs sector....

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...**

SHRIMATI AMBIKA SONI: But it is mandatory that no foreign owner can bring out even an Indian edition of his or her newspaper. It has to be done through a company registered under the Indian Companies Act and there has been no violation. Only facsimile edition of a foreign newspaper is allowed to be brought out in India. Though permission has been given to two newspapers, only one has

* Not recorded

so far been bringing a facsimile edition with no Indian advertisements or no Indian content in its facsimile edition.

MADAM SPEAKER: Put your second supplementary.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : There is no supplementary question.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, उनके प्रश्न क्रमांक "घ" में जो बात देशी पत्रकारों और घरेलू समाचारपत्रों के संबंध में थी, उसके संबंध में मंत्री जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। देश में बड़ी संख्या में श्रमजीवी पत्रकार हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन उनके वेतन-भत्ते, जी.पी.एफ., आवास, इलाज़ आदि की व्यवस्था न के बराबर है।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह समाचार पत्रों में भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कभी-कभी कष्ट देने वाली होती है। हम लोग संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। समाचारपत्रों में भी क्या संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए? आम तौर पर देखा जाता है कि जिस भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं, उससे लोगों का काफी कुछ अपमान होता है। मुझे लगता है कि इससे समाज के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाता? क्या भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन प्रेस काउंसिल भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेरी मांग है कि सरकार संसदीय भाषा का प्रयोग उनको भी करने के लिए क्या प्रयत्न करेगी?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, as far as the content and management of all the newspapers are concerned, there is a Press Council of India which is created by an Act of Parliament. There is an ongoing debate in the country. The Chairman of the Press Council has expressed his anxiety about the Press Council not being sufficiently empowered to take care of many of the problems which are arising on a day to day basis. That debate is going on. When the debate reaches any kind of a culmination, I am sure the GoM, which has been set up by the Government to look into this whole issue, will bring whatever the culmination of the debate before the Parliament.

But I would like to answer the earlier part of the question. It is with a certain sense of pride the House must realize that India today is one of the biggest countries for media presence. There are about 77,000 newspapers, magazines,

journals, weekly, fortnightly and monthly which are produced in this country. It is the proactive policy of the UPA Government which has paid. An extra amount of allocation has been made for education under Sarva Shiksha Abhiyan. There are 350 million people who read newspapers. They are now being joined and added by another 250 million people who are wanting to read newspapers because of the increase of literacy. That is why, today there are 77,000 newspapers in small, medium and large categories. When newspapers increase, naturally people find employment as journalists and other non-journalist employees in the newspaper industry. But there are a lot of other things which the UPA Government has in the last few years taken care of. It is not that the journalists wanted this and not that anybody demanded this but it was a proactive *suo motu* desire of the Government to provide some basic amenities. Of course, I will not refer to the Wage Board's recommendations. That will come under another Ministry, namely the Ministry of Labour and Employment. But our Ministry has also accepted the Wage Board's recommendations. Along with that, the Government has created a pool of housing for journalists. A large number of senior journalists have been accommodated under the Central Government Health Scheme. There is an on-going exercise between the Ministry of Health and my Ministry to accommodate further number of journalists under some kind of insurance policy for health purposes.

I would only like to say that the Press and Registration of Books Act, which had not been amended since 1867 in any meaningful way, is now waiting to be slotted in the Business Advisory Committee for discussion in the Parliament. So, a lot of steps have been taken to protect the industry and to protect those working for the industry.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरा मूल प्रश्न इसमें जो “घ” दिया हुआ है, उससे है कि सरकार द्वारा देश में पत्रकारों और घरेलू समाचार-पत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उर्दू के बारे में मेरा मूल प्रश्न है, इस सदन में बड़े विस्तार से सभी सम्मानित पार्टी के लीडर्स ने भी इस पर चर्चा की थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने

इस मामले को उठाया था कि जो हमारे उर्दू के समाचार-पत्र हैं, वे बहुत उपेक्षित हैं। उनके लिए आपने क्या कार्य-योजना तैयार की, उनके विज्ञापन के लिए क्या कार्य-योजना बनाई, इस बारे में माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएं?

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जब यह प्रश्न पहले उठाया गया था, उसी वक्त मैंने लिखित में जवाब दिया था कि हम लोगों ने हाल में यह प्रयास किया है कि जो सर्क्युलेशन है, उसके मुताबिक ही नहीं, लेकिन हिन्दी, उर्दू और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को डीएवीपी नीति के द्वारा अधिक एडवर्टाइज़मेंट, इश्तहार देने चाहिए। इसमें कई लोगों को एतराज भी हुआ है। मेरे से कुछ अंग्रेजी अखबारों ने शिकायत भी की है कि हमारी अखबारों के एडवर्टाइज़मेंट क्यों बंद किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा यह प्रयास है कि छोटे और मध्यम क्षेत्र के अखबारों को हम ज्यादा इश्तहार दें और उर्दू का खास करके न सिर्फ ज्यादा, मैं पूरे आंकड़े लाई हूँ। ये साबित करते हैं कि उर्दू भाषा की अखबारों को न सिर्फ अधिक इश्तहार दिए गए हैं। दूसरा जो उर्दू अखबारों के लिए रेकग्निशन एवं एम्पैनलमेंट का क्राइटीरिया है, इसको और प्रो-फ्रेंडली किया गया है, उसमें ज्यादा राहत दी गई है।

मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने इश्तहार किस भाषा के अखबार को दिए जा रहे हैं।...(व्यवधान)
मैंने पहले ही कहा कि हम हिन्दी को, क्योंकि उसकी सर्क्युलेशन अधिक है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने उर्दू के बारे में पूछा था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं, आप इनका जवाब सुन लीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go in record.

*(Interruptions) ...**

MADAM SPEAKER: Please sit down. You please address the Chair.

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि उर्दू की अखबारों के आंकड़े मैं माननीय सदस्य को लिखित में आज शाम को भिजवा दूंगी, क्योंकि यहां ये आंकड़े बताने में बहुत समय लगेगा। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं कि पिछले तीन सालों में ये किस कदर बढ़ाया गया है।...(व्यवधान)

* Not recorded

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप माननीय सदस्य को शाम तक ये आंकड़े भिजवा दें।

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, the hon. Minister has acknowledged that the philosophy behind our print media policy goes back to 1955. Since then, we have seen the invention of the internet, which essentially eliminates the usefulness of the distinction between publication in this country and publication abroad. An Indian citizen with access to a computer can read publications printed abroad that are owned hundred percent abroad and available here. The question I would like to ask the hon. Minister through you, Madam Speaker, is what useful public policy purpose is served by preserving this distinction in today's internet era? Secondly, has now the time come to revisit the print media policy of 1955 in view of the realities of the 21st Century?

SHRIMATI AMBIKA SONI: Madam, the Policy of 1955 has been revisited. As I stated earlier, with the liberalization process, 26 per cent FDI has been allowed in foreign news and that category of newspapers. But it has been our considered policy and there is no unanimity in the country on increasing this Foreign Direct Investment quotient. It is also an endeavour on the part of the Government, as was asked by some hon. Members, to encourage the newspaper industry which is indigenous, which is Indian, so that our people do not lose their source of employment. So, there is a debate going on in this regard. It is only in view of the debate not being conclusive and not being unanimous that it has been allowed 26 per cent and that also under the Indian Companies Act through wholly registered Indian companies.

The general category can get a 100 per cent FDI provided they are brought out by the Indian companies. I have the exact figures of the number of foreign journals both in the categories of news and current affairs as well as those dealing with general matters like science and other technology related issues. This is going on. It is a question of evolution. I agree that internet has made it much easier to access foreign newspapers as well. But the policy has to remain conducive to employment for the Indians.

(Q. No. 364)

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE : Madam, through you I would like to ask the hon. Minister a question. In the answer it is said that as per the National Housing Bank Reside-an-index (RESIDEX), the cost of houses has gone up by 34 per cent in New Delhi. The Government is very much keen on developing low cost housing for lower income groups and for people in the middle income group. I would like to know from the Minister whether the Government has set any target in the Twelfth Plan for the construction of more houses through DDA in the national capital. Has any step been taken to conduct a survey or find out any other technique for reducing the cost of housing, so that the number of houses built by the DDA can be increased in the Twelfth Plan?

SHRI KAMAL NATH: Yes, the pressure of urbanization has led to a huge shortage of housing, particularly in the economically weaker sections. The Master Plan of Delhi 2021 has indicated that there is going to be a shortage of about 24 lakh dweller units by the year 2021. This is a very large target to be met. We have set an initial target of one lakh houses to be built by the DDA for the economically weaker sections (EWS). We hope to be able to meet this gap in the Twelfth Plan period by redevelopment of the existing housing stock, development of new housing stock and fresh construction. We are also examining whether rising the FAR can be done. The Master Plan of Delhi is under revision as I had informed the House when I was piloting the Bill. So, we are looking at the revision of the Master Plan. The main intent of that is to be able to raise the housing stock specially for the economically weaker sections.

SHRI ANAND PRAKASH PARANJPE : In the second part of the answer the National Building Construction Corporation Ltd., has not been entrusted with any work of construction of houses. My question is whether the Ministry is thinking of making the NBCC as a nodal agency for construction of houses in other metros like Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata and Pune because a lot of Central Government lands are available in these Metros. I would like to know from the

Minister whether he is thinking of making NBCC as a nodal agency where housing can be provided to residents of these metros also.

SHRI KAMAL NATH: Madam, NBCC has been directed to do some capacity building within itself to take up housing, but where other States are concerned, we must recognise that housing is a State subject. If the land is allotted by the State Government, NBCC would very willingly participate in building housing stock. Where Delhi particularly is concerned, I have directed that land should be made available to NBCC because we want to supplement all efforts in this regard, whether it is NBCC or anybody else. We would like to supplement the construction activity and I have directed that land should be allotted to NBCC to take up projects for increasing the housing stock. Where States are concerned, NBCC will participate and has been participating in construction activities in various States; where housing stock is concerned, in partnership with the State Governments, they would be very willing to do so.

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : महोदया, एक तरफ पूरे देश में मंदी का दौर चल रहा है और उसी टाइम मकान के भाव दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर्स और प्रापर्टी डीलर्स को काबू में रखने के लिए क्या केंद्र सरकार रियल स्टेट रेग्युलेशन बिल लाने के बारे में विचार कर रही है और अगर यह होगा, तो उसका ब्यौरा क्या है?

SHRI KAMAL NATH: Madam, this is being considered by the Housing Ministry and they are having interaction on that. My colleague, the Housing Minister, would be more aptly be able to reply to that. But I would like to inform the hon. Member that we are considering this because there have been several complaints against the developers and there continue to be complaints. How to make it more transparent and how to make it more user-friendly is what the Bill proposed to be brought into this House is about.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, जिस तरह से दिल्ली में आबादी बढ़ रही है और डीडीए ने कहा था कि दो लाख मकान हर साल बनायेंगे, लेकिन दिल्ली आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गयी है। आम आदमी के लिए दिल्ली में मकान पाना एक ख्वाब बन गया है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम लोगों के लिए मकान बना रहे हैं। किसानों से सस्ते दामों पर जमीन लेकर, उसका ऑक्शन जो डीडीए कर रही है, क्या डीडीए पैसा कमाने की मशीन बनी है या आम आदमी को रिलीफ देने की? महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों की जो जमीन कौड़ी के भाव आपने ली, उसका ऑक्शन बंद करके बड़े लोगों को देने पर विचार कर रही है, क्योंकि तीन-तीन सौ करोड़ रुपए का एक छोटा सा प्लॉट बिक रहा है, वह आम आदमी के लिए, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए और दिल्ली के आम आदमी को मकान मिल जाये, क्या इसके लिए सरकार की तरफ से वह कोई प्रयास करेंगे?

श्री कमल नाथ : महोदया, जहां तक लैंड एक्वीजिशन का प्रश्न है, डीडीए ने लैंड एक्वीजिशन बंद कर दी है। जो लैंड आज ऑक्शन हो रही है, जो लैंड आज के दिन हम उपयोग में ला रहे हैं, वह पुरानी एक्वीजिशन है। अगर बीस साल पहले लैंड एक्वीजिशन हुई, तो यह स्वाभाविक है कि इसकी कीमत आज बढ़ गयी होगी। आज के दिन डीडीए कोई नयी लैंड एक्वीजिशन नहीं कर रहा है।

जहां तक प्रश्न है कि डीडीए की कौन सी नयी योजनाएं हैं, जैसा मैंने पहले अपने उत्तर में कहा था कि एक लाख मकान का लक्ष्य हमने बनाया है। तीस हजार मकान के काम की शुरुआत हुई है, तीस हजार की शुरुआत होने वाली है और हमारा यह लक्ष्य और उद्देश्य है कि डीडीए का पूरा फोकस ईडब्ल्यूएस पर रहेगा, क्योंकि अगर अब झुग्गी-झोपड़ी की बात करें, स्लम्स की बात करें, इसका एक ही उपाय है कि ईडब्ल्यूएस हाउसिंग को हम सबसे ज्यादा केवल प्राथमिकता ही न दें, पर यह हमारा लक्ष्य बना रहेगा।

श्री महाबल मिश्रा : महोदया, मंत्री जी दिल्ली के लिए, गरीब के लिए बड़े संवेदनशील हैं और दो-तीन महीने से जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन साथ ही 1,639 अनऑथराइज्ड कालोनियां दिल्ली में हैं। इनको रेग्युलराइज्ड करने के लिए बहुत दिनों से बात आ रही है, क्या इस दिशा में आप कोई कदम उठा रहे हैं?

दूसरी बात, 28 इंडस्ट्री एरियाज दिल्ली में डीडीए ने बसाये। वे आज रेजीडेंस के बीच में हैं, 24 कलस्टर इंडस्ट्रीज रेजीडेंस के बीच में हैं, क्या सर्विस इंडस्ट्री या नॉलेज इंडस्ट्री के रूप में चेंज करने का आप कोई प्लान बना रहे हैं?

श्री कमल नाथ : मैडम, जहां तक रेगुलराइजेशन की बात है तो यह बात सही है कि 1600 अनऑथराइज्ड कॉलनिज हैं। इसमें विभिन्न एजेन्सियों को कार्य करना है। जब तक वह कन्वर्ट न करें, एमसीडी, दिल्ली सरकार, डीडीए और हाउसिंग बोर्ड है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इन सब के साथ ही उस पर एक योजना तो बन गई है। अब इस योजना का क्रियान्वयन होना है। हमने इनको प्राथमिकता दी है कि जो 1600 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं इनको केवल रेगुलराइज नहीं किया जाए बल्कि इनके लिए दूसरा उपाय भी ढूंढा जाए ताकि वहाँ इन सीटू या कहीं और उन को जगह दे दी जाए और उन के मकान बन जाए। जहां तक इंडस्ट्रियल एरियाज की बात है, यह सही है कि जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, आज की सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में कोई बड़े उद्योग की क्षमता नहीं बची है। कूटिर उद्योग या छोटे उद्योग अवश्य लग सकते हैं लेकिन दिल्ली में कोई बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं। जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, एमपीडी-21 के रिवीजन में माननीय सदस्य का सुझाव सही है। सर्विस इंडस्ट्रीज हों या ऐसी किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज हों इन पर विचार किया जाएगा।

(Q. No. 365)

SHRI ANTO ANTONY : Madam, as per the answer given by the hon. Minister, the Government of India approved five projects during 2008-09 to the State of Kerala, but thereafter, no projects have been approved and funds allotted for solid waste management in the State. What are the reasons for this?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY) : Madam, there are no projects for Kerala pending with the Central Government. There are two solid waste management projects in Kerala – one in Thiruvananthapuram and another in Kochi. Their progress is around 39 per cent financially and 46 per cent physically. But there is no pending solid waste management project from Kerala with the Central Government.

SHRI ANTO ANTONY : I would request the hon. Minister to give the number of pending proposals submitted by the Government of Kerala for approval and the steps taken by the Government of India in this regard.

PROF. SAUGATA ROY: As I said earlier, this is the last year of JNNURM. There are no pending projects from the Government of Kerala. There are projects in Kerala, which have been approved and which are being implemented, in these two Mission cities of Thiruvananthapuram and Kochi.

The total allocation for Kerala under JNNURM has been Rs. 674.76 crore and the total number of projects approved is eleven, whose total approved cost is Rs. 997 crore. So, there are no projects pending in the State of Kerala.

SHRI RAVNEET SINGH : I would like to know from the hon. Minister whether the solid waste management plant built with JNNURM funding in Chandigarh is lying idle because of environmental reasons. What are the steps being taken by the Government to make it operational because this plant is directly under the Central Government?

PROF. SAUGATA ROY: Madam, this Question does not relate to Chandigarh as such. So, a separate notice is required to answer his question.

श्री अनंत गंगाराम गीते : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जेएनयूआरएम के तहत कुछ सहायता छोटे नगरपालिकाएं या नगर परिषद हैं उनको दी जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जिम्मेवारी राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी की है। इससे हम सहमत हैं लेकिन पूरे देश में आज की स्थिति यह है कि राज्यों की माली हालत ठीक नहीं है। ए, बी या सी क्लास के जो नगर निगम हैं उनकी हालत उससे भी बदतर है। ऐसे में एक प्रयोग के तौर पर चलाया जा रहा है कि कई म्यूनिसिपैलिटीज प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा निजी लोगों की सहायता से कुछ प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। जैसे - सॉलिड वेस्ट से फर्टिलाइजर निर्माण करना या सॉलिड वेस्ट का केक बना कर उसे फ्यूल के तौर पर यूज करना या सॉलिड वेस्ट से पावर जेनरेट करना। इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट्स निजी कम्पनियों के सपोर्ट से कुछ म्यूनिसिपैलिटीज़ ने किए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के सॉलिड वेस्ट का उपयोग हो, उससे एनर्जी पैदा हो, फ्यूल या फर्टिलाइजर बने, तो इसका दोहरा उपयोग हो सकता है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)



श्री अनंत गंगाराम गीते : शहर साफ-सुथरे रहेंगे। समय पर कचरे को उठाया जाएगा और उसका एनर्जी, फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में सरकार अध्ययन करते हुए कोई स्कीम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाना चाहती है?

श्री कमल नाथ : मैडम, माननीय सदस्य ने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात कही है, यह बात सही है और हम इसे इनकरेज करना चाहते हैं। जेएनयूआरएम टू जो ट्वैल्थ प्लान में आना है, उसकी राशि, रिसोर्सज की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति केन्द्र या राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। हमें क्रिएटिवली नए पीपीपी मॉडल्स सोचने हैं जो चाहे सॉलिड वेस्ट में हों या ड्रिंकिंग वाटर में हों। एक-दो सफल हुए हैं। मुझे खुशी है कि सबसे पहला जो पीपीपी ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है, नागपुर में करीब 10 या 15 दिन पहले उसका उद्घाटन मैंने ही किया था। केन्द्र या राज्य सरकार की राशि के अलावा हमें जो एडिशनल रिसोर्सज की आवश्यकता है, वह केवल पीपीपी मॉडल में आएगा। जहां तक सॉलिड वेस्ट की बात है, यह बात सही है कि पीपीपी मॉडल में सॉलिड वेस्ट चल पाएगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का कन्वर्जन फर्टिलाइजर, खाद, एनर्जी किसी में हो, यह एक संभव बात है और हम उसे अवश्य इनकरेज करेंगे।

(Q. No. 366)

श्रीमती ज्योति धुर्वे : अध्यक्ष महोदया, हम एक तरफ जहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला रहे हैं वहीं किसानों को लाभ और उसे विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सरकार की बहुत सारी बातें देश के सामने आती हैं। किसान का बढ़ता हुआ बोझ और घटते हुए मूल्य, मौसम की पड़ती मार निश्चित ही उसके उत्पादन एवं प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकी द्वारा क्या सरकार ने पूरे देश के किसानों को बचाने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी कोई ठोस नीति या नियम बनाए हैं? किसान को राहत देने के लिए कोई नए संशोधन, नीति-नियम बनाकर आने वाले समय में, जो देश को जिन्दा रखता है, उसे जिन्दा रखने के लिए मंत्री महोदय के सामने कोई नियम हों तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूं?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, देश में 1967 में जो पैडी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तंजावुर में बनाया गया था, माननीय सदस्या का सवाल उस बारे में है। माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या यह पूछना चाहती हैं कि कृषि उत्पाद पर प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाये हैं या कुछ नयी नीति तय की है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में अलग-अलग तरह की स्कीम्स हैं, जिन्हें सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए तैयार की है। उसमें किसान जो प्रोड्यूस करता है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, पोस्ट हारवेस्टिंग लॉसेस कम करने के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं। कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए मदद हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज करने के लिए मदद हो सकती है और साथ-साथ प्रोसेसिंग करने के बारे में जो कुछ कदम उठाये गए हैं, उस बारे में भी कुछ स्कीम्स हैं। वे स्कीम्स बागवानी के लिए अलग हैं, पैडी के लिए अलग हैं, गेहूं पर प्रक्रिया करने के लिए अलग है।

अगर माननीय सदस्या को इस बारे में ज्यादा इन्फोर्मेशन चाहिए, तो वह इन्फोर्मेशन मैं उन्हें भेजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हर आइटम पर अलग किस्म की स्कीम आज भारत सरकार ने बनायी है। उन स्कीम्स को देकर उसका लाभ लेने की तैयारी हो, इस बारे में हम उन्हें मदद देने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मुझे और सभी किसानों को सैटिसफाई करने वाला उत्तर नहीं दिया है, इसका मुझे खेद है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है। यहां बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं बनी हुई होती हैं, लेकिन यदि हम लक्ष्य को देखते हैं, तो पाते हैं कि वैज्ञानिकों की भारी कमी है। अगर उनके पदों की पूर्ति या पूर्ण करने की बात की जाये, तो वर्ष 2012 जहां खत्म हो रहा है, उसमें भी यह बताते हैं कि वर्ष 2010 में ये पद भर दिये जायेंगे। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा नजर आता है कि किसान जो कहीं न कहीं मर रहा है, उसे पूरी तरह से मार देना चाहिए। भारत सरकार

का जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है आईआईसीपीडी के द्वारा, क्या उन्होंने ऐसे गांवों को सही तरीके से, नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊंचा उठाया है? क्या उन्होंने उन गांवों को वाकई विकसित किया है? देश में जहां दो बड़े-बड़े संस्थान हैं, क्या अन्य ऐसे किसी जिले में, बैतूल जैसा मेरा जिला जो कृषि प्रधान है, जहां कृषि उत्पादन ...(व्यवधान) उपर उठाने के लिए केन्द्र सरकार की IICPD संस्थान विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। अथवा बैतूल में मेगा फूड पार्क बनाने की योजना को पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती ज्योति धुर्वे : वहां पर क्या ये संस्थान खोलने का प्रयास करेंगे? ...(व्यवधान) क्या वहां पर उन्हें खोलने का आश्वासन देंगे, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, धन्यवाद।

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, इस संस्थान में 28 साइंटिफिक आफिसर्स की पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट्स भरी हैं और बाकी पोस्ट्स अभी भरी नहीं हैं, क्योंकि इस संस्था का कंस्ट्रक्शन का काम आधा हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम तीन फेजेज में है। इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक का काम पूरा हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ब्लाक है, उसका काम अभी शुरू हुआ है और इसके तीसरे फेज के लिए हमें अभी तक जमीन नहीं मिली है। जहां जमीन हमारे हाथ में नहीं है, वहां जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लॉयबिलिटी पूरी नहीं होगी, तब तक हम साइंटिफिक आफिसर्स वहां एप्वाइंट करके उनको काम करने का मौका कैसे दे सकते हैं? यह समस्या हमारे सामने है। इसलिए हम यह काम पूरा होने के बाद ये सभी पोस्ट्स भरेंगे और कोई रिक्त पोस्ट नहीं रखेंगे।

श्री प्रभातसिंह पी. चौहान : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि यह भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था देश के किसानों एवं विद्यार्थियों के लिए कितने प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है और इस संस्थान के माध्यम से हमारे देश के कृषि क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? मेरा दूसरा प्रश्न है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इतने प्रश्न न पूछकर केवल एक प्रश्न पूछिये।



SHRI SHARAD PAWAR: One part of the mandate given to us is to conduct basic and applied research, post harvest processing, preservation and value addition of the food crops. Second is human resource capacity building by offering Bachelors', Masters' and Doctors' Degrees and this is a training institution. Third is to conduct seminars, workshops, and training programmes across the country to popularize food processing technology. The last one is offering consultancy for creation of new food industries. This is the mandate which has been given and they are working on this mandate.

DR. K.S. RAO : Madam, the input cost of the farmer is increasing year after year. Therefore, the increase in MSP by double in the last six or seven years is not sufficient for the farmers and it is the reason why they are committing suicides. The process that is left to is either to increase the production or yield per acre by increasing the R&D, or adding value addition to the produce in the rural areas. I am happy that the hon. Minister has addressed this issue.


I wish to inform him that it is not the normal process or speed at which he has to go for it. Unless he goes on a war-footing in encouraging the food processing industry by providing enough subsidy to the value addition in the rural areas, the life of the farmer will remain more and more miserable, and a day is not far off when he will stop producing food articles.

Therefore, I wish to know from the hon. Minister whether he is thinking of doing the same thing in every State where agriculture is the prime activity.

SHRI SHARAD PAWAR: There is certainly a tremendous scope to work in this particular area. The hon. Member is expecting that we should try to give a lot of support, and that is the general thinking of the Government. However, I would like to bring to the notice of this august House that last year the total provision for the entire Ministry was Rs. 600 crore. With the help of Rs. 600 crore, to take responsibility to process most of the agricultural products throughout India is not an easy thing. We are definitely requesting the Departments and Ministries concerned to provide more money. Unless and until we provide more money to the

States item-wise, crop-wise, I do not think we will be able to do good work in this particular area. Our efforts will be in that direction.


(Q. No. 367)

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : अध्यक्ष महोदया, लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कर्ज माफी के बाद देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का जो सिलसिला जारी था, उसमें मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है या वृद्धि हुई है? आज खेती घाटे का धंधा बन गई है और किसान खेती से पलायन कर रहे हैं, यहां तक कि कई किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मंत्री जी  कि कर्ज माफी के बाद किसानों द्वारा आत्महत्या करने के प्रतिशत में कितनी कमी आई है? इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न मिनीमम सपोर्ट प्राइस के बारे में था।

अध्यक्ष महोदया: आप केवल एक ही प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मैं दोनों एक साथ ही पूछ रहा हूँ। जब केन्द्र में एनडीए सरकार थी, उस समय जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, तो खाद का, बीज का, डीजल का क्या रेट था और आज जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए कुछ बताई है, जो आज बढ़े हुआ मूल्य है, चाहे डीजल, खाद, बीज और कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनमें उस हिसाब से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इस सरकार द्वारा किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी दिखाई जाती है और बड़े लम्बे भाषण दिए जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उनमें कितने प्रतिशत आज एनडीए सरकार की तुलना में इन चीजों के दामों में वृद्धि हुई है?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD PAWAR) : Madam Speaker, the question is regarding investment in agriculture sector by both public and private sectors about the prices of diesel, prices of fertilizers. Certainly these issues are important but I will require a separate notice for that.

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदया,  इसमें इन्होंने बताया है कि ..

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये। समय नहीं है।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : क्या पूछे, वह प्रश्न को घुमा रहे हैं, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया : मेरा संरक्षण है लेकिन आप मूल प्रश्न की परिधि में अपना प्रश्न पूछिये।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र : इस लोक सभा को इस देश की गरीब जनता देख रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपने ऋण माफी दी, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, उसका इस देश के किसानों पर प्लस या

माइनस में क्या असर हुआ? खाद-बीज के रेट पर जो सपोर्ट प्राइस है, उसमें कितना अंतर है, यही बात तो मैं पूछ रहा हूँ। आप हमें मदद करें, हमें संरक्षण दें।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आप बैठ जाइये।

SHRI SHARAD PAWAR: It is already replied that what type of investments has been made whether it is private or public. The reply has clearly shown that every year more investment has been made and there is also improvement in the production and in the productivity.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : ऐसा मत करिये, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Are you replying Mr. Minister?

SHRI SHARAD PAWAR: No, Madam. I have already replied.

... (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA : I would like to know from the Minister whether the banks have invested as per the stipulation made in the agriculture sector and what is the role of the State Bank and all other nationalized banks? If they failed to invest in agriculture, then what steps are they going to take in this regard?

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदया, ऐसे सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस स्कीम के माध्यम से डायरेक्शन दिया है कि उनके टोटल रिवर्सल में 18 परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के रेट देने के लिए उन्हें कदम उठाने की आवश्यकता है। वह 18 परसेंट की गाइड-लाइन्स सभी बैंकों को इंफोर्म की है।

(Q. No. 368)

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह जो वायदा कारोबार है, जिसके चलते देश के खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ी है और ऐसा सरकार का भी मानना है। क्या सरकार का कोई इरादा इस वायदा कारोबार पर रोक लगाने का है?

PROF. K.V. THOMAS: Madam, the Government of India has entrusted NABCONS, a subsidiary of the NABARD to examine the percolation of benefits of commodity future market among the small and marginal farmers and this NABCONS Report is before the Government. We are examining the report and we are also finding out what steps we can take.

12.00 hrs.

We are finding out what steps we can take so that small and marginal farmers are benefited. There are two other reports. One is the Arjun Sen Committee Report and the other one is the RBI Annual Report. These Reports are also under the examination of the Government. We will do our best to benefit small and marginal farmers.



12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION
AND MINISTER OF CULTURE (KUMARI SELJA): I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5846/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5847/15/11)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) A copy of the Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

- (ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5848/15/11)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) Review by the Government of the working of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.
- (2) Annual Report of the Bisra Stone Lime Company Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5849/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table: --

- (1) A copy of the First Interim Report (Hindi and English versions) of the Justice M. B. Shah Commission of Inquiry for Illegal Mining of Iron Ore and Manganese alongwith Memorandum of Action taken thereon under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

(Placed in Library, See No. LT 5850/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Miners' Health, Nagpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Miners' Health, Nagpur, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5851/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Rock Mechanics, Kolar Gold Fields, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5852/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay on the Table : --

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshmbai National University of Physical Education, Gwalior, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshmbai National University of Physical Education, Gwalior, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5853/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Organising Committee Commonwealth Games 2010 Delhi, New Delhi, for the years 2005-2006 to 2008-2009.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Organising Committee Commonwealth Games 2010 Delhi, New Delhi, for the years 2005-2006 to 2008-2009, together with Audit Report thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5854/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table: --

- (1) A copy of the Food Corporation of India (Staff) (2nd Amendment) Regulation, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. E.P. 1(2)/2010 in Gazette of India dated 24th June, 2011 under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964.

(Placed in Library, See No. LT 5855/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the VOICE Society, New Delhi, for the years 2009-2010 & 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the VOICE Society, New Delhi, for the years 2009-2010 & 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5856/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Fair Business Practices, Mumbai, for the years 2009-2010 & 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Fair Business Practices, Mumbai, for the years 2009-2010 & 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5857/15/11)

- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5858/15/11)

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-
- (i) G.S.R. 812(E)/Ess.Com./Sugarcane in Gazette of India dated the 15th November, 2011, notifying the Factory-wise Fair and Remunerative Price of Sugarcane for the sugar season 2009-2010.

- (ii) G.S.R. 836(E) in Gazette of India dated the 25th November, 2011, imposing levy obligation at the rate of 10% on sugar produced during 2011-2012 sugar season on every domestic producer of sugar.

(Placed in Library, See No. LT 5859/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) Statement regarding Review by the Government of the working of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati, for the year 2010-2011.
- (2) Annual Report of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, Guwahati, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5860/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): I beg to lay on the Table: --

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2010-2011.
(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5861/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5862/15/11)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the Chennai Metro Rail Limited, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5863/15/11)

- (b) (i) A copy of the Review by the Government of the working of the National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the National Buildings Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5864/15/11)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Capital Region Planning Board, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5865/15/11)

- (5) A copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002.
- (i) The Bangalore Metro Railway (General) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 271(E) in Gazette of India dated 30th March, 2011.
 - (ii) The Bangalore Metro Railway (Opening of Public Carriage for Passengers) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 272(E) in Gazette of India dated 30th March, 2011.
 - (iii) The Bangalore Metro Railway (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 401(E) in Gazette of India dated 25th May, 2011.
 - (iv) The Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 402(E) in Gazette of India dated 25th May, 2011.
 - (v) The Bangalore Metro Railway (Notice of Accidents and Inquiries) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 403(E) in Gazette of India dated 25th May, 2011.
 - (vi) The Bangalore Metro Railway (Procedure for Claims) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 404(E) in Gazette of India dated 25th May, 2011.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 5866/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table: --

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 25 of 2011-12) (Indirect Taxes-Central Excise and Service Tax) (Performance Audit) -working of Commissionerates, Divisions and Ranges for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5867/15/11)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 22 of 2011-12) - Performance Audit on Export Promotion Capital Goods Scheme for the year ended March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5868/15/11)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 24 of 2011-12) – Army and Ordnance Factories for the year ended March, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 5869/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table: --

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5870/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Mangalore, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Karnataka Cashew Development Corporation Limited, Mangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5871/15/11)

(c) (i) Review by the Government of the working of the State Farms Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the State Farms Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5872/15/11)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited, Bhopal, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5873/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

- (i) S.O. 2592(E) in Gazette of India dated 18th November, 2011, specifying 8 grades of customized fertilizers, mentioned therein, for a period of three years to be manufactured by the manufacturers mentioned in the notification.
- (ii) S.O. 2593(E) in Gazette of India dated 18th November, 2011, regarding the specification of Triple Super Phosphate imported in India for a period of upto 31st March, 2012 from the date of publication of the notification.

(Placed in Library, See No. LT 5874/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5875/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5876/15/11)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board, Gurgaon, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board, Gurgaon, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5877/15/11)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coconut Development Board, Kochi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coconut Development Board, Kochi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Coconut Development Board, Kochi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5878/15/11)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Horticulture Board, Gurgaon, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Horticulture Board, Gurgaon, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5879/15/11)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5880/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): I beg to lay on the Table: --

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5881/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. S. JAGATHRAKSHAKAN): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (2) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5882/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table: -

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Power Training Institute, Faridabad, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5883/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi, for the year 2009-2010.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 5884/15/11)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत):

महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 5885/15/11)

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 5886/15/11)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्टप्रोन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 5887/15/11)

- (4) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 5888/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI JITENDRA SINGH): I beg to lay on the Table: --

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Rehabilitation Plantations Limited, Punalur, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the Rehabilitation Plantations Limited, Punalur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) A copy of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group "C" posts) Recruitment Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 815(E) in Gazette of India dated the 17th November, 2011, under Section 26 of the National Investigation Agency Act, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 5890/15/11)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008:-

- (i) S.O. 2531(E) published in Gazette of India dated the 11th November, 2011, appointing Shri Biswa Ranjan Ghosal, Advocate as Standing Counsel/Retainer Counsel, at Calcutta High Court, Shri Sanjay Bardhan, Advocate as Junior and Special Counsel, at Calcutta High Court, Shri Gautam Narayan, Advocate as Special Public Prosecutor at Delhi High Court for conducting National Investigation Agency in the trial Courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate Courts established by law in the territory of the States of West Bengal and Delhi.

(Placed in Library, See No. LT 5891/15/11)

- (ii) S.O. 2359(E) published in Gazette of India dated the 13th October, 2011, appointing Shri P. N. Raina, Advocate, as Special Public Prosecutor cum Standing Counsel/Retainer Counsel, Shri Vijay Kumar Gupta, Advocate as Special Public Prosecutor, Shri Baldev Singh Manhas, Advocate as Special Public Prosecutor and Shri Anil Bhan, Advocate as Standing Counsel/Retainer in the Hon'ble High Court of J&K (Srinagar Bench) and Sepcial Public Prosecutor in the NIA Special Court, Srinagar for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate Courts established by law in the territory of the State of Jammu and Kashmir.

(Placed in Library, See No. LT 5892/15/11)

- (iii) S.O. 2070(E) published in Gazette of India dated the 12th September, 2011, appointing Shri Ahmad Khan, Senior Public Prosecutor, NIA, Shri S. K. Rama Rao, Senior Public Prosecutor, NIA, Shri S. Abdul Khader Kunju, Public Prosecutor, NIA and Shri Arjun Ambalapatta, Public Prosecutor, NIA as "Public Prosecutors" for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency, in the trial

courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law of the country.

(Placed in Library, See No. LT 5893/15/11)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the REPCO Bank Limited, Chennai, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the REPCO Bank Limited, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5894/15/11)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

“In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th December, 2011 agreed without any amendment to the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th December, 2011.”

12.01¼ hrs.**LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE**

MADAM SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their fifth Report presented to the House on 19th December, 2011 have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the following members for the period mentioned against each: -

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Shri A. Raja | 15.08.2011 to 08.09.2011 |
| | | and |
| | | 21.11.2011 to 22.12.2011 |
| 2. | Shri Madhu Koda | 21.11.2011 to 22.12.2011 |
| 3. | Shri Suresh Kalmadi | 21.11.2011 to 22.12.2011 |
| 4. | Shrimati Shruti Choudhry | 22.11.2011 to 22.12.2011 |

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

12.01½ hrs.

**REPORT ON THE PARTICIPATION OF INDIAN PARLIAMENTARY
DELEGATION AT THE 124TH ASSEMBLY OF THE INTER-
PARLIAMENTARY UNION (IPU)**

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) on the participation of Indian Parliamentary Delegation at the 124th Assembly of the Inter-Parliamentary Union held in Panama City (Panama) from 15 to 20 April, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5895/15/11)

12.02 hrs.**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS****12th and 13th Reports**

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings: -

- (1) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the observations and Recommendations contained in the 35th Report of 14th Lok Sabha on Food Corporation of India.
- (2) Thirteenth Report on Action taken by the Government on the observations and Recommendations contained in the 5th Report of 15th Lok Sabha on National Aluminium Company Limited.

12.03 hrs.**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY****26th Report**

RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): Madam, I beg to present the Twenty-sixth Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2011-12) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in Fifteenth Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Modernisation of Post Offices' relating to the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).

12.04 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON LABOUR
Reports**

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour: --

- (1) 'The Labour Laws (Exemption from furnishing returns and maintaining registers by certain establishments) Amendment Bill, 2011'.
- (2) 'The Mines (Amendment) Bill, 2011'.
- (3) 'The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2011'.



12.05 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) **Status of implementation of the recommendations contained in the 11th and 12th Reports of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2011-12) and New Railway Recruitement Policy, respectively, pertaining to the Ministry of Railways***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Parliamentary Standing Committee on Railways in pursuance of Directive 73 A of the Hon. Speaker, Lok Sabha issued vide Lok Sabha Bulletin Part-II, dated 1st September, 2004.

The 11th Report of the Standing Committee on Railways on "Demands for Grants 2011-12" presented to the Lok Sabha on 17.08.2011 contained 39 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 04.11.2011 in English version and on 15.11.2011 in Hindi version.

The 12th Report of the Standing Committee on Railways on "New Railway Recruitment Policy" presented to the Lok Sabha on 30.08.2011 contained 35 recommendations and Action Taken Notes thereon were furnished to the Committee on 29.11.2011 in English version and on 30.11.2011 in Hindi version.

Statements showing details of all the recommendations contained in the Report and implementation status thereof are enclosed. Since the statements are voluminous, I request that the same may be taken as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See N. LT 5896/15/11

12.05½ hrs.

- (ii) **Status of implementation of the recommendations contained in the 9th, 10th and 14th Reports of the Standing Committee on Energy on 'Funding of Power Projects', 'Availability of Gas and Coal for Power Sector'; and 'Transmission and Distribution Systems and Networks', respectively, pertaining to the Ministry of Power***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): I beg to lay on the Table this statement on the present status of implementation of recommendations contained in the 9th, 10th and 14th Reports of Parliamentary Standing Committee on Energy in pursuance of direction 73A of the Hon. Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin Part-II, dated 1st September 2004.

The 9th, 10th and 14th Reports are related to 'Funding of Power Projects', 'Availability of Gas and Coal for Power Sector' and 'Transmission and Distribution Systems and Networks' respectively. The 9th Report has 15 recommendations in which 10 recommendations have been accepted by the Government. About 2 recommendations the Committee do not desire to pursue the recommendations. 3 recommendations pertain to Ministry of Finance. The 10th Report has 8 recommendations in which 7 have been accepted by the Government and one has been accepted with some clause. 14th Report has 16 recommendations in which 14 have been accepted by the Government, one has been not accepted by the Government and one is under consideration.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in the said reports is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

MADAM SPEAKER: Shri S.M. Krishna.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5897/15/11

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Madam, before the Minister makes his statement, I have something to say.

I have given a notice of breach of privilege of this House against the Home Minister Shri P. Chidambaram. This has been filed with your office this morning.

Madam, the issue here is very very serious. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will take it up.

... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : I will take directions and instructions from the Speaker, not you. ... (*Interruptions*) What is this? The Ministers are creating disturbance in the House! ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will apply myself to it and I will come back.

SHRI YASHWANT SINHA : I want the permission to mention the facts in this House. Then it will be up to you.

MADAM SPEAKER: You have given the notice. I will apply myself to it.

SHRI YASHWANT SINHA : I want your permission to state the facts in this House. The House has a right to know this.

MADAM SPEAKER: I do not have a notice for that. I have a notice for the Minister's statement. You are a very senior Member. You know the rules. Hon. Minister's statement now. Nothing else will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: I have received your notice and I said that I will consider it. But I have no notice that you will get up and speak in the House. Nothing else will go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: You are a very senior Member. You are aware of the rules. Nothing will go on record except what the Minister says.

(*Interruptions*) ... *

12.07 hrs.

* Not recorded

(iii) Court hearing in a Russian City on the Bhagavad Gita

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Madam Speaker, I rise to make a statement on a court hearing in a Russian city on the Bhagavad Gita that was raised in this august House yesterday by hon. Members Shri Bhartruhari Mahtab, Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Sharad Yadav, Shri Lalu Prasad, and Shri Hukumdev Narayan Yadav.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, would you lay it on the Table of the House?

SHRI S.M. KRISHNA: Madam, may I lay it on the Table of the House?

... (*Interruptions*)

12.08 hrs.

**MOTION RE: THIRTY-SECOND REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move:

“That this House do agree with the Thirty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th December, 2011.”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Thirty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th December, 2011.”

The motion was adopted.

12.09 hrs.

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED

(i) RIGHT OF CITIZENS FOR TIME BOUND DELIVERY OF GOODS AND SERVICES AND REDRESSAL OF THEIR GRIEVANCES BILL, 2011

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to move for leave to introduce a Bill to lay down an obligation upon every public authority to publish citizens charter stating therein the time within which specified goods shall be supplied and services be rendered and provide for a grievance redressal mechanism for non-compliance of citizens charter and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to lay down an obligation upon every public authority to publish citizens charter stating therein the time within which specified goods shall be supplied and services be rendered and provide for a grievance redressal mechanism for non-compliance of citizens charter and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI V. NARAYANASAMY: I introduce the Bill.

12.10 hrs.**(ii) REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY BILL, 2011**

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI VILASRAO DESHMUKH): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an institution of national importance to be known as the Regional Centre for Biotechnology for training and education as a category II institution under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, to undertake research in the field of biotechnology and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an institution of national importance to be known as the Regional Centre for Biotechnology for training and education as a category II institution under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, to undertake research in the field of biotechnology and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI VILASRAO DESHMUKH: I introduce the Bill.

MADAM SPEAKER: Now, Calling Attention – Shri Arjun Ram Meghwal.

... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदया, यह लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ गीता का मामला है। आपकी कुर्सी पर लिखा है - धर्म चक्र प्रवर्तनाय। गीता के उपदेशों पर देश और दुनिया में जो हमारी बेइज्जती हो रही है, उस पर मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने टेबल पर ऐसे ही स्टेटमेंट रख दिया... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): वह हाउस में स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहे थे।

श्री हरिन पाठक : सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री पवन कुमार बंसल : वह इसीलिए आये थे।... (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : गीता कोई सामान्य किताब नहीं है। वह हमारा चिंतन है, हमारा दर्शन है, हमारे देश की धरोहर है, वह एक सांस्कृतिक विरासत है। ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: I called him many times to read out the statement.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: No. Please sit down now.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : मैंने उन्हें बहुत दफा बुलाया था, उस समय बहुत कोलाहल था, इसीलिए वह ले किया गया।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The Minister's statement has been laid.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आपके सामने ही सब कुछ हुआ है।

* Not recorded

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This has happened in front of you.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : नो, आप बैठ जाइये। जब हम उसे पढ़वा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, बताइये? आप बैठिये।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I asked him repeatedly to read out the statement.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : नो, यह क्रास क्वेश्चनिंग नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have gone ahead.

... (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं भी गीता पर ही कह रहा हूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप फिर बैठ नहीं रहे हैं। आप शांति बनाइये। जिस समय उन्हें पढ़वा रहे थे, उस समय कोलाहल था तो हमने उन्हें ले करने के लिए कह दिया, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ गये और कार्लिंग अटैन्शन तक आ गये हैं।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: As a special case, I will allow the hon. Minister to read out again. लेकिन आप लोग शांति बनाये रखिये।

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: After that, we will take up Calling Attention.

Yes, hon. Minister may read it out again.



12.15 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(iii) Court hearing in a Russian city on the Bhagwat Gita -- Contd.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): Hon. Madam Speaker, I rise to make a statement on a Court hearing in a Russian city on the Bhagwad Gita that was raised in this august House yesterday by Hon. Members Shri Bhartruhari Mahtab ji, Shri Mulayam Singh Yadav ji, Shri Sharad Yadav ji, Shri Lalu Prasad ji, Shri Hukumdeo Narayan Yadav ji Shri Aruna Kumar ji and Dr. Prasanna Kumar Patasani ji. A number of other Hon. Members also conveyed their deep sense of anguish over this issue. At the outset, allow me to mention that I fully share the sentiments expressed by the Hon. Members of the House on this issue.

Hon. Members referred to media reports about a hearing conducted by a Court in the Russian city of Tomsk on whether a Russian language commentary on the Bhagwad Gita qualifies as "extremist" literature. I would like to inform this august House of the facts of this case.

The International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) has been functioning in Russia for decades. ISKCON has faced periodic problems with respect to its properties and functioning in Moscow and elsewhere. On occasion, our Embassy has intervened on behalf of ISKCON with the local city authorities as well as with the Russian Government.

ISKCON conveyed to our Embassy that its branch in Tomsk, Eastern Siberia, had received a notice in June 2011, of a complaint filed by the Public Prosecutor's Office in the local court. This complaint, apparently driven by some local individuals, was to the effect that the third Russian edition of the publication "*Bhagwad Gita As It is*" - a translation of a commentary by Swami Prabhupada, founder of ISKCON - had certain portions that were 'objectionable' and 'extremist' in nature.

Following the initial proceedings in August 2011, the District Court appointed its own three member expert group from the University of Kemerovo (in Siberia), which was to submit a report within three months. The final hearing in the Tomsk District Court was due on December 19, 2011, but has been rescheduled for December 28, 2011, as the Court has agreed to seek the opinion of the Russian Ombudsman on Human Rights in Tomsk District, and of Indologists from Moscow and St. Petersburg, who have greater knowledge and expertise on India.

Officials of the Embassy of India in Moscow and our Ambassador have been in regular touch with the local representatives of ISKCON, since this matter came to light in June 2011. ISKCON representatives were advised to take legal recourse to counter this misdirected complaint. We have also taken up this matter at the senior levels of the Russian Government. The Ministry of External Affairs has been in regular touch with our Embassy in Moscow on this issue. The matter was also taken up with the Russian Ambassador based in India, H.E. Mr. Alexander Kadakin who is himself a well-known Indologist. In fact the Ambassador has been publicly critical of this episode. He has stated that Bhagavad-Gita is a great source of wisdom for the people of India and the world. He also said that Russia is a secular and democratic country where all religions enjoy equal respect. The complaint in a local Russian court appears to be the work of some ignorant and misdirected or motivated individuals. While this complaint is patently absurd, we have treated this matter seriously and the Embassy of India is closely monitoring this legal case.

Hon. Members will agree that the Bhagwad Gita is not simply a religious text; it is one of the defining treatises of Indian thought and describes the very soul of our great civilization. The Gita is far above any cheap propaganda or attacks by the ignorant or the misdirected.

In Russia itself, we have many great Indologists, scholars and experts, who understand the essence of the Gita and have written on it with reverence and

passion. We do not want to dignify with too much attention and some misdirected individuals, who have filed an absurd complaint. We are confident that our Russian friends, who understand our civilizational values and cultural sensitivities, will resolve this matter appropriately. ... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, आप देखिये तो, यह बहुत गलत है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या गलत है?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : नेता विपक्ष खड़ी होती हैं, आप उनकी तरफ देखती भी नहीं हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्या गलत है?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे एक बात कहनी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, मगर इसमें गलत क्या है?

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो मंत्री जी का जवाब आया है, मुझे उस पर एक बात कहनी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। आपको डिस्कशन करना है, तो आप नोटिस दे दीजिए। हम स्वयं चाहते हैं, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप नोटिस दे दीजिए, हम डिस्कशन करा देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मंत्री जी ने सबकी भावनाओं को देखते हुए एक वक्तव्य सदन में रखा है और मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि आपने स्पेशल केस के तौर पर मंत्री जी को पढ़ने का एक मौका और हम लोगों को सुनने का एक मौका दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़ी हैं? बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे मंत्री जी से केवल एक बात कहनी है। मंत्री जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जिन तथ्यों को आपने स्वीकार किया है, उससे आपका ऑपरेटिव पार्ट मेल नहीं खाता। आपने स्वयं स्वीकार किया है, that this complaint is patently absurd. आपने स्वीकार किया है, that this case appears to be the work of some ignorant and misdirected or motivated individuals. यह आपने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट में आप कहते हैं, that we are confident that our Russian friends, who understand our civilizational values and cultural sensitivities, will resolve this matter appropriately. यह ऑपरेटिव पार्ट हमारी भावनाओं से मेल नहीं खाता। जिस शिकायत को आप एब्सर्ड मानते हैं, जिसे आप एक मोटिवेटिड

इंडीविजुअल्स का काम मानते हैं, उसमें हम चाहते थे कि सरकार यह कहेगी कि हम इस प्रतिबंध को हटवायेंगे। आप कह हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट कि रसिया हटा देगा, इससे काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अब हो गया।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप अपनी ओर से इस पर प्रतिबंध हटवाने का काम कीजिए। यह सदन की भावना थी।... (व्यवधान) मैं आज के दिन इस प्रसंग का लाभ उठाते हुए, आपके माध्यम से यह भी मांग करती हूँ कि श्रीमद् भगवद् गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत न कर सके। आप श्रीमद् भगवद् गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिये और यह प्रतिबंध हटवाइये। केवल यह कॉन्फिडेंस दिखाने से कि वे अपने-आप हटा देंगे, काम नहीं चलेगा।... (व्यवधान) सरकार को प्रो-एक्टिव होने की जरूरत है और प्रो-एक्टिव होकर सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए यह प्रतिबंध हटवाइये। यही मुझे कहना है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इसे पार्टी लाइन पर मत ले जाइये।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, let us go back to Calling Attention.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Harsimrat Kaurji, please take your seat.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go in record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और वह है हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसकी समस्याएं।

... (व्यवधान)

* Not recorded

अध्यक्ष महोदया : आप बीच में मत बोलिये। बैठ जाइए। आज सदन उनकी समस्याओं पर बहस करने जा रहा है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। I do not want any disturbance when we are discussing the problems of *safai karamcharis*.

12.26 hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**Need to take adequate safety measures to protect the lives of Safai
Karamcharis (sewer cleaners) and provide health insurance cover to them**

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"सफाई कर्मचारियों (सीवर क्लीनर) के जीवन का संरक्षण करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने तथा उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किये जाने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI MUKUL WASNIK): Madam Speaker, the Government is cognizant of the issue of sanitation workers who have to perform hazardous work of cleaning sewers ...
(Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह तबका बहुत गरीब है, वह हिन्दी जानता है। इसलिए कृपया आप हिन्दी में बोलें। ... (व्यवधान)

SHRI MUKUL WASNIK: Madam Speaker, I will read the Statement in Hindi.

सरकार को ऐसे सफाई कामगारों के मुद्दे का संज्ञान है जिन्हें सीवर की सफाई का जोखिम भरा कार्य करना पड़ता है।

2. कार्य की स्थिति, नियोक्ता का दायित्व, कामगारों की क्षतिपूर्ति और वृद्धावस्था पेंशन सहित श्रमिक कल्याण संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 24 में शामिल है। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को इन मामलों में कार्रवाई करनी होती है।

3. विशेष रूप से सीवर सफाई कामगारों और सैप्टिक टैंक क्लीनरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफाई कर्मियों के कार्य करने की स्थितियों को विनियमित करने की

अभिस्वीकृत आवश्यकता है। सरकार मौजूदा श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन तथा यदि आवश्यक हो तो नया विधान अधिनियमित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना की जाँच कर रही है।

4. आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली नामक 6 राज्यों ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत सीवर तथा सैप्टिक टैंक कामगारों को अधिसूचित कर दिया है तथा इसलिए इन राज्यों में मृत्यु अथवा अक्षम होने की स्थिति में ये कामगार उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मुआवज़े के अधिकारी हैं। इस कवरेज को संपूर्ण देश में प्रदान करने के प्रयास किये जाएँगे।

5. यह भी आवश्यक है कि जोखिम भरे सफाई कार्य में लगे कामगारों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य को मौजूदा श्रमिक कानूनों और अन्य साधनों के ज़रिये भी हासिल करने के प्रयास किये जाएँगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाएगा।

6. सरकार ने सफाई कर्मचारियों सहित असंगठित कर्मचारियों जीवन और विकलांगता, स्वस्थ और मातृत्व लाभों और वृद्धावस्था संरक्षण को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने संबंधी योजनाओं के लिए असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों द्वारा कल्याण योजनाएँ तैयार करने की भी व्यवस्था है।

7. असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पाँच का एक यूनिट) के लिए 30 हजार रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के लिए आरएसबीवाई प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के लिए 1.10.2007 को आरंभ की थी। ऐसे कर्मचारी जो बीपीएल श्रेणी में हैं, इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जा रहे हैं।

8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सीवर कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारियों के हितों की मॉनीटरिंग और संरक्षण का कार्य करता है। इसकी सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

9. सरकार विभिन्न उपाय करते हुए, माननीय सदस्यों से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुमूल्य सुझावों की प्रत्याशा रखती है। सरकार अपना दायित्व पूरी तत्परता से निभाने का प्रयास करती रहेगी।



श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने समाज के सबसे शोषित और वंचित वर्गों के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जो अनुमति दी है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अध्यक्ष जी, यह समाज का वह तबका है जिसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी कहा जाता है। लेकिन मैं उसको वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसायटी, सबसे कमज़ोर तबका कहता हूँ। अभी गीता की बात भी आयी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषुकदाचनः -यह गीता का उपदेश है। लेकिन जो गटर में काम करने वाले लोग हैं जो सीवर प्रणाली में काम करने वाले लोग हैं, उनको अपने जन्म के आधार पर यह घृणित कार्य करना पड़ता है और उसको काम का वह फल नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए। हालांकि गीता में कहा गया कि फल की इच्छा मत करो। वह फल की इच्छा नहीं करता लेकिन सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए थी। मैं एक घटनाक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार ने इन वर्गों की चिन्ता नहीं की। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है "वी द पिपुल ऑफ इण्डिया", "हम भारत के लोग"। अभी अन्ना जी और अन्ना टीम के लोगों ने इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में खूब कहा, मीडिया में भी आया कि हम भारत के लोग हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की परिकल्पना इस प्रस्तावना में की गयी है। संविधान की प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि इस परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने वाली बंधुता का उल्लेख किया गया है। इस प्रस्तावना में बहुत-सी चीज़ों का उल्लेख है। इसमें बहुत पूर्ण बातें कही गयी हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में अपूर्णता नज़र आती है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद पन्द्रह में यह साफ-साफ कहा गया है कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद सत्रह में छुआछूत को समाप्त किया गया और उसके बाद सरकार ने दो कानून बनाए - नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989। लेकिन फिर भी मैडम स्पीकर, यह सुनने में आता है कि दलितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन लगातार जारी है। सरकार भी नहीं चेती और न ही सरकार गंभीर हुई।

एक दिल्ली बोर्ड का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में गया। वर्ष 2005 और 2006 में सेन्टर फोर एजुकेशन एण्ड कम्युनिकेशन ने सीवर सफाई मजदूरों के काम करने के हालात, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी। उसी सर्वेक्षण के आधार पर नेशनल कैम्पेन फोर डिग्निटी एण्ड राइट्स ऑफ सीवरेज एण्ड एलाइड वर्कर्स ने ...(व्यवधान) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। इसमें दिल्ली जल बोर्ड ने कहा

कि ये ठेकेदारों के मजदूर हैं, हमारे नहीं। इसमें जो फैसला आया, उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि चाहे मजदूर ठेकेदारों के क्यों न हों, आपको इन्हें मुआवज़ा देना पड़ेगा और न्यायालय में मुआवज़ा राशि तय कर दी। मैं आपके माध्यम से इस पूरे तंत्र को यह कहकर झकझोरना चाहता हूँ कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो फिर दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ़ उच्चतम न्यायालय में अपील करने क्यों गया? उन्होंने मुआवज़ा क्यों नहीं दिया? यह कैसा तंत्र है?

यह कौन सी संवेदनशीलता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और फिर उसके खिलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि मुआवज़ा देना दिल्ली जल बोर्ड का काम नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की इसी टिप्पणी का, ये दिल्ली जल बोर्ड के कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने फाइल चलाई होगी, किसी प्रोसिक्युशन विंग की टिप्पणी भी ली होगी, विधि विभाग में भी मामला गया होगा। क्या इतनी संवेदनशीलता सरकार को पता नहीं है। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह बहुत खतरनाक थी। जब बहस हो रही थी तो उस समय भी कुछ वकीलों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल करने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने इतने एक्ट बना दिए। अभी मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे कि हम इस विषय को कंकरेंट लिस्ट में ले आए हैं। 24 नम्बर पर ले आए हैं। सरकारों को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई। वकीलों, दिल्ली जल बोर्ड और सरकार को भी चेताया। उन्होंने जो कहा, उसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि "यह किस तरह का सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं, उनमें क्या संवेदनशीलता नहीं है। जो गरीब होने के कारण मजबूरी में विकट परिस्थितियों में ऐसे कठिन काम करते हैं। एक तरफ़ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए लोगों को मुआवज़ा देती है और जो काम करते हैं, इस देश की सफाई करते हैं, उनको मुआवज़ा देने के लिए इनकार करती है। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जब सरकारें ऐसे संवेदनशील इश्यु पर भी नहीं चेतेंगी तो हम हस्तक्षेप करते रहेंगे। ये डिबेट चली, मीडिया में भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दखलअंदाजी कैसे की? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार संवेदनशील है या नहीं?"

मंत्री जी अभी 1993 का जिक्र कर रहे थे, जब मैंने इस प्रश्न को उठाया। मैं एक अन्य चीज भी कहना चाहता हूँ, हम इसे पिछले मानसून सत्र में लाए तो यह कहा गया कि यह शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। अब जब हम इसे अब लाए तो ये कह रहे हैं कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। मेरा प्रस्ताव भी ठोकरें खाते-खाते दो मंत्रालयों में अटक रहा है तो सीवरेज़ कर्मचारियों की

जो मुआवजे की राशि है, पता नहीं ये कितने मंत्रालयों में अटक रहा होगा, उसे कितनी ठोकरें खानी पड़ती होंगी। सरकार के मंत्रालयों में कोआर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1993 में शहरी विकास मंत्रालय ने एक मेनुअल तैयार किया, जिसका नाम है - **Manual on Sewerage and Sewage Plants published by the Ministry of Urban Development, 1993 provides guidelines on maintenance of sewerage system and various precautionary measures and safety equipment for sanitation workers.** 1993 में ये मेनुअल इन्होंने प्रकाशित किया। अब तक सरकार क्या कर रही थी? क्या इस मेनुअल के बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों फटकार खाई और फटकार खाने के बाद भी, मैं आपको एक अन्य चीज बताना चाहता हूँ, हाईकोर्ट का डिजीजन आ गया, फिर इन्होंने कहा कि कैसे करेंगे, यह होगा या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिजीजन आ गया, फिर इन्होंने एक कमेटी बना दी। मंत्री जी को पता नहीं जानकारी है या नहीं, इस कमेटी की अभी तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। उसमें एक रिटायर्ड आईएस ऑफिसर आता है, जो इसकी अध्यक्षता करता है। वह प्रत्येक मीटिंग का पांच हजार रुपए लेता है। गरीब को मुआवजा नहीं देते हैं और उसे पांच हजार रुपए प्रत्येक मीटिंग का दे रहे हैं और सीवरेज कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति तय नहीं कर रहे। यह कैसी सरकार है, यह बात समझ में नहीं आती है?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसी सदन ने 1993 में एक कानून पास किया था, भारत सरकार ने कानून बनाया। जिसके तहत यह कहा गया कि हाथ से मैला ढोना और हाथ से मानव मल-मूत्र की सफाई करने की कुप्रथा को समाप्त किया जाता है। इसी संस्था ने यह सर्वे किया, अभी मैं इसी का जिक्र कर रहा था। **Centre for Education and Communication**, सीवर सफाई पर सर्वे किया। उन्होंने यह माना कि अभी भी देश में 13 लाख लोग, खासकर उसमें महिलाएं और दलित हैं। अभी भी वे मानव मल-मूत्र की सफाई करते हैं और अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। सरकार के आंकड़े खुद कहते हैं कि 13 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं, तो क्या मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे, तब यह बताएंगे कि आपने एक हलफनामा उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था और राज्यों की सरकारों को चीफ सैक्रेटरीज़ से कहा था कि कह दीजिए कि हमारे यहां यह प्रथा बन्द हो गई है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, हमारे आगरा से एक सांसद रमाशंकर जी आते हैं, उन्होंने भी यह विषय उठाते हुए कहा था कि आगरा में अभी भी मैला उठाने की प्रथा है, यह कुप्रथा चल रही है, हाथ से सफाई हो रही है। एक प्रश्न के जवाब में जो

रेल मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न था, उसमें एक जवाब में मंत्री जी ने माना कि हां, मैं मानता हूं कि रेलवे में अभी भी हाथ से मल-मूत्र की सफाई होती है।

अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जब आपने 1993 में कानून बना दिया, 1993 में एक मैनुअल बना दिया तो सरकार अभी तक चेती क्यों नहीं? सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, यह भी पता नहीं चल रहा है क्या सफाई कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है? मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, मुझे यह पीड़ा क्यों हुई, मैंने यह इश्यू क्यों उठाया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह रेगिस्तानी इलाका है। हमारे यहां कुछ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण शहरों में, छोटे शहरों में और गांवों में एक कुई खोदते हैं। हमारे राजस्थान के लोग जानते होंगे, जो यहां बैठे हैं, वे कुई खोदते हैं।... (व्यवधान) हमारे साथी हैं, बहुत बढ़िया है। कुई खोदते-खोदते कभी-कभी वह कुई ढह जाती है तो वह जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसकी मौत हो जाती है। मेरे सामने भी ऐसा एक केस आया। उन्होंने कहा कि यह सीवरेज सिस्टम में काम करता है, कुई खोद रहा था, इसकी डैथ हो गई, इसको कुछ मुआवजा दिया जाये। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, मैंने विकास अधिकारी से बात की तो मुझे क्या जवाब मिला। मुझे यह जवाब मिला कि ये गैरकानूनी काम कर रहे थे, यह सरकारी जवाब है कि ये गैरकानूनी काम कर रहे थे। मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या गैरकानूनी काम था, आप क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस मालिक ने कहा था कि आप एक कुई खोद दो, जिससे मेरे घर का जो कचरा है, मल-मूत्र है, वह इसमें समा जाये, जो 8-10 साल में भर जायेगा तो फिर एक दूसरी कुई खोद लेंगे। अब सीवरेज सिस्टम तो गांवों में है नहीं, छोटे-छोटे कस्बों में भी नहीं है। उसका मकान मालिक अपने घर में सफाई रखने के लिए देखता है और एक कुई खुदवा लेता है और जब वह कुई खुदवाता है और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वह असंगठित क्षेत्र का मजदूर होता है या तो वह बाल्मीकि समाज का होता है या वह इतना भूखा होता है कि उसको पेट पालने के लिए इस काम को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर उसको सरकार यह कहती है कि आप गैरकानूनी काम कर रहे थे। मुझे तो उस जवाब पर शर्म आती है कि कैसे उन्होंने कह दिया कि गैरकानूनी काम कर रहे थे और उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

अभी मंत्री जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर रहे थे। उसकी भी मैंने उनसे बात की, बोले कि यह उन पर लागू नहीं है, फिर वह किस पर लागू है? बोले, यह उन पर लागू नहीं है और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला, इसलिए मुझे पीड़ा हुई और मैंने कई बार अध्यक्ष जी आपसे व्यक्तिगत सम्पर्क करके कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं। मैं आपको धन्यवाद

देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय को इस ऑगस्ट हाउस में उठाने की मुझे अनुमति दी। मेरे सब साथी भी इस समय गम्भीर होकर सुन रहे हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार क्या कह रही है कि हमने इसको समवर्ती सूची की एण्ट्री 24 में डाल दिया है। मंत्री जी, उसको एण्ट्री नं. 24 में डालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, जो गटर में काम करते हैं, उनको सेप्टी के उपकरण उपलब्ध कराने पड़ेंगे, उनको ऑक्सीजन मास्क देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप ये उपकरण क्यों नहीं दे रहे हो तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कहा कि उपकरण देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है तो फिर कौन से आदमी के लिए आपके पास बजट है? यह सरकार आम आदमी की बात करती है, आम आदमी के नाम पर सत्ता में आती है और फिर आम आदमी को ही नकारने का काम करती है, यह ठीक नहीं है। यह बात केवल राजस्थान की नहीं है, देश भर की पालिसी बनने की बात है, जो घरों की सफाई करते हैं, जो पूरे देश में सफाई करते हैं, जो मजबूरी में ऐसा घृणित कार्य करते हैं, लेकिन पेट भरने के लिए करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम नागरिकों की डिगनिटी को ध्यान में रखेंगे, उनकी बंधुता को बढ़ायेंगे, सामाजिक न्याय देंगे। उनको अब तक क्यों सामाजिक न्याय नहीं दिया जा रहा है? महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) मैं सुझाव दे रहा हूँ।



अध्यक्ष महोदया : आप इधर संबोधित करिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, मैं सुझाव पर आ रहा हूँ। मैंने जैसा बताया कि सर्वे में करीब तेरह लाख इनकी संख्या है, हो सकता है कि इनकी संख्या ज्यादा हो, पहला तो मेरा यही सुझाव है कि सरकार एक प्रॉपर सर्वेक्षण कराए कि कितना आंकड़ा है, जो अभी भी हाथ से सफाई का काम करते हैं? यह आंकड़ा सही होना चाहिए। यह बीपीएल की लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए कि वह लिस्ट अभी भी तय नहीं हुयी कि कितने बीपीएल हैं? यह बीपीएल की लिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए, इस पर कमेटी पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप नगर पालिकाओं से सूची ले सकते हैं, जो इस सेक्टर में काम करने वाले एनजीओज हैं, उनसे सूची ले सकते हैं, चाहें तो आप मंबर आफ पार्लियामेंट से भी सूची ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट की कमी है तो हम आपको सर्वे करके दे सकते हैं, क्योंकि इस परोपकार के कार्य के लिए अपनी सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। हम सरकार को सर्वे करके दे सकते हैं कि कितने सफाई कर्मचारी हैं, जो अभी हाथ से मैला ढोते हैं। एक तो इनका सर्वेक्षण प्रापर हो, कोई तेरह लाख कह रहे हैं, कोई बीस लाख कह रहे हैं, कोई तीस लाख कह रहे हैं, ये कितने लोग हैं? उनके लिए एक पॉलिसी बने।

जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के बारे में कह दिया कि उसका लाभ लो, ऐसा नहीं, इनके लिए अलग से एक पॉलिसी बननी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने काफी चीजें रिकमेंड की हैं, मंत्री जी को जानकारी भी होगी, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इनको सुरक्षा कवच चाहिए, जो सिवरेज में काम करने वाला आदमी है। जैसे ही आपने इस चर्चा की मंजूरी दी, दिल्ली में मैंने जाकर भी देखा। मैंने एक मजदूर से पूछा कि आप कैसे काम करते हो? उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह के यंत्र या उपकरण नहीं मिलते हैं। हम जैसे ही गटर में घुसते हैं, तो शरीर पर सरसों का तेल लगा लेते हैं। मैंने पूछा कि बस इतना ही समान है। वह बोला कि कच्छ, बनियान पहने हुए शरीर पर सरसों का तेल लगाकर अंदर घुस जाते हैं। वहां जहरीली गैस होती है। कई बार मजदूर गैसों के कारण मर जाता है। सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि अस्सी परसेंट सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु से पहले ही मर जाते हैं। अध्यक्ष जी, यह कितना गंभीर मामला है कि उनकी रिटायरमेंट की आयु साठ वर्ष होती है, लेकिन कोई 45 या 50 वर्ष की आयु में मर जाता है। ये एक्सीडेंट से मरने वाले नहीं हैं, एक्सीडेंट से मरने वाले अलग हैं। एक्सीडेंट से मरने वालों पर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि जल बोर्ड ने मना किया था, उसने कहा था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं, वह संख्या तो तीस है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संख्या दिल्ली में तीस नहीं साठ है। बड़े शहरों में इनकी संख्या हजारों में होगी। मैं जो एक्सीडेंट से मर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं उनके बारे में कह रहा हूं, जो गैस के कारण मर जाते हैं। जो अंदर गए, उनको एक ऐसी स्किन डिजीज हो गयी, उसके बाद उनके घर वाले भी उसके नजदीक नहीं आते हैं कि तुम्हें तो बीमारी हो गयी, वे तो ऐसे ही मर जाते हैं। वह जो संख्या है, वह कितनी है, इसकी जानकारी भी ली जाए। उनके लिए अलग से एक योजना लायी जाए।

दूसरा, इनके जितने भी सुरक्षा कवच हैं, चाहे ऑक्सीजन का मास्क हो या दूसरे उपकरण हों, अभी मैं उनके पास देखकर आया कि एक फावड़ा है, एक रस्सी है और एक सरसों के तेल की शीशी उनके पास है, बस इतना लगाकर वे अंदर घुस जाते हैं। ...(व्यवधान) उनके पैर में जूते भी नहीं हैं। हैंड ग्लब्स नहीं हैं, पैर में न जूते हैं न ऑक्सीजन मास्क है, जितने भी सुरक्षा उपकरणों की जरूरत है ये उनको मिलने चाहिए। हांगकांग में एक संस्था है, वह अच्छा काम कर रही है। हांगकांग में सिवरेज सिस्टम बहुत बढ़िया हैं। उसका अध्ययन भारत सरकार क्यों नहीं कर सकती है? उसका अध्ययन मंत्री जी क्यों नहीं कर सकते हैं? विकसित देशों में सिवरेज में मेकैनिकल सिस्टम लागू हो गया है। मेरा दूसरा सुझाव है कि क्या आप इन को हाथ से काम करने देंगे या इनका सिस्टम मेकैनिकल करेंगे? क्योंकि जब तक आप इन को मेकैनिकल उपकरण उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होगी। जो संस्था है उसको भी



कम्प्लेशन करिए कि वे भी मेकैनिकल उपकरण से ही कार्य कराएंगे, वह चाहे कोई ठेकेदार हो या जलबोर्ड हो। मेरा अगला सुझाव है कि उनका बीमा कवर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, it is not sufficient. मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन के लिए अलग बीमा योजना हो। वे कितना घृणित कार्य करते हैं तो क्या इनके लिए आप एक अलग बीमा योजना नहीं ला सकते हैं? आपने इसे एमाउण्ट के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बीपीएल होना चाहिए। मंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे। यह काम करने वाले कई लोगों का नाम बीपीएल की सूची में नहीं होता है। ये काम तो ऐसा करते हैं लेकिन BPL सूची सही नहीं बनती है। इसलिए वे बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे बीपीएल नहीं होते तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे फ़ैसले में यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है “एक तो हंगर लिस्ट होनी चाहिए और एक बीपीएल लिस्ट होनी चाहिए। इस देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लो।” यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं आप के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इनके लिए अलग से बीमा योजना लागू होनी चाहिए। इनके लिए अलग से आवास योजना लागू होनी चाहिए। अभी मैं दिल्ली की एक बस्ती में गया तो देखा कि एक टप्पर सा लगा हुआ है उसमें ये लोग रह रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई मकान ही नहीं है। उनके लिए अलग से मकान, अलग से बीमा योजना और जितना भी सुरक्षा कवच है, सभी दी जानी चाहिए। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वह साधारण काम नहीं है। एक शायर ने इनके बारे में लिखा है। वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है। वाल्मिकी समाज के लोग हों या ठेकेदारों के माध्यम से जिन को भूख लगती है, व भूख मिटने का और कोई साधन नहीं है जो इस काम में लग जाते हैं असंगठित क्षेत्र उनके लिए शायर ने लिखा है कि "इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है, इनका अंदाज ही निराला है। लोग जिन हादसों से डरते हैं, इनको उन हादसों ने पाला है।"

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं कन्क्लूड ही कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली बार मंत्री जी ने जवाब दिया कि हम ने इनकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में प्रकरण भेज दिया है। मैडम, प्लानिंग कमीशन से लोगों का भरोसा अब उठ रहा है। वह 24 रुपये और 32 रुपये की बातें करते हैं। आप इनकी योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन में मत भेजो। एक छोटी कमेटी बना कर, इसे मेकैनिकल करने का वादा सरकार करे। तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ कि जेएनएनयूआरएम एक योजना है। क्या इस काम को आप जेएनएनयूआरएम से नहीं जोड़ सकते हैं? यह शहरों के सिवरेज प्रणाली से संबंधित है। अभी तक इस को आपने जेएनएनयूआरएम से जोड़ा नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार इसे

जेएनएनयूआरएम से जोड़े और अगर जलबोर्ड या किसी के पास बजट कम है तो बजट उपलब्ध कराए। इन्हें बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ने के साथ-साथ रेलवे में भी हाथ से मैला ढोने की जो परम्परा है उसे भी समाप्त करें। मैं मानता हूँ कि यह सरकार के लिए चुनौती है लेकिन दुष्यंत कुमार जी ने ठीक कहा है कि "यह पीर, हो गई है पीर पर्वत-सी अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए"।

अध्यक्ष महोदया : बहुत अच्छा। अब आप समाप्त कर दीजिए।


श्री अर्जुन राम मेघवाल : "आग मेरे सीने में न सही, आप के सीने में सही। जहां कहीं भी हो आग, आग लगनी चाहिए।" सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि कॉलिंग अटेंशन ला कर सरकार को खींचूं। मेरा यह मकसद हो भी सकता है लेकिन मेरी कोशिश है कि सिवरेज कर्मचारियों की सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : आपका नाम बैलेट में नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने पिछली बार भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदया : ऐज ए स्पेशल केस, आप एक सवाल पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पिछली बार यह ध्यानाकर्षण मेरे नाम से आया था, लेकिन आखिरी वक्त पर चूंकि संसद का सत्र समाप्त हो रहा था इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अर्जुन मेघवाल जी ने जो बातें उठाई हैं, मैं उनसे अपने को समबद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि इन लोगों की संख्या लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय को सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्रालय से ही नहीं, बल्कि  री विकास मंत्रालय और जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिनुअल मिशन के साथ भी जोड़ना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि नगर पालिकाओं, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जो टाउन एरियाज हैं, उनसे भी ये लोग सम्बन्ध रखते हैं। चाहे गटर हो, सुक्ता हो या गड्ढे हों, ये लोग बड़ा जोखिम भरा काम करते हैं और समाज से बहुत उपेक्षित रहते हैं। यहां तक कि इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, छुआछूत भी मानते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे मन में दर्द और पीड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग गांवों में बस्ती के किनारे, उत्तरी क्षेत्र में झोंपड़ी या मकान बनाकर रहते हैं। इन्हें हैंडपम्प पर पानी नहीं पीने दिया जाता है। जब पूरा गांव पानी भर लेता है, तब वह बेचारा अंतिम छोर का व्यक्ति, वाल्मीकि समाज का हरिजन आकर वहां से पानी भरता है। यह स्थिति आज है और यह इनकी दुर्दशा है। जब ये लोग पानी भर लेते हैं, तो उस

हैंडपम्प को धोया जाता है, तब दूसरे लोग पानी पीते हैं। हमारे माननीय नेता जी कहते हैं कि अगर कोई चीज ये लोग छू भी लें तो उसे सोना डालकर, पानी डालकर शुद्ध करके इस्तेमाल करते हैं। इतना उपेक्षित और घृणित समाज इन्हें समझा जाता है। इनके बच्चों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार और आवास की समस्या बहुत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि इन्हें सुरक्षा कवच मुहैया कराया जाए।

यह बात भी सत्य है कि हममें से कई लोग गांव या शहरों में जब गटर में इन्हें जाना होता है, तो इन्हें शराब पिला दी जाती है और फिर इन्हें गटर में सफाई के लिए उतारा जाता है। यह बात अर्जुन मेघवाल जी ने नहीं बताई, मैं बता रहा हूं। हम लोग जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ी सी शराब पिलाकर उन्हें गटर में उतारते हैं, जहां पर उन्हें होश-ओ-हवास नहीं रहता और कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लागू करने की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए सरकार अलग से एक कारगर नीति बनाए और विशेष बीमा योजना के तहत इन्हें शामिल करके इनके स्तर को सुधारने की बात माननीय मंत्री करेंगे, इतना ही मैं कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, यह कोई प्रश्न काल नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक: अध्यक्ष महोदया, मैं अर्जुन मेघवाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव सदन में रखा और जिसकी आपने अनुमति दी। इसी कारण आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर सदन में चर्चा होना सम्भव हो पाया है। जिस भावना से, जिस पीड़ा से, जिस दर्द से माननीय सदस्य अर्जुन मेघवाल जी ने सारी परिस्थितियों का वर्णन किया, मैं उनकी बात से अपने आपको जोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा का असर इस तरह से हो कि सफाई कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर होने में इस चर्चा का लाभ निश्चित तौर से मिल पाए।

सिर पर मैला ढोने के संदर्भ में यहां पर चर्चा हुई। यह कहा गया और जानकारी इस तरह की भी है कि देश में करीब 13 लाख लोग सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों से जो जानकारी केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1,16,000 के करीब इनकी संख्या है।...(व्यवधान) आप कृपया सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि यहां पर किसी भी तरह से सरकार या विपक्ष में ऐसे विषय पर चर्चा न हो तो बेहतर होगा। जिस भावना से यहां सिर पर मैला ढोने वाले कर्मचारियों की स्थिति पर बात हुई है, उस भावना से मैं भी

अपने आपको अलग नहीं रखता, हमारी भी वही भावना है। इसलिए प्रदेश सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,16,000 के करीब ऐसे व्यक्ति थे जो सिर पर मैला ढोने का काम किया करते थे।

13.00 hrs.

केन्द्र सरकार की एक योजना उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए शुरू की गयी और राज्य सरकारों के माध्यम से जहां पर उन्होंने कुछ स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज नियुक्त कीं, उन एजेंसीज के जरिये सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया गया। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय स्पीकर महोदया कि जब आप इसी मंत्रालय में मंत्री की हैसियत से जिम्मेदारी संभालती थी तो जितनी जिम्मेदारी से आपने इस काम को संभाला, उससे मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए बहुत गति प्राप्त हुई और पूरे कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का काम हुआ। ... (व्यवधान) राज्य सरकारों से समय-समय पर हमें जो आंकड़े आते गये, वे बड़े विचित्र स्वरूप के थे, अगर मैं यह कहूं तो वह गलत नहीं होगा। हर महीने-दो महीने में जो जानकारी आती थी आंकड़े कम होते थे, कहीं कोई मर गया, कहीं कोई लापता है, कहीं कोई नाबालिग है या कहीं पर कोई डिफाल्टर है, इसीलिए इस श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं, यह राज्य सरकारों से बात आने लगी। हमने राज्य सरकारों से कहा कि आप हमें आंकड़े मत दीजिए, ... (व्यवधान) I think, this is a very important issue, let us take it with extreme seriousness.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। Please don't disturb. Sit down, please.

श्री मुकुल वासनिक : हमने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया कि कृपया आप आंकड़े मत दीजिए, सूची दीजिए, यह बताएं कि कौन सा व्यक्ति मर गया, कौन सा लापता है, कौन सा नाबालिग है, कौन सा डिफाल्टर है? वह सूची मंत्रालय में प्राप्त हुई है, मंत्रालय की वेबसाइट पर है, पूरे प्रदेश के विभागों के वेबसाइट पर है, मैं समझता हूं कि उसे भी देखने की आवश्यकता होगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद और करीब 80 हजार लोगों के पुनर्वास का कार्यक्रम चल पाया तथा अन्य दूसरे लोग इस श्रेणी में नहीं आते, यह राज्य सरकार की जानकारी थी। मार्च 31, 2010 को सारे प्रांतों की सरकारों ने यह कहा कि अब किसी के पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है। माननीय अर्जुन मेघवाल जी कहते हैं कि कहीं-कहीं आंकड़े 13 लाख तक के भी बताए जाते हैं। नेशनल एडवाइजरी कौंसिल में इस संदर्भ में चर्चा हुई, यूपीए चेयर-पर्सन माननीय सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा। गरिमा नाम का एक एनजीओ है जो मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए काम करता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन नाम का एक दूसरा

संगठन है जो इन वर्गों के हितों के लिए काम करता है। उन्होंने भी हमें जानकारी और सूची दी कि इन राज्यों में, इन जिलों में यह व्यक्ति है, उसकी यह तस्वीर है जो आज भी मैला ढोने का काम करता है। हमने 24 घंटे के भीतर प्रदेश की सरकारों को यह जानकारी भेजी कि यह आज हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, कृपया इसकी तहकीकात कीजिए और वास्तविकता क्या है, वह हमारे पास भेजिये।

सर्वे की बात माननीय मेघवाल जी ने कही। नया सर्वे ऐसी स्थिति में जहां प्रदेश की कोई सरकार यह नहीं मानती कि आज भी पुनर्वास की आवश्यकता है, हमने फिर एक सर्वे कराने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में वह सर्वे शुरू होगा। लोकल बॉडीज इसमें शामिल की जाएंगी और जहां-जहां लोक प्रतिनिधियों को इसमें शामिल होना है, एनजीओज को शामिल होना है, उन्हें भी शामिल किया जाएगा ताकि ऐसा सर्वे आये, कि हमारे सामने वास्तविकता रहे कि कितने लोग आज भी हैं जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है।

हमारे दूसरे साथी माननीय शैलेन्द्र कुमार जी ने कहा कि सीवर में काम करते वक्त, गटर में काम करते वक्त इन कर्मचारियों को शराब पिलाई जाती है क्योंकि बगैर शराब पीये कोई ऐसे गंदे काम करने के लिए कोई खुद को नहीं डाल सकता है। ऐसी काम की परिस्थितियां, जिससे काम के संदर्भ में होने वाली परेशानियां, उनकी आयु घटने जाने की स्थिति, ये सारी परिस्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हम इन सभी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आज आवश्यकता है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे। अगर लोकल बॉडीज के अधीन ये कर्मचारी हैं तो लोकल बॉडीज को उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। जहां राज्य सरकार के अधीन हैं, वहां राज्य सरकार को करना होगा। जहां केन्द्र सरकार के अधीन हैं, वहां केन्द्र सरकार को करना होगा। मैंने शुरू के अपने वक्तव्य में यह बात कही थी कि इम्पलाईज कम्पनसैशन एक्ट को छः प्रांतों में इन कर्मचारियों के लिए लागू करने का काम हुआ, अन्य प्रांतों ने नहीं किया। मैंने मल्लिकार्जुन खरगे जी से अनुरोध किया है, क्योंकि यह कानून उनके दायरे में आता है, कि सिर्फ छः प्रांतों में ही क्यों? क्यों नहीं अन्य प्रांतों में भी इसे लागू किया जाता है? दूसरे प्रांतों में भी यदि लागू किया जाएगा तो जो स्टैच्यूटरी बेंनीफिट्स इम्पलाईज कम्पनसैशन एक्ट के तहत प्राप्त होते हैं, अन्य कर्मचारियों को, इन कर्मचारियों को भी वे प्राप्त होंगे, यह हमें करना होगा और हमें प्रदेश की सरकारों को बताना होगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में कहा गया है कि जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उनको ही इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त होता है, अन्य दूसरों को नहीं होता है। ये भी एक प्रस्ताव आज मल्लिकार्जुन खरगे जी के पास है कि सभी सफाई कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जोड़ा जाए। उस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसकी

जानकारी मुझे भी है।... (व्यवधान) वह सुझाव आज की चर्चा में आया है, उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन जो आज हो रहा है, उसके बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम यह मानते हैं, सामाजिक न्याय की यहां पर बात हुई, बुनियादी मानवीय अधिकारों की जहां पर रक्षा होती है, वैसी स्थिति में हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। सम्मान से जीवित रहने का अधिकार की अगर हम रक्षा कर पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि हम सामाजिक न्याय करते हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग अगर सम्मान से नहीं जी पाता है, उसको यह अधिकार हम मूर्त रूप से नहीं दे पाते हैं तो फिर हम उसके प्रति सामाजिक न्याय नहीं करते हैं। संविधान में यह अधिकार है, लेकिन वास्तविकता में अगर यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो हमें ध्यान देना होगा।

यहां प्रोटैक्शन ऑफ सिविल राइट्स, 1955 के कानून की बात हुई। शेडयूल्ड कॉस्ट एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, 1989 की बात हुई। ऐसा क्यों होता है कि आज के हिन्दुस्तान में भी 30-35 हजार घटनाएं इन कानूनों के बावजूद हर साल दर्ज होती हैं। इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों को बदलने का काम जो लोक प्रतिनिधि इस सदन में आते हैं, अगर इस काम में लग जाएंगे, केवल सरकार काम करने से ही नहीं हो सकता है, इसके लिए समाज को और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी।

कई सारे सुझाव चर्चा आए हैं, उन तमाम बातों में जाना सम्भव नहीं होगा, लेकिन सैनिटेशन के संदर्भ में जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय में टोटल सैनिटेशन स्कीम चली है, हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री के तहत जो लो कास्ट सैनिटेशन प्रोग्राम चला है, उसका भी असर यह प्रथा समाप्त करने की दृष्टि से निश्चित तौर पर होगा। रेलवेज के संदर्भ में भी यहां उल्लेख किया गया है। रेलवे से भी हम लगातार इस विषय पर बात कर रहे हैं और जो सर्वे मैनुअल स्कैवेंजिंग के संदर्भ में किया जाएगा, अगर रेलवे में भी कहीं होता है, तो उसका भी सर्वे इसमें अंतरभूत किया गया है।

माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिए हैं, कहीं वे लेबर मिनिस्ट्री से संबंधित हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अगर अर्बन डवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी एलिविएशन से संबंधित हैं, तो उनसे बात करेंगे और अगर कहीं प्रदेश की सरकारों से संबंधित है, तो उनसे भी बात करेंगे। मैं श्री अर्जुन मेघवाल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत पीड़ा से, बहुत जिम्मेदारी से आपने यहां इस विषय पर चर्चा कराई है, मैं समझता हूँ कि इसका लाभ निश्चित तौर पर हमें होगा।

)



अध्यक्ष महोदया : बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि जिस तल्लीनता और संवेदना से सदन में सभी सदस्यों ने इस चर्चा को सुना है और जिस प्रकार से चर्चा की गई है, समाज का जो सबसे दलित व्यक्ति है, दबा हुआ है, उसकी पीड़ा को उजागर किया गया है। उससे मैं समझती हूँ इससे सदन का वैभव और बढ़ गया है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप नोटिस दीजिए।

(Placed in Library, See No. LT 5899/15/11)

MADAM SPEAKER: Now, the 'Zero Hour', Shri H.D. Devegowda.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Speaker, I would like to draw the attention of the Government to the Land Acquisition Bill which has been promised by the very same House, by the Leader of the House himself. It is because, there are various legislations. The Union Government has got its own legislation for the various Departments at the Government of India level. ... (*Interruptions*)

13.11 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, those who are leaving, please do not speak on the way.

... (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : It is ultimately going to destroy the farmers by not only giving less compensation but also by taking extra land in the name of, so-called, foreign direct investment. My senior colleague Krishna *ji* is sitting here. For Bangalore Mysore Infrastructure Corridor project, 1,70,000 acres of land has been notified. I do not know whether it has come to your knowledge. It is only 18,000 acres or 18,800 acres but unfortunately 1,70,000 acres of land has been notified in the preliminary notification. Today, it has been misused by the project promoter. On the other day, I raised this issue when the issue relating to the Adjournment Motion came up. On that day, I was sitting on the back seat. I was so badly hurt how things are going on; 1,70,000 acres of land has been notified in the preliminary notification.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain decorum.

... (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA : They have already entered into Rs. 10 joint development agreement, Krishna *ji*, for Rs. 20 crore per acre of land which was given for Rs.10/ on lease basis per acre per year. You both, former Chief

Ministers are here; Mr. Kharge *ji* is here. I have given only one instance. I do not want to elaborate it. In the last Session itself, the Leader of the House, Mr. Pranab Mukherjee promised to introduce the Land Acquisition Bill. In this Session also, we have not heard about it. I would like to know whether the Government is interested to bring the Comprehensive Land Acquisition Bill. We want to know about the mind of the Government because you are going to protect the Yamuna Expressway farmers. Rajnath Singh *ji* went there; he protested; and he went to jail. Our young leader Shri Rahul Gandhi went there and protested it. But, in Karnataka, nobody bothers. With all due respect to the Chair, I would request, at least, let our senior Ministers – all the three of them are sitting here – respond on behalf of the Government as to when they are going to bring the Comprehensive Land Acquisition Bill to put an end to this type of illegal activities for the so-called real estate business. They mint money. For the so-called foreign direct investment road work agreement that you have signed, Rs. 2000 crore have not been spent. Already Rs. 8000 crore worth of land has been sold under the joint development agreement.

If anything is untrue, I am ready to take the punishment in this very House, whatever punishment you want to give me. I am sorry to say but the Government cannot neglect this issue. The promise that the Leader of the House has made must be fulfilled. Nearly 924 farmers have committed suicide in the last three months in Karnataka. Our friends are here and I am going to blame them.

I would like to thank Shri Advani *ji*, who took a firm decision to say goodbye and have a new man in Karnataka. I must compliment him for this.

I would humbly request and appeal the Government that either the Leader of this House or the Parliamentary Affairs Minister, who is also here and a good friend of mine, should bring a comprehensive Land Acquisition Bill in Parliament.

I would also like to request that farmers' issue should be discussed separately in this Session. There are three or four days left now. Many of us are coming from the farmers' community. Everyone is interested in this discussion.

Let us discuss the situation of farmers for two or three days. We know as to what is going on in Vidarbha. I do not want to make it an issue. Every one of us is concerned with the farmers. Please apply your mind according to your own promise and bring the Land Acquisition Bill in Parliament.

I want to sincerely express my thanks to the hon. Speaker for allowing me to have a Special Mention, particularly on this issue.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं श्री देवेगौड़ा जी की बात का भरपूर समर्थन करता हूँ। सदन के इस सत्र में और पिछले सत्र में भी कुछ ऐसे हालात बने कि लैंड एक्जुजिशन बिल और किसानों की दुर्दशा का सवाल नहीं आ पा रहा है। मैं इसी सवाल पर खड़ा हुआ हूँ। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करती है। सरकार खाद पर सब्सिडी देने का काम करती है। लेकिन हालात क्या हैं, आज डीएपी खाद की कीमत 960 रुपये यानी डबल हो गई है। पहले यह चार सौ रुपये थी और आज 960 रुपये हो गई है। यूरिया का भी यही हाल है। यानी कीमत 290 रुपये थी, लेकिन आज यह ब्लैक हो रही है, महंगी बिक रही है, नकली मिल रही है। इन सारी दिक्कतों के बावजूद देश के लोगों ने भरपूर फसल उगाई है, भरपूर उत्पादन किया है। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घोषित किया है। आपने धान का एमएसपी 1050 रुपये घोषित किया है। लेकिन इसकी खरीद कहां-कहां हो रही है, जिन इलाकों में पानी है, आसपास के इलाके हैं, वहां इसकी खरीद हो रही है। थोड़ी बहुत पंजाब, हरियाणा में हो रही है, लेकिन वह भी बहुत बुरी हालत में है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him. No prompting please.

श्री शरद यादव : ये सारे किसान लोग हैं, मुझसे ज्यादा इन्हें दिक्कत और तकलीफ है, क्योंकि ये गांव-गांव से आते हैं। देश भर में आपने सर्व शिक्षा अभियान घोषित कर दिया। गजब सरकार है। अभी एक और बिल आने वाला है, फूड सिक्योरिटी बिल। कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए मनरेगा शुरू की है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतने दिनों से हिंदुस्तान के किसानों के साथ इस तरह का घात है। ऐसी मुश्किल है कि उसे पता चल जाता है कि धान का दाम 1050 रुपया है और वह जाता है 1150 रुपया है। वह जब जाता है तो 600-700 रुपये, बिहार में तो और बुरी हालत है, उत्तर प्रदेश में और बुरी हालत है, मध्य प्रदेश में उससे बुरी हालत है, बंगाल में उससे भी बुरी हालत है। अरे भाई, अच्छा पाखण्ड है, यह अजीब पाखण्ड है। शरद पवार जी चले गए हैं, क्या वह जानते हैं कि कपास और गन्ने के किसान जो कौश क्रॉप वाले हैं उनकी क्या हालत है? आलू की क्या हालत है? आलू छाती पर रखने के लिए एक समस्या हो गई है। आलू रखे कहां, यह समस्या हो

गई है। खेत में डालें कहां, यह समस्या हो गई है। मतलब कि कैंश क्रॉप का भी बुरा हाल है। किसान सोचता है कि कैंश क्रॉप से थोड़ी बहुत जिंदगी चल जाएगी लेकिन वह भी बुरी हालत में है। आपने बाजरे के 960 रूपये घोषित किए हैं। अभी मैं जयपुर से आया हूँ, वहां 600-700 रूपये में बाजरा बिक रहा है। इतने दाम में क्यों घोषित किया है? ज्वार, बाजरा का दाम क्यों घोषित किया है? पाखण्ड बंद करो, जो सच है उसकी बात करो। क्यों पाखण्ड कर रहे हो, क्यों देश के लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, क्यों ऐसी बुरी हालत कर रहे हो? आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देवेगौड़ा जी ठीक कह रहे हैं कि किसानों के सवाल को हम लोग उठा नहीं पाते हैं। 27 लाख हैक्टेयर जमीन लोग मिट्टी के भाव ले गए। आपका लैण्ड एक्जुजिशन बिल आना था, वह नहीं आया। पिछली बार कहा गया था लेकिन नहीं आया। अजीब बात है। एक से एक आप हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ का पाखण्ड करते हो। एक तो जैसे ही किसान मारा जा रहा है और दुखी क्यों करते हो? वह प्लान करता है 1150 के लिए, फिर वह आत्महत्या करता है। हिंदुस्तान में जितना किसान मर रहा है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हजारों वर्षों में हिंदुस्तान के किसानों पर बहुत विपत्तियां आई हैं लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। आज ऐसा दौर आया है कि वह आत्महत्या कर रहा है। आप जो बात कहते हो वह जमीन पर नहीं आती है। सभापति जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, Sharad Yadavji has raised a very important issue. I associate myself with this issue.

MR. CHAIRMAN: Okay, your name will be associated. Kindly send a slip on the Table.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat. I will give you a chance.

Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में वहां के 16 जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गयी है। जो सभी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय ने इन जजों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे राज्य सरकार ने

* Not recorded

बिना जांचे-परखे आंख बंद कर अपनी मुहर लगाकर स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं यह बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय ने इन जजों को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा था, जिसमें न तो सेवानिवृत्ति का कारण भेजा गया और न ही इन सभी जजों का सर्विस रिकॉर्ड भेजा गया।

मैं सदन का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी ग्रुप ए, बी, सी और डी में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में आरक्षण व्यवस्था का न होना है। देश के कुल 18 उच्च न्यायालयों में से 16 उच्च न्यायालय अलग-अलग तरीके से स्वयं के बनाए आरक्षण नियम का पालन करते हैं, बाकी बचे दो उच्च न्यायालय दिल्ली व मुंबई उच्च न्यायालय, जो देश के सर्व-प्रमुख हैं, ने पिछले 61 वर्षों से आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया है। आरक्षण को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में असमानता व्याप्त है, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस विषय को मुख्य न्यायाधीशों की कान्फ्रेंस में नहीं उठाया गया और न ही विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इन सभी से हटकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी उच्च न्यायालय के कर्मियों एवं जजों को दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है।

अतः सभी उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मैं माननीय न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कार्यवाही करें और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Mr. Chairman, thank very much for giving me an opportunity.

Sir, through you, I wish to present to this Government an issue of national importance, that is, the plight of the nursing community, which has so much aggravated and it has come to the sharp focus of even the hon. Supreme Court of India. The hon. Supreme Court of India has taken a stern view on this issue. The nurses, after studying for more than four-and-a-half years, get a degree and they are treated as bonded labourers in various hospitals. Private hospitals have become a great source of commercial profit making industry. There the least paid are the nursing community. They are paid Rs.3,000 or Rs.4,000 or Rs.5,000, and above all, all their certificates from 10th standard onwards are captured by the management.

They are not given free. When they want to leave the hospitals, they are treated just like slaves and their certificates are not being given. The hon. Supreme Court has taken a stern view of this matter also.

Mr. Chairman, if I pass a degree, if I pass my 10th standard, all the certificates of my educational qualification are my privileged right. So, no hospital authorities have got any right to confiscate their certificates. It amounts to theft. Now, in these circumstances, when the nursing community is doing a great service in the field of health, the Government should take a stern step, formulate an expert panel to study the plight and problems of these nurses all over India and chalk out a programme to redress their grievances. In all the metros, they are facing problem. With these words, I conclude. Thank you so much.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, I am also associating with the matter raised by him.

13.29 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to formulate new mass rapid public transport schemes for North East Delhi Parliamentary Constituency

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): वर्तमान जनगणना के अनुसार राजधानी दिल्ली का उत्तर-पूर्वी जिला देश में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जिला है। इस क्षेत्र में यातायात सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। इस क्षेत्र में मेट्रो की दो अलग-अलग हिस्सों में सेवाएं दिए जाने हेतु योजना तैयार की जानी चाहिए और सोनिया विहार व हर्ष विहार के पीछे से वजीराबाद रोड़ के समानांतर एक बाईपास निकाला जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भारी यातायात बाहर-बाहर ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आता-जाता रहेगा और वजीराबाद रोड़ पर यातायात का दबाव भी कम होगा। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यहां के लोगों के लिए नौकरी के अधिक अवसर सुलभ कराए जाने हेतु भी एक योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे कुछ लोग उन क्षेत्रों में ट्रांसफर हो सके।

इस क्षेत्र में एक अन्य बड़ी समस्या वजीराबाद पुल के दोहरे लेन की भी है। यहां सिग्नेचर पुल बनाने पर 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इतनी राशि में कई पुल बनाए जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप 2 या 3 पुल बनाकर बाकी धनराशि को क्षेत्र के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के सर्वाधिक घनी आबादी वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास हेतु उपरोक्तानुसार कार्य याना तैयार करके उसे शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु जरूरी कदम उठाए।

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to provide pension to ex-servicemen who left their jobs due to compelling domestic circumstances or in compliance with Government orders before the mandatory period of service to earn pensionary benefits

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): I would like to draw the attention of this august House towards the grievances of the non-pensioner ex-servicemen of our country. At present, these ex-servicemen who have been discharged/retrenched on becoming surplus in the service, or on own request for V.R.S. due to domestic compulsions, or declared 'service no longer required' before completion of 15 years of service in the forces, are not eligible for pensionary benefits. The minimum service in case of civilian government employees to avail of pension both at the Centre and some of the States was earlier fixed as 20 years, which has reduced to 10 years now, whereas no review has been undertaken in case of soldier's eligibility. The soldiers are the ones who deserve this benefit the most, as it is their dedication to duties that enables the rest of the country to sleep peacefully at their homes with their loved ones. They ensure security of the country by serving under difficult conditions, sacrificing all luxuries during the fruitful part of their lives. I urge upon the Government to take cognizance of the Armed Forces Tribunal, Regional Bench, Kochi's direction dated 4th April, 2011, to the Union Government to consider each of the issues raised by Ex-servicemen Non-pensioner Association in a sympathetic manner. An expert committee should be set up to find reasonable and satisfactory solution as expeditiously as possible but not later than six months from receipt of their order. In my opinion, this critical issue is lying unaddressed till date. I would urge the Government to consider the legitimate plea of those ex-servicemen and take urgent steps to reduce their pensionable service to 10 years from the existing 15 years of service and to address their other pending legitimate demands at the earliest.

(iii) Need to formulate a comprehensive plan to provide better rail, road and air connectivity to Buddhist tourist places in Uttar Pradesh and Bihar

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): विश्व के बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था के केन्द्र भारत में है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु, निर्माण स्थल कुशीनगर, ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, प्रथम दीक्षा का उद्बोधन स्थल सारनाथ तथा वर्षों तक वर्षा ऋतु में रहने का स्थल सहेत-महेत सहित यह सभी स्थल बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था एवं आकर्षण के केन्द्र हैं। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि आजादी के 6 दशक बाद भी बौद्ध पर्यटन से संबंधित यह स्थल राजमार्ग, रेल मार्ग एवं संसाधनों के अभाव में आज भी उपेक्षित पड़े हुए हैं।

समुचित सुविधाओं के अभाव में विश्वभर में फैले बौद्ध धर्मावलम्बी अपने तीर्थ स्थलों तक आने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। बौद्धों के इन तीर्थ स्थलों को विकसित करने और तदनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाबद्ध परियोजना से विश्व एवं विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्मावलम्बियों की भारत आने में रूचि बढ़ेगी जो भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाएगा तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों से संबंधित देश के अति पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के संबंधित क्षेत्र में विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। बौद्ध परिपथ का विकास भारत के प्रति बौद्ध धर्मावलम्बियों को मानसिक स्तर से भी जोड़ने में सहायक होगा। भारत सरकार की पहल पर इस परिपथ के विकास के लिए बौद्ध धर्मावलम्बी देश ही संसाधन मुहैया कराने में सहायक हो सकते हैं।

अतः मेरी मांग है कि बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन, भूतल परिवहन एवं रेल विभाग द्वारा एक समेकित योजना तत्काल बना कर उसे अमलीजामा पहनाया जाए।

(iv) Need to renew the licences for Japanese Quail Farming in the country

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Japanese Quail is a domesticated economic species for commercial egg production. It is having unique characteristics of fast growth, early sexual maturity, high rate of egg production and yields quick returns. Based on this, many farmers in rural areas especially in Southern States practice Japanese Quail Farming, More than 1000 farmers are involved in this business in Tamil Nadu alone. During 1984-1988, the Tamil Nadu Poultry Development Corporation promoted Japanese Quail chicks on a commercial basis. Union Agriculture Ministry is also supporting commercial farming of Quails like Dairying. It is also popular in various States. Farmers have obtained loans from Nationalised Banks and developed their farms.

After having consultation with Ministry of Agriculture (Government of India), Ministry of Environment and Forests have decided to delegate the power of issuing license for Japanese Quail hatcheries to the Officer of the Department of Animal Husbandry, Government of India not below the rank of Assistant Livestock Officer and Officers of the State Animal Husbandry Department not below the rank of Veterinary Asstt. Surgeon under the Wild Life (Protection) Act, 1972. Based on that the Ministry of Environment and Forests had issued Circular No. 3-22/84 FRY (WL) dated 27-06-2007. This Circular has riot enunciated anywhere to ban the issuance of License to Quail Farming or permission for expansion or augmentation of the existing farming facilities.

But unfortunately, based on the above Circular, recently, Ministry of Environment and Forests have issued another Circular F.NO.3-3/2011/WL-I dated 22.9.2011 and directed the State Governments and Union Territories not to issue new license for Farming of Japanese Quails and also not to give permission for expansion or augmentation of the existing farming facilities. Based on the above Circular, the State Governments are refused to renew the Licenses for

existing farms. Banning the farming of Japanese Quails will directly have an impact on the rural economy and the livelihood of small and marginal farmers.

Hence, I urge upon the Union Government to take immediate necessary action and to withdraw the above Circular F. No. 3-3/2011/WL-I dated 22.9.2011 and protect the poor farmers engaged in the farming of Japanese Quail in the country.

(v) Need to address the problems of Non-Resident Indians and People of Indian Origin by Indian missions abroad in a prompt manner

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): I request the Government to set up a centralized mechanism to monitor the functioning of our missions abroad. Every day, our missions in abroad receive a lot of complaints from the NRIs regarding the various problems they face in the host countries. Most of the complains are so sensitive that should be redressed with immediate effect. However, it is not happening in the expected manner which creates a lot of problems to the NRIs. In addition to that, people of Indian Origin suffer from the delayed process in issuing of Overseas Citizens of India Cards (OCI Cards). A centralized mechanism at the Ministry Headquarters to monitor the functioning of our missions abroad with regard to the disposal of these complaints is the only remedy to solve the problems faced by the NRIs and PIO.

(vi) Need to undertake gauge conversion work of railway line from Mavli Junction to Marwar Junction in Rajasthan under North Western Railway Zone

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : उत्तर-पश्चिमी रेलवे के मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के बीच वर्तमान समय में मीटर गेज लेन अस्तित्व में है। अब जबकि भारत सरकार की नीति बन चुकी है कि यूनियेज बनने की नीति के अंतर्गत पूरे भारत में मीटर गेज को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बावजूद मावली से मारवाड़ जंक्शन के खंड को मात्र मावली से नाथद्वारा तक जोड़ दिया गया है। लेकिन नाथद्वारा से मारवाड़ जंक्शन तक आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्थान का यह रेलखंड दक्षिण भारत को सुरक्षा की दृष्टि से सीमांत क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्रों को जोड़ता है, वहीं सांस्कृति एवं धार्मिक दृष्टि से यह खंड जुड़ने से आम जनता को सुविधा मिलेगी तथा स्वयं रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह विदित रहे कि भारत का महत्वपूर्ण मंदिर श्री नाथ जी का नाथद्वारा कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर तथा चार भुजा मंदिर तथा आगे जाकर राम देव जी का राम देवरा भी इसी सर्किट में आता है।

अस्तु मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त रेल खंड में आमान परिवर्तन के कार्य को तत्काल पूरा करने हेतु संबंधित रेल अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

(vii) Need to provide stoppages of Kolhapur-Nagpur Express, Bhusawal-Nizamuddin-Gondawana Express and Tirupati Express at Murtizapur Railway Station in Akola Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री संजय धोत्रे (अकोला): मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मुर्तिजापुर से सटे अमरावती एवं यवतमाल जिलों के लोगों को भी मुर्तिजापुर से रेलवे में प्रवास करने में सुविधा होती है लेकिन कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के मुर्तिजापुर न रुकने की वजह से उन्हें 45 किमी. दूर जाकर अकोला से यह गाड़ियां पकड़नी पड़ती है जिससे उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर यहां की जनता कई बार जन आंदोलन भी कर चुकी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनभावना और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए कोल्हापुर-नागपुर एक्सप्रेस (11403), भुसावल-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस (12405), अमरावती-तिरुपति एक्सप्रेस (12766) को मुर्तिजापुर स्टेशन पर रुकने की इजाजत दी जाए ताकि यहां से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधाओं को दूर किया जा सके।

(viii) Need to bring a constitutional amendment in view of 'Dhaka Agreement 2011' regarding handing over of certain Indian territories to Bangladesh

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): The Government of India agreed to hand over 111 enclaves to Bangladesh in lieu of 55 enclaves from Bangladesh as per the "Dhaka agreement – 2011" signed on 6th September, 2011. After this agreement Government of India will hand over Boraibari, Pallatal-Lathitilla, Dumbari of Assam consisting of 357.5 acres land to Bangladesh. Bangladesh has encroached these lands illegally and after the 6th September, 2011 agreement the right of possession will be legalized.

It is clear in the Constitution of India that Central Government cannot handover any territory to any foreign country without amendment of Constitution. In view of this, Government must come with an amendment in Parliament as per Article 368 to legalise this agreement.

After 'Nehru – Noon agreement – 1958' then Central Government agreed to hand over 'Berubari Union-12' to Pakistan. The then Hon'ble President Dr. Rajendra Prasad disagreed with this 'Nehru – Noon agreement'. Dr. Rajendra Prasad seeks, opinion of Supreme Court. The Constitutional bench consisting eight Hon'ble Judges gave the land mark judgment on 14th March, 1960 (AIR-1960-45) barring Govt. to handover any territory of the country without amendment of constitution of India as per Article 368.

Whether Government of India will bring constitutional amendment in this context of 'Dhaka agreement – 2011'.

(ix) Need to develop Jabalpur in Madhya Pradesh as a tourist place of national importance

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): पर्यटन क्षेत्र आज देश में उद्योग का रूप ले चुका है। इससे स्थानीय स्तर पर आय की वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं जिनसे क्षेत्र के विकास की संभावनाएं अधिक हो जाती है। मेरा लोक सभा क्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देश का केन्द्र बिन्दु भी यहीं स्थित है। जबलपुर एवं इसके आस-पास अनेक पर्यटनीय महत्व के स्थल होने के बावजूद भी यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। संगमरमरी पहाड़ों के बीच पवित्र नर्मदा केवल यहीं प्रवाहित होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वप्रसिद्ध भेड़ाघाट और धुंआधार जलप्रपात यहां की पहचान है। इसके अलावा ऐतिहासिक चौसठयोगिनी मंदिर, मदनमहल किला और वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि, संग्राम सागर तालाब के साथ-साथ बरगी डेम वॉटर स्पोर्ट्स और डुमना नेचर पार्क आदि दर्शनीय स्थल यहां स्थित हैं। स्वाभाविक रूप से जबलपुर टूरिस्ट हब है। इसके आसपास ही राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच स्थित हैं। स्थापत्य व पुरातात्विक महत्व के खजुराहो एवं फासिल्स पार्क, धार्मिक महत्व के अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर के साथ ही पंचमढ़ी जैसा विश्वप्रसिद्ध हिल स्टेशन जबलपुर के अत्यंत निकट स्थित है। इसके अलावा भी यहां अनेक ऐसे दर्शनीय और आकर्षण के केन्द्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। किंतु इतना होने के बावजूद भी जबलपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान नहीं मिल सकी है जिसका वह हकदार है। जबलपुर टूरिस्ट हब के रूप में निर्मित होकर पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने इसके लिए आवश्यक है कि भेड़ाघाट में म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण हो, मदनमहल के किले में रानी दुर्गावती पर आधारित लाइट एवं साउंड शो के साथ ही संग्राम सागर तालाब को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बरगी डेम जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, में साहसिक खेल केन्द्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि यहां पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृत कर पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाए ताकि पर्यटन के विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लाभ पहुंच सके। पर्यटन की असीम संभावनाओं के बाद भी जबलपुर का नाम दुनिया के पर्यटन नक्शे में शामिल नहीं हो पाया है। देश के पर्यटनीय महत्व के स्थानों के साथ जोड़कर इसका प्रचार किया जाए ताकि यहां देशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो और विदेशी पर्यटक आसानी से पहुंच सकें।

(x) Need to run Lok Manya Tilak Express daily between Faizabad and Mumbai and provide its stoppage at Mandiyahu Railway Station in Machhlishahr Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): मैं सरकार का ध्यान मछलीशहर लोक सभा की जनता की रेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के लोग मुम्बई में रहते हैं और उनका आना-जाना लगातार बना रहता है। जनता की माँग के मद्देनजर हाल ही में ट्रेन संख्या 12564, फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया जो फैजाबाद से मुम्बई के बीच चल रही है। यह ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन चलती है, लेकिन इसका ठहराव मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन पर नहीं है। मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन तहसील मुख्यालय से जुड़ा हुआ है साथ ही यह एक व्यापारिक केन्द्र भी है और यहाँ से काफी अधिक लोगों का आना-जाना होता है। मड़ियाहूँ स्टेशन पर इस गाड़ी का ठहराव नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की माँग है कि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक दिन की बजाए प्रतिदिन किया जाए साथ ही इसका ठहराव मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन पर भी किया जाए।

अतः सरकार से हमारी मांग है कि क्षेत्रीय जनता की जरूरत को देखते हुए वह ट्रेन संख्या 12564, फैजाबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में प्रतिदिन करने और उसका ठहराव मड़ियाहूँ रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित करने का रेलवे को निर्देश दें ताकि यात्रियों को कठिनाई से छुटकारा मिल सके।

(xi) Need to undertake repair and renovation of historical buildings in Fatehpur Sikri and Tajganj in Uttar Pradesh.

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी और ताजगंज की इमारतें घोषित हैं। सदियों पुरानी इन इमारतों की स्थिति आज अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं। इन इमारतों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से जो लोग रहते आए हैं, डरे-सहमे हुए हैं क्योंकि वे इनकी मरम्मत खुद नहीं करा सकते। कानूनन इन स्मारकों में कोई किसी प्रकार का मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं करा सकता। जो लोग इन स्मारकों में रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है कि वे कहीं अन्यत्र जा कर मकान बना कर रह लें वे मजबूर हैं इन जर्जर प्राचीन इमारतों में रहने के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन भवनों की देखरेख करता है परंतु मरम्मत और अन्य सुधार की अनुमति विभाग ने न तो किसी को दी है और न ही खुद करवा रहा है। लोग असमंजस में हैं कि इन भवनों में वे कैसे अपनी जान-जोखिम में डाल कर रहें।

संस्कृति मंत्रालय ऐसे जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार अविलंब करवाए। ऐसे प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा मंत्रालय ने जोधपुर फोर्ट का जीर्णोद्धार किया भी है। इससे न तो सिर्फ पर्यटन उद्योग बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का सुअवसर मिलेगा

मेरी मांग है कि फतेहपुर सीकरी और ताज गंज की प्राचीन जर्जर इमारतों में मजबूरन अपनी जान-जोखिम में डाल कर रह रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जर्जर प्राचीन भवनों की मरम्मत की अनुमति दी जाए या खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अविलंब प्राचीन भवनों की मरम्मत करवाए।

(xii) Need to undertake renovation of Sabaiya airport in Gopalganj Parliamentary Constituency, Bihar and operate domestic flights from the airport.

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य के गोपालगंज के ग्राम सबैया हवाई अड्डे का निर्माण सन् 1932 में हुआ था । इस हवाई अड्डा का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में और 1962 में किया गया था । इस हवाई अड्डे का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है । यह मरम्मत और रख रखाव के अभाव में खराब हो रहा है । सरकार घरेलू उड़ान के लिए हवाई अड्डा निर्माण के लिए जमीन खोज रही है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त हवाई अड्डे की मरम्मत करा कर इसे घरेलू एवं अंतर्राज्जीय उड़ान में उपयोग कराने का कष्ट करें ।

(xiii) Need to release water from Neyyar Dam in Kerala for farmers in the Kanyakumari district of Tamil Nadu

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Kanyakumari is one of the most southern districts in India which accounts for more than 95% of the production of natural rubber in the State of Tamil Nadu. Rubber is cultivated mainly in the hilly areas (on the western ghats) in Vilavancode Taluk. The farmers in this taluk are not in a position to undertake agricultural activities likewise parts of Kanyakumari district owing to non-release of water into the left side channel of the Neyyar dam by the Kerala Government.

Around 9,200 acres of land in Vilavancode taluk was receiving water through the left bank canal of the Neyyar dam for irrigation till 2004. Since then supply of water was stopped. As a result, the farmers are facing lot of difficulties.

The Government of Tamil Nadu is requesting Kerala for release of water to the State from the Neyyar dam But there is no progress in the matter.

In April, 2007, Kerala Government informed Tamil Nadu Government that water from the Neyyar dam could be given to Tamil Nadu after levying charges, on the basis of which a draft agreement had been prepared. After perusal of Kerala Government's communication and official records, it was ascertained that Neyyar was an inter-state river. So, all the basin States had a share over the river water,

The Neyyar dam, the source of water supply for the Kanyakumari branch channel, is situated in Neyyattinkarai taluk in Thiruvananthapuram district of Kerala. The right side channel taking off from this dam has the capacity of 300 cusecs. The left side channel taking off from the dam irrigates the ayacuts both in Kerala and Tamil Nadu. The capacity of the left side canal is also 300 cusecs. The ayacuts originally proposed under the Kanyakumari branch channel was 9,200 acres. But only 3,370 acres could be developed. Rules of Regulation for Neyyar Irrigation System were sent by the Kerala Government in 1968. However, the government considered entering into an agreement and accordingly to the proposed agreement and also as per rules of regulation of Neyyar Irrigation

System sent by the Kerala Government, a formal supply of 152 cusecs is to be made available at Kollemcode head works. This quantity includes two cusecs for the ayacuts in Kerala lying under Kanyakumari Branch. As per agreement, during drought period, supply should be effected between Tamil Nadu and Kerala in the ratio of 1 : 3.

On October 3, 2007, the State Government of Tamil Nadu wrote to the Kerala Government to immediately release water keeping in view urgent requirement to save farming and farmers in Vilavancode Taluk of Kanyakumari District.

Hence, I request the Government of India to intervene into this matter and take necessary steps for release of water in Left Bank Canal of Neyyar in Vilavancode Taluk of Kanyakumari District, Tamil Nadu as early as possible.

(xiv) Need to convert N.H. 220 from Nanded to Aurangabad in Maharashtra into four lane.

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 वर्तमान में जालना एवम् वाटरफाटा तक फोर लेन हो गई है तथ इससे आगे जाने वाली सड़क फोर लेन नहीं है । जिसके कारण काफी समय से इस राजमार्ग पर जाम होने से यातायात ठप्प रहता है जिससे औद्योगिक इकाइयों एवम् क्षेत्रीय लोगों को नांदेड़ तथा औरंगाबाद आने-जाने में काफी कठिनाई होती है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 को नांदेड़ एवम् औरंगाबाद तक फोर लेन करने के आदेश जारी करें । जिससे औद्योगिक इकाइयों को यातायात में सुविधा मिल सकती है और लोगों की परेशानी दूर हो सकती है ।

(xv) Need to provide honorarium to teachers working under UIDAI Project and Census 2011

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): I want to bring forth my concerns about the teachers working for UID project and Census 2011. It has come to everyone's knowledge that teachers are being asked to work after the school hours for these projects. This has somewhat a negative effect on discharging their duties effectively as teachers. Teachers are being given specified areas to conduct the surveys randomly and not areas that are nearby to their residences. Hence, teachers are feeling the pressure of discharging their duties effectively on both fronts. Moreover, the compensation and bonuses are also not specified by the government for them. This can have a negative effect on the morale of the teachers which subsequently, can have trickledown effect and impact their duties as teachers. Right to Education Act requires that every child is entitled to good education but if teachers themselves are under mental stress, it is difficult to impart good and effective education to children. Realising this concern, I urge upon the Government of India to act quickly on specifying the bonuses and compensation for teachers working under UID and Census 2011 so that the morale of the teachers remains positive and they could be able to discharge their duties effectively and positively on both fronts, especially on imparting their duties as teachers.

(xvi) Need to evolve a new mechanism for fixation of Minimum Support Price for the betterment of farmers

SHRI JAYANT CHAUDHARY (MATHURA): Minimum Support Price set by the Government is an assurance for remunerative and stable price environment for farmers. The 2003 Alagh Committee and 2006 Swaminathan Committee reports recommended changes in fixing MSP; however, many recommendations are yet to be implemented. There is a need for strengthening the CACP and giving it a statutory status. Representation in the CACP should be opened up for more members from academic, agricultural and diverse regional backgrounds. Data for calculating of MSP should be of high quality. With inherent differences in agricultural practices in different parts of the country, a weighted average MSP will take into account differences in prices of irrigation, electricity, labour and cost of other raw materials, and ensure that States with higher cost of production do not suffer.

In the last three years, the MSP fixed for wheat and paddy have not increased in tune with inflation and cost of production. Considering the importance of MSP in improving agricultural productivity, it is essential to bring reforms for improving the lives of our farmers.

(xvii) Need to expedite the work of various railway projects under South Eastern Railways

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Though over the years various Railway projects are announced during the Railway Budget but most of the projects remain on paper and hence delayed for several years. These are -

1. Laying of double line between Kharagpur Junction and Gokulpur via Giri Maidan;
2. Laying of third line between Panskura and Kharagpur;
3. Survey work for a new line between Bhadutala and Jhargram via Lalgah;
4. Survey work for a new Railway line between Digha and Balichak;
5. Upgradation of Railway Hospital at Kharagpur equivalent to AIIMS.
6. Installation of new escalators at Kharagpur Junction Railway Station.
7. Construction of new platforms 7 and 8 at Kharagpur Railway Station etc.

All the above projects come under South Eastern Railways. Works on these projects are going on at a very slow pace.

In view of the above, I would like to urge upon the Ministry of Railways to take steps for speedy implementation of these projects.

(xviii) Need to increase the Minimum Support Price (MSP) of paddy in Andhra Pradesh

SHRI Y.S. JAGAN MOHAN REDDY (KADAPA): This has specific reference to my State Andhra Pradesh wherein we are seeing reports of increasing farm suicide. The failure in implementing proper relief packages in droughts and floods, insufficient MSP, non-implementation of the MSP, abnormal increases in the costs of inputs like seed, complex fertilizers, non-availability of quality seed, absence of credible crop insurances scheme and post-harvest facilities are cited as the main reasons for distress. The tenant farmers problems remain unresolved. In our State, for the first time, the farmers declared crop holiday in protest against Government failure in payment of MSP and enhancement of MSP, currently farm labour situation is also in disarray as the farmer is ending up making huge amount of losses thus unable to pay remunerative wages to the labour

I request the Government to:

- Ensure that the MSP for paddy is revised upwards taking into account different farming situations, increased input prices and inflation.
- Ensure that the IVISP declared should become a legal right to the farmers. The Central Government should create a framework to ensure that where a farmer is unable to realize MSP for his produce, the Government should make good to the farmer the difference between the MSP and what he really obtains in the market.
- Take up immediately increasing the godown space at various locations taking into account the possibility of grain production going up.
- To create a legal framework of the price, quality and supply of seed.

- To provide framework for resolving the problems of tenant farmers.
 - To implement comprehensive crop insurance scheme for all crops taking village as a unit.
 - To ensure that in the event of floods and droughts, proper relief is provide in time.
-

13.30 hrs.

**PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
AMENDMENT BILL, 2011**

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No.29 – Shri Choudhury Mohan Jatua.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): Sir, on behalf of Shrimati Ambika Soni, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

MR. CHAIRMAN: Do you like to say something?

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, I seek the indulgence of the hon. Members of this august House regarding a long pending issue in Prasar Bharati about the ambiguity in the status of employees arising out of non-implementation of Section 11 of Prasar Bharati Act, 1990.

The Prasar Bharati Act, 1990 has been enacted with the objective to confer autonomy on Akashvani and Doordarshan so that they may function in a fair, objective and creative manner. The aim was to provide the institution with the flexibility it requires to enable it to function as a truly autonomous organization.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 came into effect on 23/11/1997. However, the section 11 of the Act has not been implemented till date *i.e.* the option under section 11 has not been called for from the employees for becoming employees of the Corporation, as there was stiff resistance from the employees for the same. The earlier Group of Ministers constituted in 2006, considered the issue relating to status of employees of AIR and Doordarshan and gave its recommendations. After the UPA Government

resumed office in 2009, a Group of Ministers on Prasar Bharati was constituted again and all the issues coming in the way of effective functioning of Prasar Bharati were taken up. The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 is the outcome of the exhaustive exercise taken up by the Government on the recommendations of the GOM to streamline the functioning of Prasar Bharati.

The amendment of section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990 as contained in the Amendment Bill, will settle the issue relating to the status of employees of Prasar Bharati, which remained uncertain for more than 14 years.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 seeks to replace the existing section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990 by a new section. Once the amendment is done, it will enable all the regular employees belonging to the cadres borne on Akashvani and Doordarshan who were recruited before 23/11/1997 *i.e.* the appointed day and in service of the Corporation on 1/4/2000 and those recruited between 23/11/1997 and 5/10/2007 to serve in Prasar Bharati on deemed deputation till retirement and to get all facilities such as Government accommodation, CGHS facility etc at par with the Central Government employees.

The amendments also seek to create an enabling provision in Section 11 for the IIS, CSS and other service officers, who belong to the cadres outside Prasar Bharati, for being posted in the Corporation on the terms and conditions to be determined by the Central Government through rules. All posts except the posts belonging to these cadres are proposed to be transferred to Prasar Bharati. The number of posts of Indian Information Service to be transferred to Prasar Bharati will be determined subsequently through notified rules.

The proposed amendments may seem routine, however, they will have a significant impact in removing the ambiguity about the status of employees. This would certainly instill a sense of security in the minds of employees working in Prasar Bharati. I need not emphasize that given the importance of Prasar Bharati

and its role as our national broadcaster, it is vital that the officers and staff are able to work in a tension free and comfortable atmosphere. May I request sympathetic consideration by this august House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”



SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in the discussions on this important Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill. AIR and Doordarshan are the voice of India, which have now come to be known as Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India. In fact, Prasar Bharati was conceptualized in 1979 during the Janata regime when Shri L.K. Advani was the Information and Broadcasting Minister. But, since the Government could not continue after 1979, it could not be realized. In 1990, the Prasar Bharati was enacted and formally it was formed in 1997. After that, rules have also been framed.

As was rightly stated by the hon. Minister, if section 11 in the original Act of 1990 was implemented where option was given to the employees, probably this situation would not have arisen. It took almost 14 years, even after the intervention of one after another court – various High Courts in the country and subsequently altogether it was taken away by the Supreme Court – and after direction of the Supreme Court, it took almost four years to settle the issue of the employees. Now, at least they are on deemed deputation and to a major extent the problem of the employees has been addressed.

After fourteen years the banishment has come to an end. But you should put a full-stop to this. Why are you putting only a comma to this? On page-2 of the Bill, in the *Explanation* given to sub-section 11 (2), it is stated:

“For the purpose of sub-sections (1) and (2), “officers and employees recruited” means officers and employees recruited either under the proviso to article 309 of the Constitution or in accordance with the regulations made under the Act, but shall not include persons engaged or appointed on daily wages, casual, *ad hoc* or work charged basis.”

I have only one question to the hon. Minister in this regard. I can understand about the casual, *ad hoc* or daily wages employees. This is all right. Many a time they will be on contract basis. This can be understood. But the work

charged persons are provided with all the facilities. Mainly they are in the civil construction wing of All India Radio and Doordarshan where the employees have got all the governmental facilities like allotment of Government accommodation from the Directorate of Estates, CGHS facilities, Central School facilities, being governed by CCS conduct rules, including pension. Considering this, the Standing Committee concerned has clearly recommended that:

“The explanation proposed to section 11(2), substituting section 11 of the Prasar Bharati Act clarifies that the status of deemed deputation shall not apply to the persons engaged or appointed on daily wages, casual, *ad hoc* or work charged basis. The Committee, during the course of deliberations, have noted that a number of work charged employees are working in the civil construction wing of All India Radio who do not find any place in amending the Bill leading to the status of these employees being vague.”

“... When these issues were taken up with the representatives of the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati, the Committee have been informed that steps are being taken to regularize these services of these employees. Further, the Committee have been assured by the representatives of the Ministry that the employees would be adjusted against the vacant post in Prasar Bharati. Further, the Committee have also been assured that the said employees when regularized would move into the deemed deputation category.

The Committee observe that it would have been appropriate for the Government to regularize these employees before bringing the amendment and then put the status of these employees into the deemed deputation category in the proposed Bill. The Committee expresses its serious concern over the *ad hocism* with which the issue of status of officers / employees has been addressed so far by the Ministry of Prasar Bharati in amending the Bill. The Committee strongly recommends that All India Radio / Doordarshan should be asked to identify the equivalent matching post within the stipulated timeframe and the services of all these employees should be regularized after adjusting them against the existing vacancies...”

This is the very clear-cut recommendation of the Standing Committee. Hence, I asked this question. Why put a comma on this? Please put a full stop on this. There are around 1,200 people who are working in the civil wing, and it will hamper the development of all the infrastructure -- whatever was to be further upgraded -- and it will be disturbed. Hence, I would suggest to the Government to amend it and set-right things with regard to these work-charged basis employees also.

Another issue is regarding the employees. Ultimately, why is this exercise being done? I would like to ask this from the hon. Minister. People went to court when you did not use the provisions of Section 11 in the original Act. All the employees union went to court and the litigation went on. 14 साल बीत गए, उसके बाद चार वर्ष जीओएम में चले गए।

Now, this amendment is being brought to put a full stop to the unrest among the employees. This is a good relief. I support this Bill, and my Party will support this Bill. The point that I would like to mention here is this. The recognition of employees association is pending for quite so many years. As per the CCA Act and RSA Rules, it is pending and even the Prasar Bharati DG has written to the Ministry of Information and Broadcasting that the recognition process should be expedited. It is also stated that the status quo is maintained till this process is done. I am surprised! Ultimately, in any organization, the labour movement or the recognition of labour and their redressal system is their right. It is their right in the democracy. Why is the Government and the Ministry sitting over it for the last so many years? I think that the Government needs to explain this issue. The Minister should assure in the House that it will be expedited.

As far as my knowledge is concerned, there are around 20 associations, and all of them are intervening in it. Instead of this, if the process of recognition begins, then the problem of these 20 associations will also go and there will be a couple of associations through which you can negotiate; their problem can be addressed; for everything they need not come to the Government; and in real terms Prasar Bharati will become autonomous and will attain the standard of BBC. Otherwise, the same thing will continue and the same discredibility that has happened so far will continue.

Sir, though belated and not an important one, in the discussion on this Bill, we have to deal with the long-standing issues and also the issue of uncertainty concerning the employees. This is a short Bill, and I do not want to elaborate much. Due to this *ad hocism*, due to the attitude and approach of the Government, what has happened to Prasar Bharati today? I want to put a straight question to the hon. Minister, through you, Sir. I do not know why the Cabinet Minister is not present today here, when we are discussing such an important Bill. I am not questioning anything.

MR. CHAIRMAN : You will get your reply, please continue.

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I will continue, Sir, but what I am saying is that I need your protection. I am not questioning anything, but had she been here, since it is a very important policy issue, it would have been appreciated. That is all I was saying, and I am not saying anything else.

What is the position of Prasar Bharati today? For the past so many months, there is no CEO for Prasar Bharati. To what extent will there be *ad hocism*? On the one hand, you say here that you want to make it autonomous, upgrade the facilities and improve the standards, but on the other hand, what is happening here? You are running the show by giving additional charge to a person. Why is it so? What is the problem in appointing a regular CEO? If you cannot do even this much, I do not think it will become the national voice of the country. We expect that it should

become the national voice and also uphold the art and culture of our country, but what is happening here? There is no CEO.

I would like to bring to the notice of this House as to how it is being run? How is it running? To what extent there is *ad hocism* in this organization? The total sanctioned strength is 48,000 out of which 12,000 posts are vacant. Why has the process been not initiated to recruit the people? I do not understand this. There are around 1200 posts of Station Directors in the country out of which – I urge the hon. Minister and the Government to take note of this point – only 69 Station Directors are working in the country. Without the Station Directors, you are running Doordarshan Centres and the AIR Centres. Then, how do you expect them to perform well, when there is no Station Director? This is the situation now.

The Government has not been able to address these issues properly. The experience of the entire country in the past several years about Prasar Bharati is that it has failed to accomplish its basic objective. What has happened? Its credibility has gone down to such a low level that it is full of controversies, mismanagement, corruption and *ad hocism*. If *ad hocism* continues, then the situation will remain like this only.

The former CEO of the Prasar Bharati was also involved in the CWG Scam, and probably he was also arrested. I am referring to ... * ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The name should be deleted.

SHRI PRALHAD JOSHI : He was arrested in the CWG Scam. After that, he was suspended. So far, no new CEO was appointed.

The telecast rights for the entire 20-20 matches were given to Prasar Bharati. Why did it not telecast those matches? I think even the Minister does not know about it, or he may not be able to explain it. Crores and crores of rupees of revenue was lost. The right was with the Prasar Bharati, but why did it not use that right? What was the problem? This country wants to know who is responsible for

* Not recorded

it. आपने तो उस सीईओ को घर भेज दिया, लेकिन जो भी लॉस हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? May I know through you from the Minister who is responsible for all these things? इतना ही नहीं, अदर हाउस में जब मिनिस्टर ने रिप्लाइ दिया, She said that Prasar Bharati is going to add 150 DTH channels. It is a very good move but it is reported in the Press and there is a serious allegation that the Government of India has released Rs. 45 crore and when it is having all the infrastructure, why the Government of India and Prasar Bharati wants to outsource it? The Government is ready to invest Rs. 45 crore and has all technical skills, staff, सब कुछ आपके पास है। एक एलीगेशन न्यूज पेपर में आया है। In some section of the Press that you are going to outsource it or privatising it. And the allegation is that there is a very serious scam which is taking place. I am not alleging it in the House. But I would like to seek clarification from you Minister. And Government has written long back that Rs. 45 crore to this effect will be given to the Prasar Bharati. It will be allocated and you may go ahead with your upgradation as far as 150 channels are concerned. But there is a serious allegation. इसमें मैं आपका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ।

Sir, not only this, actually its reach and its infrastructure, keeping all this in mind, it should have become real voice of the nation. Its reach should go to every nook and corner of the country and to the villages but unfortunately what is the position today? It has utterly failed today to reflect the real nationalism and upheld the culture of the country. It has failed to provide the programme through DD Aakashwani and protect the ancient arts and culture. Folk art is not at all the priority for the Prasar Bharathi. In my State Karnataka, people are associated with the folk art but it is not being given any priority. The best example is that they are not promoting the art and culture in our State. Recording sections of the classical music in Gulbarga, Bhadravathi and Mangalore have almost closed with no recruitment of the artists for the centres. The Aakashwani Sangeet Sammelan, which are the prestigious programmes of art and culture of the country has been discontinued. The Aakashwani Sangeet Sammelan and national programmes of

music which were instrumental in popularising the Hindustani and Karnataka classical music are almost on the verge of the closure. The reason what is being given is that this does not generate any revenue. If this had been attitude of the Prasar Bharathi, who should promote the culture? Who should promote the Hindustani music? I would like to tell through you to Minister that the audition and the gradation system and the process by Aakashwani to improve the new classical and semi-classical singer is proposed to be stopped by which we face the danger of extinction of these art forms.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRALHAD JOSHI : I will take another two minutes. May I ask through you the Minister, why are you stopping this? Why recruitment is being stopped? Why are you stopping the Sangeet Sammelan? All these things need your explanation Sir. डीडी चंदन कर्नाटक में है, वह कभी देखता ही नहीं है। वह बहुत लो हो गया है। इसलिए मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि if you try to really bring autonomy, you have to make it like the Election Commission. Proper funding should be there and it should attain the level of BBC. Credibility should not come down. Ultimately, it is like the military services. Even in the remote places like Ladakh, Akashwani, Doordarshan is there. The voice of the country will reach there. If we want to attain real autonomy, we should provide funds, make it real autonomous and bring it to the standards of BBC.

Lastly I would suggest to the Government that more and more Programme Generating Centres should be there in the country. They should promote to open more and more centres. I have been pressing for the Programme Generating Centres of Doordarshan since 2005 in Hubli, Dharwad in North Karnataka to reflect the culture, tradition and art of the region.

Hubli-Dharwad is the hub of the cultural centre. It has given birth to Pandit Bhimsen Joshi, Dr. Gangubai Hungal, Shri Basavraj Rajguru and Mallikarjun Mansur. I have been pressing for it. When I met the hon. Minister, I was given the assurance also in the House saying that since Dharwad is an important place in

Karnataka, we would open a Programme Generating Centre in the Eleventh Plan. But Eleventh Plan is complete but so far nothing has been done. I would urge upon the Government to remove regional imbalance. This is needed. The Nanjundappa Committee has also recommended for this.

I would urge upon the Government to immediately open a Centre at Hubli-Dharwad where the persons like Pandit Bhimsen Joshi, Dr. Gangubai Hungal, Shri Basavraj Rajguru and Mallikarjun Mansur have taken birth. I would once again urge upon the Government not to outsource the 150 channels which are in the proposal and expedite the recognition. The position of the work-charged employees should also be made clear. With these suggestions, I support the Bill.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग ऑफ इंडीया अमेन्डमेंट बिल - 2011 लाये हैं, मैं इसके ताईद और समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसमें आपने इम्प्लॉइ, रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, डेप्यूटेशन, एडहाक सारे चीजों के बारे में लिखा है। मैं मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी स्टेट में तीन रीजन्स हैं और सब की भाषा, कल्चर, खान-पान अलग-अलग है। आप देखेंगे कि हमारे यहां एट्थ शेड्यूल में डोगरी लैंग्वेज है और कश्मीरी लैंग्वेज है। वैसे भी हिन्दुस्तान की तमाम भाषाएं इसमें इन्क्लूड की गई हैं। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जब एक ब्राडकास्टिंग हो रही हो, जैसे एक आदमी जो एक भाषा को जानता ही नहीं है, आप उस ऑफिस में दूसरी भाषा वाले आदमी को रिक्रूट क्यों करते हैं?

13.59 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

आप मुझे बताइए कि उस भाषा के साथ क्या इंसाफ होता है? क्या वह वहां की भाषा बोल सकता है। आप किसी को कह दें कि आप कश्मीरी बोलो तो क्या वह बोल पाएगा? कश्मीरी बोलने वाले को आप डोगरी में बोलने के लिए कहेंगे तो क्या वह बोल पाएगा? मेरा जनाब से कहने का मतलब है कि ब्राडकास्टिंग का जो आप ने सिस्टम बनाया है वैसे तो आपका सारा ही जुगाड़ है। आपने जुगाड़ बना कर काम किया है। जुगाड़ से देश नहीं चलता है। जुगाड़ से गलतियां होती हैं। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि उसे यहां पक्का रहना है या नहीं रहना है, कल उसे निकाल देना है या नहीं निकालना है, मुझे बताएं वह इम्प्लॉई उसकी कितनी सेवा करेगा और कैसे कर पाएगा

14.00 hrs.

जिसे पता है कि मेरा स्थाई रिक्रूटमेंट हुआ है और मैंने इसे चलाना है, वह अपने हिसाब से चला रहा है। इसके अलावा आप डेप्यूटेशन पर भी लोगों को लाते हो, उसका अलग से तरीका है। लेकिन उसमें यह नहीं देखा जाता कि वह शख्स उस कार्य में परिपक्व भी है या नहीं, लेकिन आप उसे उस काम में यह बिना देखे ही इंडलज कर देते हैं। वहां मान लो किसी ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर डोगरी जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, आप किसी और वहां रखेंगे तो वह कुछ समझ नहीं पाएगा। इस तरह से अगर काम होगा तो फिर प्रसार भारती का क्या बनेगा।

अब आप रेडियो को ही लें। आल इंडिया रेडियो के कई चैनल्स हैं हमारे राज्य में, प्रोविस में और रिजन में। लेकिन जो कार्यक्रम प्रसारित करने वाले हैं उन्हें गांव से पकड़ कर लाया जाता है कि चलो, तुम्हें कल समाचार पढ़ना है। किसी को कह देते हैं कि डोगरी में बोलना है और किसी को कह देते हैं कि

कश्मीरी में बोलना है। इस तरह से काम होगा तो जो आपने रेडियो स्टेशंस खोले हुए हैं, उन्हें ढंग से कैसे चलाएंगे, कैसे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। जिसे वहां की स्थानीय भाषा बोलनी नहीं आती, उसकी समझ नहीं है, वह कैसे वहां के लोगों की बात कर पाएगा और क्या बताएगा।

मैं डोगरी हूं, मैं जानता हूं कि भारत में डोगरी जाति के लोग कितने बहादुर हैं। इस जाति के लोगों ने जंगे हिन्दुस्तान, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ हो, कितनी ही बहादुरी के साथ लड़ाई की और कुर्बानी दी। हमारा राज्य बहुत बड़ा है और इस राज्य में डोगरी केवल जम्मू तक ही सीमित नहीं है। पंजाब के गुरुदासपुर और होशियारपुर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिलों में भी डोगरी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हमारे राज्य में जम्मू के अलावा, कठुवा, उधमपुर में, राजौरी में भी डोगरी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहां के अधिकांश रेडियो स्टेशंस बंद पड़े हुए हैं। कभी-कभार शाम को आधे घंटे के लिए या दो घंटे के लिए वहां से प्रसारण होता है, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इसका फायदा क्या है, जब आप उन रेडियो स्टेशंस का सही उपयोग नहीं कर सकते और आपके इक्विपमेंट्स भी वहां पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास वहां जो मुलाजिम हैं, उनकी जो स्ट्रेथ है, उसमें भी बहुत कमी है और जो हैं उनसे पूरा काम नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनके पास करने को कुछ काम नहीं है। आप लोगों को डेपुटेशन पर या कांट्रैक्ट पर ले आते हैं और उनसे काम कराते हैं। इस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है।

पिछले दिनों भी मैंने इस विषय पर बोलना चाहा था। लेकिन आज समय मिला है इसलिए बताना चाहता हूं। आपके अनेक ऐसे टीवी चैनल्स हैं, जिन पर जो सीरियल्स आते हैं, अधिकतर में कास्टवार दिखाई जाती है और जातियों पर हमला किया जाता है। जितना जुल्म, जितने अपराध, जितने पाप करते हुए पात्र दिखाए जाते हैं, अधिकतर वे ठाकुर या राजपूत होते हैं, क्या वास्तव में यह हकीकत है जो इन सीरियल्स में दिखाई जाती है, मैं समझता हूं कि यह सत्य से परे है। आप इन सीरियल्स पर नजर डालें तो देखेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार दिखाए जा रहे हैं, किसी को डाकू बनाकर दिखाया जाता है। हिन्दुस्तान सब जातियों और कौमों का एक देश है। इस देश में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई जाति खराब नहीं है, कोई मजहब खराब नहीं है। यह हम सब लोगों का देश है। आप देखें कि एक सीरियल “आना मेरे देश लाडो” में औरतों पर अत्याचार दिखाया जाता है। राजपूतों ने इस देश के लिए मुगलों से और फिर बाद में अंग्रेजों से संघर्ष किया। राणा प्रताप को कोई याद नहीं करता, छत्रपति शिवाजी को कोई याद नहीं करता, राणा सांगा की याद इन्हें नहीं आती। ठाकुर, राजपूत और मराठा आदि ये बहादुर कौमें हैं, इनके बारे में सही तस्वीर लोगों के सामने दिखाई जानी चाहिए। मैं कुछ दिन पहले गुलामी फिल्म देख रहा था। उसमें दो

जातियों को बांट दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन व्यक्ति इस तरह की चीजों को सेंसर करता है और कैसे यह दिखाया जाता है कि अमुक जाति पर अटैक हो। लगता है आज हमारे टीवी चैनल्स पर जो सीरियल्स आते हैं, वे मजाक बनकर रह गए हैं। किसी न्यूज चैनल पर ब्राडकास्ट किया जाता है तो एक छोटी सी खबर को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे सुबह से शुरू करो किसी व्यक्ति के बारे में बताना और शाम तक उसे मार दो

जिसको चढ़ाना है, चढ़ा दो आसमान पर। जो मिलिटेंट है, उग्रवादी है, उसके सीन 10 बार दिखाए जाते हैं लेकिन जो देशभक्त देश को बचाने के लिए है, उसे कभी दिखाया नहीं जाता है। न्यूज पढ़ोगे तो दूरबीन से देखना पड़ेगा, टीवी में देखो, तो खबर उसके बिना ही गुजर जाती है। किसी से नहीं बनती, उसकी तबाही करनी है तो उसके खिलाफ खबरें चलती हैं। मेरी मंशा आपसे है क्योंकि आप बहुत संजीदा इंसान हैं, यह ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन्स इस डिपार्टमेंट को जानी चाहिए। एटॉनोमस होने का मतलब यह नहीं है कि आपको लोकतंत्र मिल गया है तो किसी को कुछ भी कह दो, किसी को नीचे और किसी को ऊपर दिखा दो। यह कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है कि किसी को भी कुछ कह दिया। इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो चीज देश की एकता और अखंडता को तोड़ती हो, किसी पर अटैक करती हों, वे चीजें रुकनी चाहिए।

सर, मैं एक दिन देख रहा था इन्होंने चाइना की बहुत बड़ी फौज दिखाई, चाइना के जहाज दिखाए, नेवी दिखाई और हिंदुस्तान को उसके मुकाबले में छोटा दिखा रहे थे। **What is this?** हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने वाला कौन सा टीवी, कौन सी प्रसार भारती, अगर भारतीयों की बेइज्जती करोगे तो क्या कोई भारतीय आपके सीरियल देखेगा? इसीलिए मेरी विनती है कि इस देश को सबसे ऊपरी स्तर पर दिखाना चाहिए। आजकल तो बेकार हो गया है, कोई फेसबुक पर जा रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, जिसकी शक्ल नहीं देखी लेकिन सारा दिन इस पर घूमता रहता है। इंटरनेट ने बच्चों की जिंदगी तबाह करके रख दी है, आधी-आधी रात तक वे इसी पर लगे रहते हैं। हम अंग्रेज नहीं हैं कि रात-रात भर सोये नहीं। टीवी का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। रात को जो घटियापन चैनल्स पर दिखाया जाता है इस तरह के चैनल्स बंद होने चाहिए। केबल वाला फोन करता है कि आज रात को मैं अश्लील पिक्चर लगाऊंगा, सारे अश्लील लोग रात को जाग जाओ। **This is very unfortunate.** मेरी आपसे विनती है कि एक सिस्टम बनाओ, नहीं बना सकते तो अपने घर जाओ, घर बैठो। ऐसे थोड़े ही होता है कि मिनिस्ट्री में रहो और किसी पर रोक न लगाओ। एटॉनोमस बॉडी है, किसी को अश्लील दिखाएंगे, किसी को जलील करेंगे

और * पैसा खाएगा, लूटेगा और सारे अपीसोड, सारे सीरियल बेचेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुम्बई और दिल्ली के लोगों को इन्होंने जम्मू के डोगरों के सीरियल दिये। लानत है और सारा माल ले गये उठाकर और कह रहे थे कि डोगरी हम एक्सप्लॉट कर रहे हैं। उड़िया वाला क्या डोगरी भाषा जानेगा, आप मुझे बताओ? मैं उड़िया या हैदराबादी तमिल जानता हूँ क्या? मैं अपनी भाषा जान सकता हूँ लेकिन मेरी भाषा पर सीरियल बनाएगा मुम्बई वाला, एक्सपर्ट है, खुलापन देता है ना। * का भी पेट भरा और औरों का भी भरा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टॉप दिस और सबसे मेरी विनती है कि **country is the priority and nothing else is the priority and** कंट्री के विरोध में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए।

कोई कहता है कि आर्मी स्पेशल पॉवर एक्ट खत्म कर दो, देखो, कितनी हिम्मत हो गयी। आर्मी जिसने कुर्बानियां दीं, जानें दी, उसकी आप मुखालफत करते हो। एक दिन खबर आ गयी, कौन बोल रहा है कि यह फलां चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, यह दूसरा मंत्री बोल रहा है, यह अपोजिशन वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कश्मीर से आर्मी हटा लो। क्या मजाक है? ये नहीं समझते कि **you are discouraging the Army, you are discouraging the country, you are discouraging the Desh-Bhakt.** आप देशभक्त को डिस्क्रेज करते हैं। जिस दिन देशभक्त डिस्क्रेज होगा, उस दिन देशद्रोही आगे बढ़ता है। देशभक्त स्ट्रांग होना चाहिए और देशद्रोही कमजोर होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी सीरियल हमारे देश के कल्चर से बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर देश के खिलाफ नहीं छपनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंस मिल गई, कपड़े नहीं पहनो, शर्म नहीं है, नग्न अवस्था में टीवी पर आते हैं। कपड़े नहीं पहने, बदतमीजी करते हैं, गंदी-गंदी महिलाएं दिखाई जाती हैं, ये एक्ट्रेस हैं। क्या इनके पास कपड़े नहीं हैं? हमारा कल्चर हमेशा पर्दे में रहने का रहा है। हमारे देश का कल्चर हमेशा स्ट्रांग रहा है, इसलिए हम आज भी हमारी परम्पराएं हैं। रोम और मिस्र मिट गए, लेकिन हमारा नामोनिशा अभी भी है, लेकिन आज भी हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। कोई भी सीरियल, पिक्चर, खबर कंट्री के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कई बार गलत खबर दिखाते हैं और बाद में करेक्शन आती है कि गलत खबर दिखा दी। एक बंदे को आपने चोर बना दिया और बाद में कह देते हैं कि गलती हो गई, यह बात सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे बोलने के लिए कुछ समय और दिया जाए। मेरे लिए अपना देश सबसे बड़ी प्राइोरिटी है। मेरी जनाब से विनती है कि सिस्टम को ठीक करें। क्राइम पर

चैनल बनाया गया है। आप देखेंगे कि जुर्म पर स्टोरियां दिखाई जाती हैं। टीवी पर गोली मारते देख कर गोली मारना सीखते हैं। क्रिमिनल बनते जा रहे हैं, उनको हिन्दुस्तानी बनाओ, देश की सेवा के काबिल बनाओ और आप उसको रात को सोने नहीं देते हैं। दरवाजे, कमरे, बेडरूम बंद और शुरू हो गया प्रोग्राम। मेरी जनाब से विनती है, मैं सब को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की औरतें हमारी शान हैं और हमारे देश की औरत किसी टीवी पर, किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में नग्नता नहीं दिखनी चाहिए और जो अंग्रेजी पिक्चरें हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान के चैनलों पर रात को नहीं लगनी चाहिए। नग्नता, गंदापन चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं।...(ब्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मुझसे समाप्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं।

इसलिए मेरी जनाब से विनती है कि जो इंप्लॉयज की पोस्टें खाली पड़ी हैं और जो लोग ट्रेन्ड हैं, जो लोग उस काम को जानते हैं, उनकी भर्ती जल्दी करवाई जाए और सारे चैनल, सारे स्टेशन मास्टर, उड़िया वाला जम्मू लगाओ, जम्मू वाला उड़िया लगाओ, न उसको वह समझ आए और न दूसरे को ही कुछ समझ आए, आप इस तरह से सत्यानाश कर दो, इस बात को समझो ध्यान से। शुक्रिया, धन्यवाद, जयहिन्द, मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रसार भारती, भारतीय प्रसारण निगम, संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी बहुत ओजस्वी और जोरदार भाषण लाल सिंह जी का सुना है। यह बात सत्य है कि दूरदर्शन और प्रसार भारती को हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस विधेयक को लाए हैं। जहां तक देखा गया, इस प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी में करीब 38,000 कर्मचारी पूरे देश में हैं और आज जो प्रतिस्पर्धा है, प्राइवेट चैनलों में और आकाशवाणी, दूरदर्शन के बीच में, हम मूल्यांकन करें, तो हम कहीं आखिरी पायदान पर खड़े मिलते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि 50-50 प्रतिशत के हिसाब प्रसार भारती, दूरदर्शन इसको वहन करें। आज प्रसार भारती बोर्ड की स्थिति यह है कि यह 50 परसेंट अदा करने में असमर्थ है। सरकार का यह भी मत है कि 50 परसेंट सरकारी और 50 परसेंट विज्ञापन से व्यवस्था कर रहे हैं। सीबीआई की रिपोर्ट आई है और सीबीआई का पक्का दावा है कि प्रसार भारती के प्रसारण में अब तक 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह बहुत चिंता का विषय है। तमाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तमाम अधिकारी सस्पेंड भी हुए।

इसी सदन में माननीय मंत्री अंबिका सोनी जी ने तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया था। हाई डेफिनेशन प्रसारण में जो अनियमितताएं आई हैं, उस पर भी यहां सवाल किए गए थे। कॉमन वैल्यू गेम्स सम्पन्न हुई हैं, उसमें यह बात उजागर हुई कि यूके की बेस्ट कंपनी को 246 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था जिसमें सरकार को 100 करोड़ का घाटा हुआ। यह बहुत बड़ी अनियमितता है और सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह की अनियमितता को कैसे रोका जाए। आज यहां तमाम माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और विचार आए भी हैं।

जहां तक प्रसार भारती के ढांचे की बात है, इसे बदलने की जरूरत है। नियम और कानून को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। यही नहीं प्रसार भारती के कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों के लेकर धरना और प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि सरकारी चैनल दूरदर्शन की हिस्सेदारी 1.2 परसेंट है। दूसरी ओर अगर प्राइवेट चैनल स्टार प्लस को देखा जाए तो इसकी हिस्सेदारी 22.5 परसेंट है। यह बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और विशेष ध्यान देना होगा तब कहीं जाकर हम प्राइवेट चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं। प्रसार भारती को आज अधिकार देने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसके कामों में पारदर्शिता हो। यह बात सत्य है कि पूरे देश में प्रसार भारती से जुड़े 38,000 कर्मचारी हैं। इस बिल में कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की बात विस्तार से है। मैं यही कहूंगा कि प्रसार

भारती पर किसी भी वक्त गाज गिर सकती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आज वर्तमान बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। सरकार को इसे संज्ञान में लेना होगा, गंभीर होना पड़ेगा तभी प्रसार भारती को मजबूत किया जा सकता है। यहां कई बार चर्चा हुई है कि बोर्ड में भाई भतीजावाद की शिकायतें आई हैं। भाई भतीजावाद का प्रचार प्रसार है तो हम कैसे प्रसार भारती को मजबूत कर सकेंगे, इस ओर सोचने की आवश्यकता है। दूरदर्शन और प्राइवेट चैनल की हिस्सेदारी को देखकर मूल्यांकन करना चाहिए। मंत्री महोदया आ गई हैं, मेरे ख्याल से हमारी बातों को वे बहुत ध्यान से सुनेंगी। मैं चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा कि आज इस बोर्ड को भंग कर दें और नया सशक्त बोर्ड बने। प्रसार भारती को वर्ष 2010 में 1700 करोड़ रुपए से अधिक सब्सिडी दी गई है।

आज आकाशवाणी में 232 रेडियो स्टेशंस चलते हैं, 171 एफ.एम. और 242 चैनलों निजी की संख्या है। यदि आप विभिन्न चैनलों को देखें तो मेरे ख्याल अन्य चैनलों को देखने में लोगों की उत्सुकता होती है, लोग फिक्स करके अपनी पसंद के चैनल्स देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन कोई नहीं देखता। इतना उबाऊ और थकान भरा तथा मेरे ख्याल से नॉन-कमाऊ प्रसार भारती का दूरदर्शन है। इस पर लोग केवल समाचार सुन लेते हैं या कभी किसी अच्छे कार्यक्रम या सरकारी प्रोग्राम का लाइव प्रसारण आ गया तो लोग देख लेते हैं, अन्यथा नहीं देखते हैं। प्राइवेट चैनलों को लोग देखना पसंद करते हैं।

अभी इस बिल में आपने जो बात कही है कि आप हाई डैफिनिशन प्रसारण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 80 चैनलों को दिखाना अनिवार्य होगा, यह बहुत अच्छी बात है। मैं तमाम सदस्यों द्वारा कही गई बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रसार भारती को आप बचा लीजिए, आप उसके बोर्ड को देखिये तथा जो सौ करोड़ रुपये की अनियमितताएं कामनवैल्थ गेम्स से लेकर अब तक हुई हैं, उन पर ध्यान दें। आज लोगों का जो रुझान है तथा दूरदर्शन चैनल न देखने की एक प्रथा जो बन गई है, आप किस प्रकार से उसकी व्यवस्था ठीक कर पायेंगे। इस चैनल से अच्छे-अच्छे समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारित हों, गंदे प्रसारण न हों। जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन के माध्यम से कहा था कि यदि आप परिवार के साथ बैठकर समाचार देखें तो आप देख नहीं सकते, चूंकि उसमें कुछ ऐसे भद्दे विज्ञापन दिखाये जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट चैनलों से आप किस प्रकार से

प्रतिस्पर्धा करेंगे, इस ओर विशेष ध्यान दें। इस बिल पर पुरजोर तरीके से बल देते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके बोर्ड में सुधार लाएं तथा प्रसार भारती को मजबूत करें। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन सब पर विशेष ध्यान देते हुए इस बिल को लायें और इसे मजबूत करें।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। मैं प्रसार भारती अमैन्डमेंट एक्ट, 2010 के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह क्यों आया, इस पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, जिसका नम्बर 3244 ऑफ 2002 है। उसका फैसला 2 फरवरी, 2007 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनकी सर्विस कंडीशन बनाइये, चूंकि इनकी सर्विस कंडीशन में अनिश्चितता, इनडेफिनिटनेस विद्यमान है। 90 परसेन्ट लोग जो आकाशवाणी और इसमें आये हुए हैं, जैसा हमारे मित्र ने बताया कि यहां 38 हजार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी सर्विस कंडीशन क्लियर नहीं हैं। आप उन्हें डेपुटेशन पर भेज रहे हैं। डेपुटेशन का मतलब यह है कि जो उनका लियन है, उनका दायित्व और जिम्मेदारी फर्स्ट सर्विस में रहती है। इसलिए वे डेपुटेशनिस्ट ठीक से काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी, अगर हम संक्षेप में कहें तो यह जो एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की लैटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। आप पूछिये कैसे है? मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो एक सैक्शन 11 अमैन्ड हुआ है, माननीय गृह मंत्री comes from law background. हालांकि आजकल कुछ हिले हुए हैं, वह इसे समझेंगे। मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि इसमें यह लिखा है कि आप डेपुटेशन में चले गये, प्रसार भारती के आप इम्प्लॉई हो गये, लेकिन यह डेपुटेशन जिंदगी भर रहेगा। What is this? यानी डेपुटेशन का करैक्टर आखिर तक रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं थी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वह रिट याचिका भी पढ़ी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ा है।

महोदय, समय का अभाव होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि सर्विस कंडीशन ऐसी बनाइये कि सर्विस पर जाने वालों के लिए अपनी सर्विस का टैन्चोर सिक्वोर हो। उसमें एक लफ्ज यह कह देते कि जो प्रसार भारती में तीन साल से काम कर रहे हैं और यदि उनकी कोई एडवर्स एंट्री नहीं है तो वे परमानेंट समझे जायेंगे। आपने एक तरह से उन्हें ट्रांसफर कर दिया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन में, किसी भी व्यवस्था में और खास कर प्रजातांत्रिक सेट-अप में अगर टेन्चोर की सिक्वोरिटी नहीं है, जिस तरह से डॉ. भीम राव अंबेडकर जी ने 3011 में बनाया कि जो सरकार की आईएस और आइपीएस सर्विस है, इनको परमानेंसी दीजिए। अगर इनके खिलाफ करना हो तो अपॉरचुनिटी दीजिए। बीसियों इफ एण्ड बट हैं तब इनकी सर्विस ले सकते हैं। यह पूरा अभाव है। जब मैं लोकसभा में आया तो मेरे पास एक टेलिगेशन दूरदर्शन में पीआइएल के लिए आया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता जो रोज बोलते हैं, रोज एंकरिंग करते हैं, 12-12 साल से आज भी प्रसार भारती में टैपरेरी हैं। टैपरेरी का मतलब है कि उनको एक महीने के नोटिस में निकाल दिया जाएगा। अगर

एक महीने के नोटिसस में निकाला जाएगा तो उसका क्या प्रदर्शन होगा, उसका क्या इंचालमेंट होगा? एक लाईन अगर ड्राफ्ट में बढ़ जाती कि इनकी टेन्चोर ऑफ सर्विस, अगर ये ट्रांसफर हो गए, ब्रॉडकास्टिंग और उससे जा कर प्रसार भारती में आ गए तो इनको परमानेंट किया जाएगा। इनकी सर्विस कंडीशन नहीं है, न इनके ईपीएफ के बारे में हैं, न इनके पेंशन के बारे में है। कुछ नहीं है। जो सेंट्रल सर्विस के हैं, इंफार्मेशन डिपार्टमेंट के वे इनके बॉस हैं। वे उनको एक महीने के नोटिस पर कहते हैं गेट आउट। अगर यह है तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रसार भारती की मंशा जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी वह पूरी नहीं होती है। अगर किसी का वर्तमान देखना है तो थोड़ा उसके इतिहास में जाना चाहिए। दिनांक 05 अक्टूबर 2007 को मंत्री समूह की बैठक में यह सिफारिश की गई थी। पहली लाइन में यह ऐम्स एण्ड ऑब्जेक्ट है, क्यों बना। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इसमें यह लिखा कि चूंकि 3244/2002 में 02 फरवरी 2007 को भारत के उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया। यह रूल क्या बना है? अब रूल देखिए कि कितना सुंदर बना है। मंत्री समूह ने दिनांक 05 अक्टूबर 2007 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि प्रसार भारती में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी फायदों सहित समझी गई प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे। मंत्री समूह ने दिनांक 26 सितंबर 2008 को अपनी बैठक में, अपनी सिफारिशों में उसको दोहराया है। कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान I pause here. I put a question to myself. कैसी समानता है कि आप पैदा होंगे तो टैंपेरी हैं और रिटायर होंगे तो भी टैंपेरी रहेंगे। यह कैसी समानता है? A Section Officer of the Central Government gets permanency straightway. और इनको जो रूल कर रहे हैं, जो कलाकारों के ऊपर हैं, उनको शत-प्रतिशत सिक्योरिटी है। अब देखिए कि इनका संशोधन क्या आया है। Kindly permit me to quote in English. It says:

“All officers and employees recruited for the purpose of Akashvani and Doordarshan before the appointed date and in service of the Corporation on the 1st day of April, 2000 shall be deemed to be on deputation with the Corporation with effect from 1st April, 2000 shall continue till the date of retirement.”

मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूँ कि It requires complete metamorphosis. हिंदी में कहा जाए कि इस एक्ट की कंपलीट ओवरहॉलिंग कीजिए। 38000 आदमियों के भाग्य से यह खेल

हो रहा है। इनकी सुविधाओं, सिक्योरिटी और टेन्योर की आप जब तक गारंटी नहीं देते तो फिर यह मत कहिए कि इनका जो प्रदर्शन है वह इनफीरियर है। Kindly refer to Section V. It says:

“All officers and employees recruited on 5th October, 2007 shall be governed by such conditions as prescribed in the guidelines.”

पूरा साइलेंस है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के विरुद्ध आया है। यहां तक कि जीओएम ने भी कहा कि साहब इसकी सब चीजों का ध्यान रखा जाये, लेकिन लगता है कि too many cooks will spoil the broth. लगता है जीओएम भी एक ज्वाइंट रिस्पॉसिबिलिटी में, जो ड्राफ्टर थे, उन्होंने कर दिया और अब आप देख लीजिये। कितना डिस्क्रीमिनेशन है, मैं आपकी इजाजत से जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट सर्कुलेट हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा संक्षेप में कहिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूँ। मंत्री समूह ने 16 अप्रैल 2010 को अपनी बैठक में भारतीय सूचना अधिकारी, इंडियन इन्फार्मेशन सर्विस, जो इनके बॉस हैं, केंद्रीय सचिवालय सेवा, जो सेंट्रल सर्विस वाले हैं, आईएस ग्रेड टू आकाशवाणी दूरदर्शन काडर के बाहर अन्य काडर कर्मचारियों की तरह उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। They have been protected. वे टिल रिटायरमेंट डेपुटेशन में नहीं रहेंगे, लेकिन जो कर्मचारी, जो कलाकार, जो जान लगा रहा है, सवरे से राउंड दी क्लॉक काम कर रहा है, वह टिल रिटायरमेंट टेंपरेरी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से और इनके ड्राफ्टर्स को कह रहा हूँ कि अभी देर नहीं हुयी है, इसका फिर अमेंडमेंट लाएं और इनको वहीं सर्विस में बहाल करें।

मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। इसमें पुनः एक अमेंडमेंट लाएं और इनकी सर्विस कंडीशन में इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लाएं, उनकी एफीसिएंसी इंट्रोड्यूस करें, एफीसिएंसी रिवाइड हो, डेफीसिएंसी में पनिशमेंट हो और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

महोदय, प्रसार भारती की स्थापना वर्ष 1997 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुयी थी, राजग सरकार के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुयी थी। इसके पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग-अलग संस्थायें थीं, किंतु राजग सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर इसे बनाया। यह वर्ष 1989 से लटका हुआ था।

महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें कुछ नयापन नहीं है। इसमें कार्य कर रहे अधिकारी, कर्मचारी की दशा एवं दिशा के बारे में कहा गया है। जब प्रसार भारती का गठन हुआ था तो इसमें कुल 33,657 कर्मचारी थे, जिसमें से 30,042 कर्मचारियों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से लाया गया था। प्रसार भारतीय अधिनियम 1990 में संशोधन की गुंजाइश धारा 11 के तहत प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए आप इस विधेयक को लाए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

इसके साथ ही जब अनियमितता का मामला उजागर हुआ, तब तत्कालीन निदेशक प्रसार भारतीय को कोर्ट के माध्यम से हटाया गया, यह भी एक विचारणीय विषय है। प्रसार भारतीय पर संसदीय समिति अभी तक नहीं बनायी गयी है। प्रसार भारती पर एक संसदीय समिति बनाना बहुत जरूरी है। इसका गठन करना बहुत ही जरूरी है।

महोदय, प्रसार भारती का गठन इसलिए किया गया था कि यह संस्था अपने दर्शकों को सही खबर, सही जानकारी दे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। जो निजी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को ज्यादा समाचार मिलते हैं और ज्यादा कुछ सुनने को मिलता है। प्रसार भारती जो हमारा दूरदर्शन है, यह किस डिफरेंट ढंग से काम करता है, उस पर लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का त्वरित प्रसारण हो सके, उस हिसाब से यह खरा नहीं उतरता है।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलीविजन आंकड़े जुटाने वाली एजेंसी (टैम) के 2010 के सर्वे के अनुसार प्रसार भारती की बाजार में हिस्सेदारी मात्र 1.2 परसेंट है, जबकि निजी चैनल्स जैसे कलर्स, स्टार न्यूज, जीटीवी आदि की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

महोदय, वर्ष 2008 में ही आउट सोर्सिंग करने की बात तत्कालीन महानिदेशक ने की थी, यदि उस समय यह कार्य भी कर लिया जाता तो इस संस्था की माली हालत यह नहीं होती, जो आज देखने को मिल रही है। वेतन तक देने की व्यवस्था नहीं है। 50-50 परसेंट, जैसा कि शैलेन्द्र कुमार जी बता रहे थे, पहले व्यवस्था थी, लेकिन सरकार 60 प्रतिशत तक का वेतन वहन कर रही है। वर्ष 2008-09 में इसका

राजस्व 737 करोड़ रुपये था, जबकि आपरेशनल कॉस्ट 1152 करोड़ रुपये थी, अर्थात् 400 करोड़ रुपये का घाटा प्रति बजटीय वर्ष में हो रहा है। इसका मूल कारण है कि बाज़ारीकरण के दौर में प्रसार भारती पिछड़ गया है जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है।

महोदय, यह भी हैरान करने की बात है कि 40000 कर्मचारी एवं 70000 करोड़ की परिसंपत्ति वाले प्रसार भारती का यह हाल है। यानी प्रबंधन व्यवस्था बहुत खराब हालत में है। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूँ और सभी पूर्ववक्ताओं ने भी इस बात पर ज़ोर डाला है। डीडी न्यूज़ जो कि प्रसार भारती का न्यूज़ चैनल है, उसमें 250 कर्मचारी अनुबंध पर कार्य करते हैं जिसमें एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन एवं अधिकारी भी हैं जो पिछले नौ-दस वर्षों से कार्यरत हैं तथा प्रसार भारती के कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन लोगों को किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलती है, बल्कि इसमें काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के लिए यदि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो इनके पारिश्रमिक से पैसा काट कर दिया जाता है।

महोदय, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। ऐसी ही स्थिति आकाशवाणी में भी है। वहाँ समाचार प्रभाग में बड़ी संख्या में चपरासी, स्टैनो, समाचार-वाचक, अनुवादक और अधिकारी अनुबंध पर काम करते हैं। इस पर सभी माननीय सदस्यों ने ज़ोर दिया है कि उन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में न्यूनतम मज़दूरी दर भी नहीं दी जा रही है जो एक गंभीर विषय है। इस संदर्भ में प्रसार भारती संशोधन विधेयक 2010 में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।

महोदय, विगत दिनों में डीडी न्यूज़ में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने जब काली पट्टी बाँधकर विरोध दर्ज कराया तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके हितों को ध्यान में रखकर 15 दिनों के अंदर आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मगर इसके विपरीत माननीय मंत्री जी ने जो भी इसमें काली पट्टी बाँधने वाले थे और जो भी काम करने वाले थे, इनको हटाकर नये कर्मचारियों की भर्ती करने का मन बना लिया जो कि आपत्तिजनक है। अतः माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे अनुबंध-कर्मियों को शीघ्र नियमित कर प्रसार भारती कर्मचारियों की तरह सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे इन लोगों को सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही, मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह नेपाल का बार्डरिंग एरिया है। हमारे यहाँ सुपौल, सहरसा में दूरदर्शन का केन्द्र 20-25 सालों से बना हुआ है लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं हो पाया है। वहीं बगल में नेपाल में भुरुखवा चैनल है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन हमारा दूरदर्शन तो 60 किलोमीटर तक भी कवर नहीं कर पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्रसार भारती बिल में संशोधन करके इसे पास किया जाए। यह

बहुत सराहनीय बिल मंत्री जी लाए हैं। इसमें जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी हैं जो प्रसार भारती में आए हैं, सबको संरक्षण देकर इस पर काम किया जाए।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Mr. Deputy-Speaker, thank you for allowing me to speak on this important Bill, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010.

As the House is aware, the Group of Ministers had made recommendations in order to settle the long-standing issues of the status of the employees working in Prasar Bharati and also to empower the Prasar Bharati with all disciplinary and supervisory powers and the control of the employees and the officers, including the power to transfer from one place, post, media to another.

Undoubtedly this is a long-pending issue concerning the employees and officers serving in Akashvani or Doordarshan. This issue was also related to their transfer to the Prasar Bharati, that is the Broadcasting Corporation of India. The whole issue emanated because when the Corporation was set up, the employees were not given the option under Section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 for transfer of their services to the Corporation.

Now, with this Bill, this lacuna would be set right and the employees would heave a sigh of relief as they would be entitled to transfer to the Corporation, which was not there till now. Hence, it is a welcome measure and a step in the right direction.

Another pertinent point I would like to emphasise is that the Group of Ministers which was constituted on 7th March, 2006 took a long period to submit its recommendations. Of course, there were appeals in the Supreme Court of India, which took a long time to decide the service-related issues of the employees of the Prasar Bharati. Better late than never.

This Bill was referred to the Standing Committee on Information and Technology on September 13, 2010 and the Committee submitted its report in a short period of two months.

With the passage of this Bill, Prasar Bharati would be having disciplinary and supervisory powers and as I mentioned earlier, it helps the officers and

employees serving in Akashwani and Doordarhsan to go on transfer to Prasar Bharati.

I endorse this step taken by the Government and fully support this Bill, which paves the way for the employees to go on transfer to Prasar Bharati from Akashwani and Doordarshan.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

Now, the Bill aims at amending Section 11 of the Prasar Bharati Act, 1990. As the Bill seeks to settle the long pending issue of the status of employees working in Prasar Bharati, I do support the provisions of the Bill. It should have been done earlier because the Supreme Court gave its verdict in 2007. The Government took four years to bring this Bill. However, it is welcome – better late than never. But I have some reservations also regarding the functioning of Prasar Bharati and the role of the Central Government as contained in the Bill.

Now, this Bill gives Prasar Bharati the disciplinary and supervisory powers. But the Central Government has the power to impose compulsory retirement or dismissal from service. I think the Government has in mind the Shunglu Committee Report on CWG-related financial irregularities allegedly committed by Prasar Bharati's top officers, particularly its CEO, B.S. Lalli, who is now under suspension. The Central Government's role must be there. But I have the apprehension that this may enable the Ruling Party to interfere in the functioning of the autonomous Corporation. I have an apprehension that both AIR and Doordarshan may be instrument and mouthpiece of the Ruling Party and Doordarshan may be termed as *Sarkar Darshan*. That must not be done. That must be stopped. So I suggest that for that, there be made 'Parliamentary Committee' and 'Broadcasting Council' because it is already there in the Bill and the Parliament has passed it which has not been implemented for the reason best known to the Government.

Now, in connection with settlement of status of Prasar Bharati employees, I would request the Government to give immediate recognition to the Union which has been withdrawn. Nine associations representing employees of AIR and Doordarshan were recognized as per the Central Government Rule, 1959. Most of these associations are functioning for the last forty or fifty years. All of a sudden, on 8th September, 2011, Prasar Bharati declared that no association is recognized

in Prasar Bharati. The Government's view is that they should fulfil the Department of Personnel and Training's criteria. But they have not been given the opportunity of hearing and pleading their case. Their views have not been heard. The withdrawal was done all of a sudden arbitrarily. This expresses the authoritarian attitude of the authority. This is not supportable. So, I would request the hon. Minister to recognize these nine associations which were mentioned in the order issued by D.G., A.I.R. dated 22nd February, 2010, and they all may be allowed to maintain its status as recognized association, by maintaining the validity of AIR Manual till completion of the recognition process by the Ministry of I&B so that employees will not be deprived of their democratic rights.

Now, in this case, I would also request that the promotional aspects of the employees should be also kept in mind. There should be no stagnation in their promotional benefit. The Standing Committee had made specific recommendation for that. At the same time, I would also like to point out that out of 48,173 sanctioned posts in AIR and Doordarshan, almost 12,000 posts are still vacant. If so many posts are vacant, how can Prasar Bharati function? So, the posts should be filled up on top priority. Reservation, Roster should also be maintained. Let there be no effort on the part of the Government to outsource broadcasting and telecasting works, particularly in the most sensitive areas of Jammu and Kashmir and the North-Eastern Region. The Authority must not engage employees on casual basis. No private operator should be engaged for its operation and maintenance.

Coming to the Prasar Bharati, I would like to say that we all admit the importance of the Public Service Broadcaster playing an important role in nation building, in strengthening democracy. It must disseminate the culture, the tradition and the heritage of our great nation, the essence of India *vis-a-vis* the private channels are now aimed at profit and they are functioning with commercial attitude. Sometimes, many of them in the name of entertainment, display vulgar scenes, display concocted facts and thereby mislead public opinion. So, I would

request the hon. Minister to look into the matter. Government must see that the provision of Programme Code and Advertisement Code in the existing law in Sections 6 and 7 and provision of punishment in case of violation in Section 16 should be implemented in true sense. The Prasar Bharati must be guided with two mottos – quality and credibility and the Board of Directors must exercise creative freedom. We need to remember that as on today, we have 336 All-India Radio Stations and 14,064 Doordarshan stations. The Doordarshan channels are available in every nook and corner to serve the people of this country for giving programmes. Sometimes, the focus is not on quality but commission! That must be stopped. We have to see that Prasar Bharati, particularly Doordarshan should reach all the spectrum of the society, particularly the younger generation. It must come to the breaking point in comparison to other channels in the case of its acceptability. The programme should be designed in such a way that it attracts all sections of people, but positively not at the cost of moral values and ethics. So, what is needed is the professional ability. Professional ability must be there with the management. Otherwise we can never be able to fulfil the motto of Prasar Bharati.

I am now coming to the financial viability of Prasar Bharati....
(*Interruptions*) The Standing Committee has made some specific recommendations. The Prasar Bharati, no doubt, must stand on its own feet. How can that be achieved without Government's support? The BBC has got the British Government's support and still it has been able to keep its independent role. In the case of Prasar Bharati, that must be done. The Group of Ministers has recommended that in the next five years from 2011-2012 to 2015-16, all salary, capital assets be met by the Government. The Prasar Bharati from its internal earnings shall meet operating and production expenses. Financial unviability creates insecurity among all the sections of employees, insecurity among all sections of the employees. So, the Government should come with positive steps

for making it viable and Prasar Bharati Management should play an effective role.
Let the Government see that there is no corruption that can cripple Prasar Bharati.

With these words, I am supporting the provisions of the Bill. I conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. While discussing the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011, we have all got together here to discuss about a Bill which has been a longstanding dream of freedom-loving and democratic people of India. Immediately after the Emergency, if my memory is not failing me, when Shri S. Jaipal Reddy was the Minister for Information and Broadcasting, who unfortunately now sits there, the concept and the dream of Prasar Bharati was started at that period and it culminated many years later, may be one-and-a-half or two decades later in 1997. The idea was that it would be the voice of the Government, but not necessarily the voice of the people of the Government. It would be the voice of the people; it would be the voice of India as Indians wanted to hear it.

Today, after nearly 14 years since its birth, the Corporation had its flags flying high by the simple fact that every single year it has successfully managed to run in a terrible state of affairs and has made tremendous financial losses with 12,000 vacancies and about 38,000 employees, out of whom, most of them are disgruntled today. The Corporation is now more or less running on an *ad-hoc* basis. Every one of us, whoever reads newspapers, would be aware of the drama that took place when the Board sat to decide on the posts of DG of AIR and Doordarshan. A list was prepared whereby a certain order was maintained. No specifications were given why that order was maintained; whether it was in an alphabetical order or whether it was in the order of merit. But the Board Members had signed. Then, again, a few days later, to be precise, on March 21, earlier this year in 2011, the same Members were asked to sign on another sheet of paper wherein the order of pecking had been slightly changed and one very brilliant - I am sure - IAS officer, who else could be more brilliant than the IAS, was pecked up – not picked up – and put in the first position, and people who have been with the Corporation and have technical qualification like Indian Broadcast Programme Officers of whom one of them was in the number one position, was pulled down to

the number two position. Till today, it is surprising, this amendment is primarily about the service conditions of employees there, who have been sent on deputation. We all understand that when you send people on deputation, they are unaware as to who their real bosses are and the commitment of the work would definitely suffer because there is no love for the post since there is no security in that post. This should not be misconstrued that I am saying or I am trying to say that Government officers in India today love their jobs, if they get the security. That is not unfortunately the case. But if you make an already insecure group of people who are opting for more power in sleep or awake, it is obvious that you have to give them some security or some sort of understanding, some sort of assurance that they are who they are and in that situation, it is necessary that the Government comes out clean with its intentions.

I remember reading in a newspaper on December 8, earlier this month, in the Rajya Sabha, the Minister of Information and Broadcasting had said that she had been meeting employees' associations and federation people very frequently but Sir, on personal interaction, I have come to know that no such meetings have ever been held.

The Grievances Redressal System of Prasar Bharati has completely become defunct. No meetings are held, no minutes are noted and, therefore, the employees feel that they have been completely cornered in a fight in which they probably do not matter but they are the preys of big people who are fighting for certain things which are incomprehensible to the common man.

Sir, you will be surprised to know that there are many instances, more than two instances, where after the Board meeting, more than three different versions of minutes have been distributed amongst the Board members.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Sir, will the hon. Member yield for a minute?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Yes.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member, while speaking, has accused me of misinforming the hon. Rajya Sabha. He has very categorically said that I stated in one intervention or in response to a question that I have been meeting the Employees Union frequently or from time to time. He has accused me of misinforming the Rajya Sabha because he has other information from private sources which says that I have never met any Employees' Union. I would like the hon. Member either to substantiate this charge or to withdraw his charge.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I, of course, have tremendous respect for the hon. Minister. I have no intentions of hurting her. But instead of me trying to prove a Government proceeding, would it not be proper for the Minister to present before you, Sir, at least two or three Minutes of her meetings with the Association and Federation which will completely prove that I am a liar? ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात भी रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(*Interruptions*) ... *

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You are in power. The records are with you. I am most willing to openly apologize in this House, I will not hesitate. I will give it in writing. But I would request the hon. Minister to be kind enough to all of us and send two or three Minutes of many meetings she has held with the Association or the Federation. ... (*Interruptions*) That is all I am asking. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, how many meetings have been held with the Association or the Federation? Let the record be placed on the Table of the House. ... (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : That is all. I am not challenging the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

* Not recorded

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, the burden lies on the Government, the burden of proof, the onus lies on the hon. Minister. The burden lies on the Minister to prove that I am a liar. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI AMBIKA SONI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am willing to go one step forward. Let the hon. Member withdraw his charge that I misinformed the House and I will supply to you, Sir, the occasions which are on record when I met the different unions of employees of the Prasar Bharati. Of course, no minutes are maintained. But I will give the dates to you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will give it in writing. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I will apologize in writing and I also go one step forward and I promise that whenever the Whistle Blower's Bill will come up for discussion, I will absent myself from the House and will skip lunch on that day.

15.00 hrs.

Sir, what I am trying to say is that it is a question of the employees of the Prasar Bharti. Let us give them the assurance, let us give them the security that they deserve instead of bringing it in such haphazard... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have taken more time than was allotted to you. Please take your seat now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, there were interruptions. There was intervening and interruptions, all these were there together, which took away most of my time. I will wind up right now by just thanking you for giving me this opportunity to put up the case of the employees of Prasar Bharti and by thanking you for having given me this opportunity that the voice of those unheard thousands of people who are victimized in the bull fight between two big powers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, we have seen the case of the former CEO of Prasar Bharti; how he took the Government for a ride; how the Government wants to regain power over Prasar Bharti.

So, Sir, I once again thank you from the core of my heart for what you have done for thousands of people who have not been able to express themselves succinctly and clearly. Now that their voice has been heard through me, I am sure this Government will give them justice and you will be the person who will get the credit for it.

15.03 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): I thank the Chair for giving me the opportunity to speak on the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011.

At a time when, the Government seeks to bring under the fold of the Corporation about 35,000 employees, the Government are expected to allay the fears in the minds of the employees about job security and service conditions and their future. There are good many of them languishing in the service of national broadcaster without any promotion or cadre review for more than 25 years and even 30 years. I urge upon the Government through the Hon. Minister to see that the 30,000 and odd employees of Prasar Bharati get justice and get the much-awaited promotions which is eluding them right from its inception and even more number of years. They are all concerned about their future when they are to become employees of the Corporation. They are apprehensive that their service conditions may become bad to worse. I urge upon the I&B Minister to see that their lurking fear is removed.

We find many of the stations of All India Radio and Doordharshan without heads of Stations. Many of them function without senior officers to run the affairs of such stations and centres. Only when promotions are given to the employees who are waiting for them for long, such vacant positions can be filled in many of the stations. There are many private channels of TV and radio services that give a tough competition to the Prasar Bharati. Only when the employees of the Corporation are given encouragement and incentives, you can ably meet the competition in this competitive era. I urge upon the Ministry to create a conducive

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

atmosphere so that the employees can bring the best out of them in a creative and innovative manner to meet the challenges of the times.

The employees of Prasar Bharati are being denied of their rights to form associations that can help them to negotiate for the redressal of their grievances. This ban must be lifted because it is against the principle of democracy which we have adopted. There is nothing wrong in allowing them to have their own democratic forums.

More than 11,000 posts are lying vacant and recently about 200 TV Centres were opened without even ensuring adequate manpower. Want of hands is the order of the day leading to chaotic disorder. I wonder, how these centres can produce quality programmes without appointing needed staff there. Both the audio medium and the visual medium that is both the radio and TV must function autonomously. They must have free air and a sense of fulfilment that can be provided with right kind of encouragement.

The Media in the hands of the Government must give the public correct news and exact information without being doctored. I would like to ask the Minister as to why Doordarshan did not telecast the recently concluded T-20 match series. There is also a need to have caution to root out corruption in the commissioning of programmes. When private channels can offer interesting programmes appealing to people, I don't know why the Doordharshan cannot come out with matching programmes. I would like to ask of you, how can we allow ourselves to be seen like ones who are encouraging the private channels to become successful.

Urging upon the Ministry and the Prasar Bharati Corporation to ensure putting up quality programmes that can have mass appeal and to go in for rendering job security, due encouragement and right kind of incentives to all its employees, let me conclude.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir. This Bill amends the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 which established the Broadcasting Corporation, Prasar Bharati and defined its composition, functions and powers.

This Prasar Bharati Amendment Bill is basically related to the status of the employees and officers. The employees now are 38,000, if not less. The unions of different categories agitated across the country and they met several times the Minister. At that time, hon. P.R. Dasmunsi was the Minister. Several times, they had meetings with the erstwhile Minister and it was told to them that the EGOM has been constituted and they will discuss all the matters relating to the problem and they will resolve the problem. After a long waiting, now this Bill has come. But, Sir, my point is that there is an anomaly. Why such an anomaly is there?

The Bill amends the provisions to state that all posts in Akashvani and Doordarshan other than some specified posts shall be deemed to have been transferred to the Prasar Bharati with effect from 1st day of April, 2000. All employees and officers recruited in Akashvani or Doordarshan shall be on deemed deputation till their retirement if they are appointed before the 1st day of April, 2000. What is the harm done by them? Why would they be treated as employees on deputation till their retirement? Why is it so?

Even officers and employees recruited on 1st day of April, 2000 till the 5th day of October, 2007, shall be on deemed deputation to the Prasar Bharati. But, persons recruited after October 5, 2007 shall be officers and employees of Prasar Bharati and these officers and employees shall be entitled to receive the pay benefits as are received by the Central Government employees. Why is there such an anomaly? Why the same benefit cannot be enjoyed by all the categories whether they have been recruited before 1st April, 2000 or not? Those who were recruited earlier, they will not be treated as employees but those who were recruited later, they will be recognized as employees and they will get the same benefit as is enjoyed by the Central Government employees. This is my question.

Another point is this. There are particularly two Wings; one is the Civil Wing and another is the Technical Wing. There is an anomaly. The benefits which are being enjoyed by the technicians of the Technical Wing, the same benefits are not being enjoyed by the employees in the Civil Wing. This problem has been brought before the Government several times. But there is hardly any commitment, any provision or any say from the Government in this regard. So, I think, after a long interval you have come out with a Bill explaining the status of the employees. But, about their service conditions, about their job security, about the proper definition and removing all sorts of anomalies, all these things are very much required; otherwise it would be hazy and it will discriminate and divide the employees.

I hope the Government will think seriously over this matter. With these words, whatever I had to say, I have said.



SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you, for allowing me to participate in the debate concerning the Prasar Bharti.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members are analyzing the meaning of your name.

SHRI R. THAMARAISELVAN: Sir, my name is Thamaraiselvan. It will be called as lotus a rich man. Selven means rich and lotus is a name of a flower.

Sir, at the outset, I rise to support the Bill titled the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011 more particularly, in view of the fact that the Bill will settle the long standing issues of employees working in the Prasar Bharati. The amendments envisaged in the Bill are commendable. At the same time, I would like to make out certain points in this august House.

All of us are aware that the public service broadcaster plays a key role in the society, especially in a thriving democracy, but it must be a part of our civil society and independent from the Government. The public service broadcaster must be accountable directly to its owner that is the citizens of our country. It should be self-sufficient in all respects and must generate funds to function independently in a real sense though quality programmes.

When we talk about the strengthening of the Prasar Bharati that is the Broadcasting Corporation of India, I would like to mention here that the commitment of All India Radio to the rural audience dates back to more than 50 years. All stations of All-India Radio broadcasts Farm and Home Programmes to direct the rural audience. In fact, special programmes have been designed to cater to the day-to-day seasonal needs of the farming community. Broadcasting the latest technology and information for agricultural output is a continuous process of its Farm & Home Programme. These programmes are not only providing information about agriculture but also creating awareness about the ways and means to improve the quality of their lives and similarly in the area of education too. So, the present All-India Radio has been the part and parcel of nation's development.

Sir, in All-India Radio, the percentage of the women employees is very low which is about 25.4 per cent. This percentage should be increased. I think, the hon. Minister will look into it. There is also a fact that the manpower for the broadcast and telecast is very low and there is a need to enhance the manpower at all radio stations and television centres.

As other hon. MPs have spoken here, there is a shortfall of 12,000 employees as against the total required strength of 36,000 employees, which comes to around 33 per cent, these 12,000 backlog vacancies are to be filled-up only from SC, ST and OBC categories. These vacancies were remained unfilled for several decades. If we are not taking right steps to fill up these vacancies, they will keep on accumulating further. Therefore, the Government has to pay keen attention to fill up these vacancies.

The plight of temporary employees is also not known and they are not permanent so far. So, they should be made permanent. This is one of my special requests to the hon. Minister. Without sufficient manpower, no organisation or institution can function effectively.

Another area where the All-India Broadcasting Corporation should take care of is pertaining to staff training to engineering personnel. There is a need to go in for latest technology. Here, I would like to make a suggestion that there is a strong need to set-up a training centre in Chennai with a library to provide training to all sections of employees of Broadcasting Corporation.

Sir, there is also a demand from many States of the country to establish radio stations and television telecasting centres across the country. The rural people have no better access to the cable television network, and for them the All-India Radio and Doordarshan are the only medium for entertainment and sharing information as to what is going in the country and the world. Therefore, I request the Government to consider such requests from the State Governments favourably.

While I participate in the debate concerning the broadcasting, I would like to mention here some of the problems relating to my Constituency, Dharmapuri, in



Tamil Nadu. In 1993, a decision was taken to set up a radio station at Dharmapuri and that station came up in the year 2000 at the cost of Rs. 9 crore. The trial broadcast was conducted on the Independence Day of the year 2000. This trial broadcast continued till 2007; and thereafter, it was stopped due to lack of employees. However, owing to pressure from the people of my Constituency, this station was linked with the Chennai Rainbow FM Station. Now, the programme is being broadcast from 6 a.m. to 12 noon, only for six hours.

Sir, the people of my Constituency have been consistently demanding that this station at Dharmapuri be made a full-fledged radio station by appointing the required number of employees; and the programme be broadcast 24 hours a day from this station instead of six hours, rather than relaying it from or depending on Chennai Rainbow FM Station.

Therefore, I would request the hon. Minister to take necessary action to make the radio station at Dharmapuri a full-fledged station by appointing staff etc., and the programme be broadcast from 24 hours a day as is being done in respect of all other radio stations across the country.

At the end, Sir, I would like to say that our great culture, heritage and niceties of our pluralistic society should be the guiding factor for the Prasar Bharati in days to come.

With these words, I conclude and support this Bill.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, जो भी यहां कहा गया है, उसे रिपीट भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी मंत्री जी खुद संवेदनशील हैं, कई बातों पर वह सोचेंगी। मैं मानती हूँ कि यह एक छोटा बिल है, बहुत छोटी सोच अभी हमने की है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों के लिए हमने कुछ सोचा है। हम अभी डेपुटेशन की बात इस बिल के माध्य से कर रहे हैं। यह भी सोचना पड़ेगा कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण से, उनके हित में कितना निर्णय वास्तव में हम आगे लेंगे और उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं।

प्रसार भारती में हमने कोई कांडर तैयार नहीं किया है, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मंत्री जी बताएं। कोई रूल्स एंड रेग्युलेशंस पर इसमें काम नहीं हो रहा है। कई खाली जगह पड़ी हुई हैं। कोई 8000 कहता है तो कोई 12000 बताता है। रिक्त स्थान जितने भी हों, लेकिन उन्हें भरने की दृष्टि से हमने क्या प्रोग्रामिंग की है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगर प्रसार भारती को मजबूत बनाना है, तो जो उसका उद्देश्य था, उस दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं हमारे सामने स्पष्ट नहीं है।

कई बार ऐसा होता है कि एडहॉक पर रिक्रूटमेंट की जाती है, रिटायर्ड लोगों को ले लेते हैं। फिर एडहॉक पर रखा और इस तरह कार्यकाल बढ़ाते जाते हैं। प्रसार भारती से हमारी जो अपेक्षा है कि वह स्वतंत्र रूप से, उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम दूरदर्शन के जरिए या आकाशवाणी के जरिए प्रेषित करे, हमारी जो यह परिकल्पना है क्या उसके यह अनुरूप काम कर रहा है? हम जिन लोगों को एडहॉक पर लेते हैं, कहीं न कहीं उनमें हमारे-तुम्हारे की बात आती है और रिक्रूटमेंट वहीं तक सीमित हो जाता है। प्रसार भारती में नई भर्तियों को कितना चांस दिया गया, इसकी खोज करना भी आवश्यक है और इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

हम जब कर्मचारियों के लिए सोचते हैं कि नई नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास लेह-लद्दाख की लड़कियां आई थीं, जो वहां पर सालों-साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें स्थाई नहीं किया गया है। वे ऐसे काम कर रही हैं जैसे डेली वेजेज़ पर या मस्टर रोल पर लोग काम करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो हम क्या उम्मीद उनसे करेंगे और वे भी कितना नया सृजन कर पाएंगी और कितना आगे आपकी बात को बढ़ा पाएंगी, इसलिए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि हमारी माननीय मंत्री महोदया इस बारे में जरूर सोचेंगी कि एडहॉक की बात बंद हो जाए। जब हमने गुणवत्ता की बात की और हम कमेटियां भी बनाते हैं, नारायण मूर्ति कमेटी, शुंगलू समिति और हम कहते हैं कि ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स में विचाराधीन। अगर समितियों की राय हम लेते हैं जैसे वित्त पोषण की बात की गयी और बात सही है कि स्वतंत्र रूप से वित्त पोषण होना चाहिए। लेकिन



अगर हम चाहते हैं कि विषय वस्तु का भटकाव व्यापारिक जरूरतों के लिए नहीं हो तो कहीं न कहीं बजटरी सपोर्ट भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ कैसे उनका वित्त पोषण इससे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यह विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी इसके लिए क्या कर रही हैं यह भी बताएं ?

आज दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं? मैं वह बात भी नहीं करती हूँ जैसे कहा गया कि बाकी जो चैनल्स आते हैं उनकी क्या स्थिति है? एक ही वाक्य में मंत्री महोदया भी उसे समझती हैं कि ऐसा लगता है कि महिलाएं लम्बे-चौड़े आभूषण पहनकर एक दूसरे के खिलाफ षडयंत्र करती रहती हैं, क्या आज समाज की यही स्थिति है? इस पर माननीय मंत्री जी सोचें कि उस पर प्रतिबंध लगाएं या बाकी चैनल्स पर भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने वाला जो कुछ आ रहा है, उस पर प्रतिबंध तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन रेगुलराइज करने की बात तो हमें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम क्या दे रहे हैं? समाचारों की स्वतंत्रता और मैं यह मानती हूँ कि थोड़ा बहुत सरकारी उपयोग तो दूरदर्शन का होगा, थोड़े सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स, परियोजना बनाते हैं तो दूरदर्शन पर प्रसारित करना मैं गलत नहीं मानती हूँ। लेकिन साथ ही साथ समाचारों की स्वतंत्रता, कार्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता और कार्यक्रम क्वालिटी के बने। इसलिए मैंने कहा कि नयी प्रतिभाओं को चांस, कैडर बनाना और वहां के ऑफिसर्स को प्रमोशन अच्छे मिलें, वे स्वतंत्रता से काम करें और यह सब हमने करके दिखाया है।

आप कह सकते हैं कि उस समय तो केवल दूरदर्शन था। हम लोग याद करते हैं “हम लोग” सीरियल को, तमस, भारत एक खोज, चाणाक्य जैसे प्रोग्राम इन्हीं लोगों ने दिये हैं। कथा सागर को देखो, आज भी पुरातन बातें सभी याद कर रहे हैं और रामायण से समय को कफर्यू जैसा लग जाता था। वही कलाकार और ऑफिसर होंगे सोचने वाले लेकिन ऐसा क्यों हुआ, फिर आज क्यों नहीं वैसा हो पा रहा है। मैंने भी देखा है डीडी सहयाद्रि को मैं देखती रहती हूँ, अच्छा काम कर रहा है। लोग अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि दूरदर्शन कोई देखना ही नहीं चाहता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? कितनी स्वतंत्रता किस तरीके से दें, उसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। केवल कर्मचारियों को हम डीम्ड डैपुटेशन दें, केवल उनको कहें कि आपके ट्रांसफर करेंगे, इतने से नहीं चलेगा। उन्हें भी एक स्थिरता, प्रमोशन की बात होनी चाहिए और यह एडॉकिज्म समाप्त होना चाहिए। प्रसार भारती का स्वरूप अच्छा बनाने के लिए जैसे हम कहते हैं कि नंदन नीलेकनी को हमने यूआरडी कार्ड बनाने के लिए सब अधिकार सौंप दिये और हमने वह डिजीजन लिया। अगर सरकार को करना है तो सरकार ताकत के साथ करती है। क्या साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और समाज को दिशा देने वाला दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो और इन सब चीजों से हिंदुस्तान को संपन्न बनाने के लिए इतनी उदासीनता क्यों है? सीईओ की बात

होती है लेकिन क्यों नहीं हमें अच्छे लोग दिखते हैं, क्यों नहीं हम ताकत से निर्णय लेते हैं। हम इसका समर्थन तो करते हैं लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह एक छोटा बिल है, आप इससे भी और विस्तृत रूप से प्रसार भारती के लिए सोचें, क्योंकि आपमें क्षमता और संवेदनशीलता है। हमने विचार किया था कि प्रसार भारती एक स्वतंत्र और ताकतवर काम करने वाला साधन बने, उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से आप सोचें, इतना ही निवेदन है।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदय, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। वर्ष 1990 में प्रसार भारती बिल कानून बना था, उसके सैक्शन 18 (11) में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह बिल राज्यसभा से पास होने के बाद हमारे पास आया है। प्रसार भारती बनने से पहले और बाद में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को ले कर इस बिल में प्रावधान किया गया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वर्ष 1990 में जब यह बिल पास हुआ था, तब सोचा नहीं गया था कि ऐसी अड़चनें आ सकती हैं। प्रसार भारती बनने से पहले डीडी और एआईआर के जो कर्मचारी और अधिकारी थे, उन्हें प्रसार भारती का अंग बनाते समय उनकी सेवा शर्तों के साथ क्या होगा, यह नहीं सोचा गया था। प्रसार भारती बनने के बाद उसमें जो नए कर्मचारी और अधिकारी आएंगे, उनकी सेवा शर्तें और पहले जो कर्मचारी तथा अधिकारी थे उनकी सेवा शर्तों के बीच में कितनी समानता या असमानता होगी, तब यह सोचा नहीं गया था। इसे लागू करने के बाद कोर्ट का लम्बा मुकदमा चला। कई केसिस हुए। सरकार ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाए। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा के बाद उनकी तमाम सिफारिशों को लेते हुए ऐसी व्यवस्था की गई, जिससे मुझे लगता है कि डीडी और एआईआर के जो एम्प्लॉईज हैं, वे भी बुनियादी तौर पर संतुष्ट हैं कि इससे कहीं न कहीं उनके अधिकारों की रक्षा होती है।

मैं मंत्री जी के समक्ष बुनियादी सवाल रखना चाहूंगा कि प्रसार भारती की आज की उपयोगित, प्रसार भारती का महत्व, प्रसार भारती का काम काज। प्रसार भारती के अंदर क्या हो रहा है और प्रसार भारती के काम काज का असर देश पर क्या हो रहा है। आज जैसे लोकपाल के लिए पूरे देश में जन आंदोलन चल रहा है, लोग बहुत जागरूक हैं, उसी तरह से प्रसार भारती कानून लाएंगे, यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न बनाया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जनता पार्टी की सरकार के समय तब पहली बार वर्ष 1977 में यह बिल इंट्रोड्यूस किया था। उस समय 1990 में पुनः यह बिल लाया गया और इसे कानून बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1997 में इसे व्यवस्था में लाया गया और प्रसार भारती की व्यवस्था स्थापित हुई। जब प्रसार भारती लाने की बात थी, उस समय बुनियादी बात यह थी कि दूरदर्शन या हमारे जो सरकारी माध्यम हैं, वे स्वतंत्र होने चाहिए, जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह तब बहुत महत्वपूर्ण था, जब इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। आज पांच सौ या साढ़े पांच सौ चैनल्स हमारे देश में हैं। पहले दूरदर्शन और रेडियो एक मात्र साधन समाचार सुनने के लिए या अन्य प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए। आज साढ़े पांच सौ चैनल्स की उपस्थिति में दूरदर्शन देखने

वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। रेडियो का भी यही हाल है। आज एफएम रेडियो गांव-गांव तक पहुंच गया है। शहरों के लिए इसे अनुमति दी गई थी, लेकिन अब हर कस्बे में यह चैनल चल रहा है। ऐसे में रेडियो और दूरदर्शन की स्वायत्ता को ले कर जो आंदोलन चलता था, आज मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं उठता है।

सभापति महोदय : मंगनी लाल जी, आप सभी वरिष्ठ सदस्य सामने बैठे हैं और आपकी बातों की आवाज यहां तक आ रही है।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : महोदय, आज प्रसार भारती के तहत कर्मचारियों की संख्या 40 हजार के आस पास है। लेकिन 10 से 12 हजार पद खाली पड़े हैं। वर्ष 1992 से ले कर आज तक प्रोग्रामिंग सैक्शन में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। हम मुंबई दूरदर्शन केंद्र के डायरेक्टर की बात बताते हैं, वह अकेला व्यक्ति इस समय छः जवाबदारी अपने सिर पर लेकर चल रहा है। वह मुंबई डीडी, एआईआर, गोवा, पुणे, दूरदर्शन के मार्केटिंग डिवीजन का इंचार्ज है, इसके साथ और भी कई जवाबदारियां हैं। दिल्ली में बड़े अधिकारियों में एक-एक अधिकारी पर चार-चार जवाबदारियां हैं। सबसे पहले निश्चित तौर पर वैकेंसी भरनी चाहिए। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं मानकर चल रहा हूं कि ब्राडकास्टिंग सैक्टर में नई क्रांति की वजह से अगर अच्छी प्रतिभाएं चलीं तो उसके हिसाब से वेतन भी देना होगा। शायद प्रसार भारती की अपनी एक मर्यादा है, उन मर्यादाओं को देखते और समझते हुए ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो, यह मेरा माननीय मंत्री जी के समक्ष निवेदन है।

मेरी जानकारी में एक बात आई है कि दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में कर्मचारियों और अधिकारियों की औसत उम्र 57 वर्ष है। दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी 40,000 रुपए की सैलेरी पर काम कर रहे हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिल रही है क्योंकि आपके पास लोग नहीं हैं। दूरदर्शन के डीडी भारती, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज आदि चैनल हैं, प्रसार भारती को अगर लेकर आना है, इन तमाम चैनलों को बड़े प्राइवेट चैनलों के मुकाबले खड़ा करना है तो हमारे पास खाली वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर एम्पलाई होने चाहिए, प्रतिभाशाली एम्पलाई की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए।

यह बात बार-बार निकलकर आती है कि मुख्य पदों पर अधिकारी आईएएस कैडर से क्यों आते हैं? एक जमाना था जब शशि कपूर और शिव शर्मा जैसे दूरदर्शन के डीजी हुआ करते थे तब उनका अपना एक योगदान दूरदर्शन को स्थापित करने और लोकप्रिय बनाने का था। आज आम तौर पर दूरदर्शन का डीजी आईएएस होता है, प्रसार भारती का सीईओ भी आईएएस होता है। क्या ब्राडकास्टिंग, इन्फार्मेशन और

दूरदर्शन के कैंडर से अच्छे प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं मिल सकते? पहले भी मिलते रहे हैं। अभी आल इंडिया रेडियो डीजी मेरे मित्र हैं, इसी कैंडर से हैं। लेकिन कई बार आल इंडिया रेडियो के डीजी आईएस हो जाते हैं। इस परंपरा को रोकने और खत्म करने की आवश्यकता है।

महोदय, प्रसार भारती के आने से पहले यह था पब्लिक ब्राडकास्टिंग संस्था होनी चाहिए और आज इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूरदर्शन के पास कमर्शियल टाइम चार या पांच घंटे है। हिंदुस्तान में 24 घंटे में 550 कमर्शियल चैनल चल रहे हैं और दूरदर्शन के पास मुश्किल से चार या पांच घंटे ही हैं। यह आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं, लेकिन आपको पब्लिक ब्राडकास्टिंग पर फोकस करना है, ध्यान देना है। आखिर देश में अच्छा क्या हो रहा है, इसे भी दिखाने की आवश्यकता है। सरकार की अच्छी और जनता के हित की योजनाएं क्या हैं, यह भी बताने की आवश्यकता है। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह भी बताने की आवश्यकता है और इसके लिए दूरदर्शन की एक भूमिका है। इसका निर्वाह दूरदर्शन कर रहा है लेकिन दूरदर्शन कमर्शियली अनवाएबल होता चला जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है इस समय 350-400 करोड़ रुपए का घाटा है। सारे एम्पलाईज की पूरी सैलैरी गवर्नमेंट फंडेड है। प्रसार भारती की अर्थव्यवस्था को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए, कैसे कमर्शियली वाएबल किया जाए, इस दिशा में सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। मुझे मालूम है कि सरकार की मजबूरी है कि जब एक बार प्रसार भारती कानून के जरिए स्वायत्त और स्वतंत्र प्रसार भारती बना दिया गया तो बात-बात पर मंत्रालय दखल नहीं दे सकता है। हम यह बात समझते हैं। इस बात को समझते हुए भी कहीं न कहीं प्रसार भारती को कमर्शियल वाएबल बनाने की जरूरत है। दूरदर्शन की आउटस्टैंडिंग अपने आप में दिलचस्प कहानी बताती है। दूरदर्शन का हिंदुस्तान के बड़े प्रोड्यूसर, एड एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी वालों के ऊपर 800 करोड़ रुपया बकाया है। कोर्ट में केस चल रहे हैं लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है इसकी वजह से भी दूरदर्शन को नुकसान है। आज वक्त का तकाजा यह है कि बदली हुई परिस्थिति में प्रसार भारती की पूरी भूमिका और तथाकथित स्वायत्तता, जिसके लिए वर्षों तक लड़ाई हुई है, अचानक उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, उसकी आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं मंत्री जी से इसलिए कहना चाहूंगा कि पूरे प्रसार भारती के कामकाज का रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए कि कैसे आज के वातावरण में तमाम चैनलों के साथ कदम से कदम मिलाकर दूरदर्शन चले, पूरी ताकत और शक्ति के साथ चले, अपनी निर्भरता के साथ चले। आपको यह व्यवस्था करने के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बोलिये। आपसे आग्रह है कि आप गिनती ठीक से कीजिएगा, आप एक नम्बर, दो नम्बर और तीन नम्बर में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम नम्बर के हिसाब से बोलेंगे। आपने अच्छा सुझाव और निदेश दिया है, मैं उसका पालन करूंगा।

महोदय, यह जो प्रसार भारती विधेयक आया है। इसके बारे में मैं संक्षेप में बताता हूँ कि जब हमारे देश में इमरजेन्सी लगी थी, आपको याद होगा, तब आप भी जेल में थे तो गांव-गांव में लोग कहते थे कि अपने देश का रेडियो मत सुनिये, बीबीसी असली बात बतायेगा, ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन को सुनिये। लेकिन जब राज बदला तो लोगों ने महसूस किया कि यहां भी बीबीसी की ख्याति जैसा एक ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए। अब चूंकि हिंदुस्तान है, हिन्दी यहां की राजभाषा है। फिर यह कहा गया कि इसका नाम क्या रहे तो उस समय के बड़े-बड़े दिमाग वाले लोग जुटे और उन्होंने कहा कि इसका नाम प्रसार भारती हो। हमारा बड़ा भारी सपना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संविधान हमें इजाजत देता है और यहां पत्रकारिता और मीडिया देश का चौथा स्तम्भ है। इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यह निश्चित हुआ कि यह स्वच्छंद रहे, आजाद रहे, अभिव्यक्ति के मामले में स्वतंत्र रहे। इसलिए एक आटोनोमस ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन बने, जिसका नाम प्रसार भारती हो। यह बड़ा भारी सपना और लोगों की इच्छा थी कि देश में लोकतंत्र के मजबूतीकरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली एक ऐसी संस्था हो, जो निष्पक्ष ढंग से रचनात्मक बातों को इतने बड़े देश में प्रसारित करे और दुनिया में सभी बातों की जानकारी लोगों की दी जाए। लेकिन उसके बाद लोग बताते हैं कि 1977 में यह आया, लेकिन फिर खटाई में पड़ गया। उसके बाद यह 1990 में आया और 1997 में लागू हुआ। लेकिन 1997 में भी आधे मन से लागू हुआ और अभी भी यह आधे मन से ही लागू हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि कम्प्रिहेन्सिव विधेयक लाया जाए। फिर कम्प्रिहेन्सिव विधेयक क्यों नहीं आया?

मेरा दूसरा सवाल है कि इम्पलायीज को भी कुछ राहत होगी। लेकिन प्रसार भारती, दूरदर्शन या रेडियो में काम करने वाला जो स्टाफ मिलता है, वे अधिकारी और कर्मचारी कल्प रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। इनकी सेवा में सबसे बड़ी खराबी अनिश्चितता की है। जब निश्चित नहीं होगा कि हम इस सेवा में हैं तो काम में क्या मन लगेगा और क्या काम होगा। अभी कितना कम्पिटिशन हो गया है, कितने प्राइवेट चैनल्स हो गये हैं, फिर कैसे ये सरकारी कर्मचारी उसमें बराबरी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा में दबा सकते हैं। 36,675 कर्मचारियों में से 33040 कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं। यानी सब कुछ अनिश्चित है, वे कितनी बदली करेंगे, कितनी वापसी करेंगे, कितने लोगों को पैटर्नल डिपार्टमेंट में भेज देंगे, क्या काम होगा? इसलिए लोग बताते हैं कि विधेयक में संशोधन करने के लिए कुछ सुधारों का उपाय है। लेकिन प्रसार भारती में अभी भी सीईओ की पोस्ट खाली है। इसके अलावा 25 फीसदी पद खाली हैं। जब पद खाली रहेगा तो चाहे

कारपोरेशन को प्रसार भारती, विविध भारती या बीबीसी का नाम दे दिया जाए तो भी क्या काम होगा। अभी 25 फीसदी जगह खाली हैं। माननीय मंत्री जी बतायें कि 25 फीसदी जगह कब तक भरी जायेंगी? यदि नहीं भरेंगी तो आधे मन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी इन सबको हम जो कमजोर किये हुए हैं, ये लोग प्राइवेट चैनलों से कैसे कम्पिटीशन करेंगे। स्टाफ नहीं रहेगा, मेधावी लोगों का उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। जो कोई भी सरकारी सेवा में है, यदि उनका प्रमोशन नहीं होता है तो अधिकारी और कर्मचारी के लिए वह मृत्यु के समान है। प्रमोशन होते रहने से अच्छा काम होता है। प्रमोशन होते रहने से प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। आदमी यह सोचकर अच्छा काम करता है कि हमें प्रमोशन मिलेगा और यदि उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वह जान जायेगा कि हमें जिंदगी भर यही पड़े रहना है और बिना प्रमोशन के रिटायर होना है तो वह काम को इधर-उधर टहला देगा और क्या काम होगा। इसलिए सरकार यह बतायें कि उनकी सेवा-शर्तों में कब तक सुधार होगा? 36 हजार कर्मचारी और अधिकारी इधर से उधर, उसमें लिखा है कि बदली करने की पॉवर होनी चाहिए। अभी की सरकार को केवल बदली की पॉवर से संतुष्टि है। कितना अच्छा काम होगा क्योंकि निजी चैनलों से कंपीटीशन हो गया है और देश में समस्याएं बढ़ रही हैं। उसका समाधान करने की जरूरत है। गांवों-गांवों में सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें कैसे सुधार होगा? उनके प्रमोशन का एवजु खत्म नहीं हो यह कैसे होगा? यह सवाल नंबर तीन है। महोदय, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है।



सभापति महोदय : मेरा एक आग्रह सुन लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कितना भी भाषण हो कितना भी इंतजाम हो, पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो क्या काम होगा? भाषण केवल भूसे के समान होगा, भूसा फटक दिया और दाना निकलेगा नहीं इसी तरह से पैसे का सवाल है। स्थाई समिति ने कहा है कि जो उसका अपना आमद हो तो ठीक है नहीं तो सरकार भरपाई करे। आपने क्या प्रावधान किए हैं? यह सवाल नंबर चार है।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, मेरी बात तो सुन लीजिए कि यह नंबर कितने तक जाएगा। समय की कमी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, करने वाले लोगों का कितना बड़ा सपना था कि बीबीसी के कंटेस्ट में ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में प्रसार भारती कहेंगे वह आए। अब तो बीबीसी का भी बुरा हाल हो गया है। वहां भी कहते हैं कि हिंदी को बंद कीजिए। वह कितना लोकप्रिय था कि दुनिया के लोग उसको सुनते थे। प्रसार भारती में काम करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, यह सरकार को नहीं मालूम है। माननीय सदस्यों से लोग बराबर मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम लोगों का सबसे बुरा

हाल है। कौन उसको सुधारेगा? इसका सुधार करना देश हित में है। यह जनतंत्र की मजबूती के लिए है, संविधान सम्मत है। उसके लिए कोताही क्यों कर रहे हैं? बीबीसी की कितनी लोकप्रियता थी। क्या किसी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि बीबीसी लोकप्रिय है, इसको हिंदी सेवा जारी रखनी चाहिए। दुनिया भर में पहले नंबर पर चीन की भाषा बोलने वाले लोग हैं। हाल के सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग हैं। इसलिए बीबीसी में भी इसका ख्याल किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह दिन कब आएगा कि यूएनओ में भी हिंदी को शामिल किया जाएगा। स्पेनिश, चाइनीज़ जापानी आदि भाषा हैं लेकिन विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी नहीं है। इन सभी बातों का ख्याल करते हुए प्रसार भारती में सुधार किया जाए। उस तरह का सरकार को एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए, पर्याप्त फंड का इंतजाम करना चाहिए। उसमें एक से एक मेधावी लोग आर्यें, बढ़िया सेवा रहेगी तभी उसमें मेधावी लोग आर्येंगे। जब ऐसे उपाय होंगे, तभी लोग उसमें जायेंगे, इसलिए उनकी सेवा शर्तों को, उनके प्रमोशन की बात को और उसका संगठन दुरुस्त हो, हमारे दूरदर्शन और रेडियो का प्रसारण ठीक ढंग से हो। इन सब सवालों का मंत्री जी जवाब दें और तब बिल पास हो।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the chance to participate in the discussion on the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011. Many hon. Members have participated in the discussion on this Amendment Bill and raised the issues relating to its position, quality, integrity, etc. It is not a big or long Bill; it is a very short Bill. However, it has a great depth in terms of addressing the issue of quality. This Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2011, has been passed by Rajya Sabha, and today we are discussing it in our House, the Lok Sabha. The hon. Members have narrated issues pertaining to confidence, position, quality, and how the employees are being harassed every day.

Right from 1997, it has completed 14 years. We have seen how Doordarshan and All India Radio are functioning in our country and what the position of the private channels is, which are increasing day by day. While the private channels have achieved a lot, Doordarshan has not been able to do anything.

My humble submission is that this Bill should have provided for some essential rights and necessary infrastructure. Many hon. Members have ascribed the position of the employees, who are still temporary, to *ad hocism*. They have stated that their services have not been guaranteed which might impact aspects relating to their quality of service and other things. It has not been doing good work, and so the Government must improve the functioning of Doordarshan. It is obvious that they must reduce *ad hoc* appointments, reduce the number of employees who are retiring, and must make new appointments very soon which is not only good for the employees in terms of improving their ability, but also help in improving its performance. It is necessary that the quality of employees should be improved upon.

The Bill, as it seems, deals with 38,000 employees who are working in the Prasar Bharati, that is, Doordarshan and All India Radio, in an amalgamated manner right from 1997. Their performance should be improved.

Hon. Member, Dr. Raghuvansh Pratap Singh raised the issues in a seriatim. The points raised by him are very vivid and they are important, as far as this Bill is concerned. For the sake of the employees, people, and integrity of our nation, I hope the hon. Minister will look into all aspects pertaining to the improvement in the functioning of Prasar Bharati.

Having narrated this, I conclude my speech.



SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. The subject matter in this Bill is simple. As correctly pointed by my learned friends, it is a redressal of the long standing grievance. The employees who were recruited under Aakashwani and Doordarshan are now working under Prasar Bharati Corporation. In this context, I would like to point out one important thing. I wish to draw the attention of the Minister and the Government that the grievance redressal mechanism in this Prasar Bharati is very slow. I invite the kind attention of the Minister. The Minister is progressive minded and she is taking timely action on solving the problems. But there are lot of complaints and grievances pending for redressal. On salary structure anomalies, there is a committee and that committee is functioning very slowly. I request the hon. Minister to streamline that process. My learned friend was saying about derecognition of the unions/associations. On 8th September, 2011, Prasar Bharati issued a declaration on derecognition of the unions. Ours is a democratic country. We are proud to have such a democratic system in our country. I would like to ask the hon. Minister of the Government why should you delay in giving back their right? We have to give that right back because the healthy trade union movement and a healthy organization is essential for maintaining a good relation with employee and the employer.

Coming to the various other things and considering the time frame, I do not want to take much of the time. There are different schools of thought about the autonomy of the corporation, about such independent nature whether it is people's voice or whether it is nation's voice, one thing is sure that ours is having a very healthy tradition, a glorious tradition. Ours is a multiple society. We may give corporation status or autonomous status or independent thing, I agree with this. We do not have any kind of ideological adamancy but a country like ours must have the voice of the nation. Prasar Bharathi should keep it up. If we allow any kind of dilution for this basic principle, we will have to pay very big price to that. I hope that we will keep this thing in mind.

Coming to some other things, people were saying about channel war. True, that the Channel war is going on. We have witnessed that in this channel war, value of this country particularly ethics and morality is crushed under the steam roller of over-commercialisation. In this structure, Doordarshan and our AIR is not just a different channel. It is a corrective force. We have to give that respect to this corporation. Many people were saying about the entertainment. Other channels may play the role of entertainment but Doordarshan and AIR yesterday, today and tomorrow should not only be an entertainment channel, it should have entertainment plus education. That is the role of Doordarshan and our AIR. I hope that this thing will also be kept in mind.

I have one very important thing that is about FM Radio. Of course, we are not giving them the status of news reading but there are FM channels under the All India Radio. In All India Radio, Calicut, there is a demand that FM channel of AIR should be given the status of reading the news. I would request the hon. Minister to examine this very seriously. If there is any possibility -- I am of the opinion -- the news-reading facility for FM channel of the AIR should be given. I would request the hon. Minister to consider this aspect also.

With these few words, I conclude my speech.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, if the Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill 2011 which is being discussed today is passed, it will help the 36,675 employees of Doordarshan and All India Radio overcome their pitiable situation. After much deliberations the then Government had passed the Prasar Bharti Corporation Bill in Parliament in the year 1990. But unfortunately, it was put on the back burner for 7 long years. In 1997 the Government issued a notification and operationalised the law. Due to lack of transparency and over dependence on bureaucracy, the provisions of the Bill came as a shock and bane to the large number of employees of Prasar Bharti.

For the last 14 years, the employees association of Prasar Bharti have been suffering in the hands of bureaucrats. Their democratic rights have been curbed and their recognition has been dependent on the whims and fancies of the Government. Even today, 9 associations do not have any registration. All these issues have been elaborately dealt with in the report of the standing committee. There is uncertainty about the career prospects of the employees. Their Service Rules should immediately be put into force and Hon. Minister must look into these aspects. I hope that the present I & B Minister will address the issues in her reply and present a ray of hope for us.

In the end I just want to mention that the people of India no longer watch Doordarshan or listen to Akashvani. They prefer private TV and radio channels. There are more than 600 private media channels in our country. The 1200 Doordarshan kendras lack the required infrastructure. Most of the CEO posts are lying vacant. No one is there to effectively manage the Government media set up. There is also dearth of staff. I can cite an example. Sanctioned strength is 48,173 while vacant posts are 11,498. Therefore something must be done in this regard. People listen to BBC news and they prefer their

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

programmes which are more reliable. If we are able to run like the BBC then viewers might be interested in switching over to Doordarshan and AIR. Therefore, these two units must be made independent, transparent and revenue earnings must be increased. The programmes must also be made more educational, more attractive, more interesting. Only the achievements of the Government should not be highlighted, but other programmes of public importance should be aired. The views and opinions of private organizations, non-Government associations, public forums should be beamed to catch audience. The channels must be run professionally, first like British Broadcasting Corporation. Only then we will be able to bring back the attention of our people.

With these words, I thank you for allowing me to speak and conclude by supporting the said Bill.

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रसार भारती संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं यह मानता हूँ कि मंत्री जी यह जो बिल लेकर आए हैं, इससे एआईआर और दूरदर्शन में जो समस्याएँ हैं, उनका हल होने वाला नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ वर्ष 1990 में एक्ट बनाने के बाद वर्ष 1997 से इसे लागू किया गया था, उसके बाद कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया था कि आप प्रसार भारती में आ सकते हैं।

16.00 hrs.

लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने ऑप्शन दिए थे, उनके अन्दर इतनी जानकारी और कॉन्फिडेंस नहीं आयी थी। 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों ने इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। इस बीच प्रसार भारती ने कुछ रिक्लूटमेंट की हैं। अभी सरकार यह कानून ला रही है कि जब तक वे लोग नौकरी करेंगे तब तक deemed deputation रहेंगे। महोदय, कर्मचारी वर्ग से जितना हमारा संपर्क है, उसमें दो मत हैं। कोई लोग बोलता है कि सरकार ठीक कर रही है। जो पहले लटका हुआ मामला था, वह अब ठीक हो रहा है। दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारा राइट टू ऑप्शन था, वह छिन रहा है, इसलिए यह ठीक नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर और गहरे ढंग से चर्चा करे और यह फैसला लाए जिसमें सभी तरह के कर्मचारी संतुष्ट हो सके।

मेरा एक दूसरा सुझाव भी है। हम लोग मीडिया को फोर्थ एस्टेट मानते हैं। प्रसार भारती के अंदर जो ऑटोनोमी की बात आती है, मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, ज्यूडिशियरी, कैंग है, सरकार इसे एक कंस्टीट्यूशनल स्टेटस दे। ज्यादा लोग समझते हैं कि इन्हें जो बजट में रूपया मिलता है, ये सरकार देती है। इसीलिए प्रसार भारती को चाहे जितनी भी ऑटोनोमी मिले, पर उनका रिक्लूटमेंट, जो उनके प्रोग्राम तय करते हैं, सभी सरकार का मन रखकर के होता है। ऑटोनोमी का मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें सरकार तनखाह और रूपया जरूर देती है, पर उनमें जो प्रोग्राम तय होते हैं, उनमें स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन होनी चाहिए। प्रसार भारती के अन्दर फ्रीडम ऑफ इम्प्लॉई जरूर होना चाहिए।

प्रसार भारती निगम जो माना गया है, यह एक स्टेप है जो निजीकरण और व्यापारीकरण की तरफ है। हमको मॉडर्नाइजेशन जरूर चाहिए क्योंकि प्राइवेट चैनल से हमें कम्पीट करना है। हमको सही समय पर सही प्रोग्राम लाना चाहिए। जो vulgar एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वे सरकारी चैनल में कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमारा रिसोर्स कम है, यह दिखाकर इसके अन्दर आप पी.पी.पी., एफ.डी.आई. लाएंगे, यह हम लोग नहीं सहेंगे। यह हाउस इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रसार भारती में जो

12000 के ऊपर खाली पद हैं, उनको जरूर भरना चाहिए। जो एसोसिएशंस हैं, वे भी उदारीकरण, निजीकरण की पद्धति का एक सिलसिला है, जिसकी सरकार को कोई फ़िक्र नहीं है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह एक गणतांत्रिक देश है, जनतंत्र है, इसमें हमारे कर्मचारी वर्ग के यूनियन के साथ जरूर बैठना चाहिए। उनकी जो मांगें हैं, उन्हें जरूर हल करना चाहिए। इसी के साथ आपको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : तरुण मंडल जी, आपको मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत से हिन्दी बोली और अच्छी बोली। यह आपका पहला मौका है। श्री रामकिशुन जी, आपने तीन बार दो मिनट बोलने का ईशारा किया है तो जो वादा किया, वह निभाना पड़ेगा। आप केवल दो मिनट में बोलिए।

श्री रामकिशन (चन्दौली): माननीय सभापति जी, यह प्रसार भारती (संशोधन) विधेयक, 2011 है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।... (व्यवधान) प्रसार भारती में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो अच्छे एनाउंसर हैं, कृषि से भी संबंधित कई वैज्ञानिक हैं, जो कृषि पर अपने विचार किसानों की खेती के लिए देते हैं, आज स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति नहीं है। वे परमानेंट नहीं हैं। सरकार के इस निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रसार भारती का यह मतलब नहीं है। जो हमारे दूसरे प्राइवेट चैनल हैं, उनके कंपीटिशन में हमारी प्रसार भारती पूरी तरह से सक्षम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन कर्मचारियों का संरक्षण हो और उन्हें पहले स्थाई किया जाए। जो प्राइवेट चैनल हैं, उनके मुकाबले हम अपने प्रसार भारती को कैसे मजबूत करें, उसके लिए हमें काम करने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए।

दूसरा मेरा यह कहना है कि जो भोजपुरी में प्रसारण होता है, हमारे बहुत से भोजपुरी जानने वाले लोग हैं। प्राइवेट में महुआ चैनल है और भोजपुरी के जो प्रसारण के केन्द्र बनारस और गोरखपुर हैं, उन चैनलों पर अच्छे कलाकार इसलिए नहीं हैं, क्योंकि महुआ चैनल के कम्पीटिशन में हम नहीं कर पाते हैं। हमारी भोजपुरी की भाषा आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र से आते भी हैं। ऐसे कलाकार, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, उनका प्रदर्शन ठीक ढंग से हो। हमारे नागरिकों को उसकी सुविधा मिले, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रसार भारती को बेहतर और अच्छा बनाएं। उसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी एवं लोग हैं, उन्हें हम स्थाई करें। उनकी सर्विस को इतने अच्छे ढंग से करें ताकि वे हमारे इस प्रसार भारती में ठीक प्रकार से, स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती अम्बिका सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि ये एक बार अंडमान-निकोबार चले। अंडमान-निकोबार का एक पत्र मैंने आपको दिया था। अंडमान-निकोबार का एकमात्र द्वीपसमूह है, जो सूनामी का एरिया है। वहां दूरदर्शन की बहुत बुरी हालत है। सारे द्वीपों में आपका दूरदर्शन दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शन एकमात्र मीडिया हैं, लेकिन वहां आपकी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। उसका खम्भा गिर चुका है, वह खम्भा वहां नहीं लग रहा है।

अंडमान दूरदर्शन में आपके मंत्री महोदय दौरे पर गए थे। वहां केजुअल एनाउंसर का पोस्ट खाली पड़ा है। सब ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट में काम चल रहा है। इसलिए कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रसार भारती के नाम से, अंडमान-निकोबार डायरेक्ट आपके नेतृत्व में है, आप अंडमान-निकोबार के प्रसार भारती के प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री हैं। इसलिए अंडमान-निकोबार प्रसार भारती में कृपा करके जो पोस्ट खाली पड़ी है। आपके बगल में मंत्री जी बैठे हैं, वे वहां दौरा करके भी आए थे। वहां आज तक एक भी काम पूरा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की समस्या को देखते हुए आप कार्यवाही करें। जयहिन्द।

SHRIMATI AMBIKA SONI : Sir, my colleague, Shri Jatua would reply to this debate.

But before he replies, I seek your permission to lay on the Table of the House, the details of the number of times that I met in the last two and odd years, the different Associations of Prasar Bharati – though they are not recognized – in the form of delegations, along with the time, the date and the names of the people. This is in addition to the many meetings that I had individually met the individuals, who have had personal complaints. I may have met them, but we have not been able to have the details.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): प्रसार भारती बिल पर भारतीय भाषा में बोलें तो अच्छा रहेगा।... (व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं भारतीय भाषा में भी बोल सकती हूँ। यह तो मेरा रिकार्ड है, जो हम कुछ ही समय में निकाल पाए हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मंत्री, श्री चौधरी मोहन जतुआ और डॉ. एस. जगतरक्षकन भी हैं। हम लोगों ने आपस में जो काम बांटा था, प्रसार भारती के अलग-अलग श्रेणी के एम्प्लाइज़, हम लोगों ने अपने आप तीनों में काम बांटे थे। मेरे दोनों साथियों ने भी अनेकों बार एम्प्लाइज़ एसोसिएशन से बात की है। हाल ही में तकरीबन हर पोलिटीकल नेता और हर पार्टी के प्रतिनिधि ने मुझे एम्प्लाइज़ की तरफ से जो चिट्ठियां लिखीं, उनके सब मुद्दों को उठाते हुए मैंने बराबर बहुत कॉन्फ्रेंसिव डाक्युमेंट के तौर पर बना कर हरेक का जवाब दिया है। ताकि आपको पता चले कि हमारा मंत्रालय पिछले डेढ़ दो साल से कितना कुछ कर सका है। 14 साल का मामला दो साल में तो कोई जादू की छड़ी से कर नहीं सकता। अगर हमने वह रास्ता अपना लिया है और हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं और हमारी मंशा यह है कि जो जिस जगह पर जिस भी मंत्रालय में काम करे, अच्छी नीयत, अच्छी निष्ठा और ईमानदारी से काम करे तो काम भी अच्छा पूरा होता है। इस नीयत से हम काम कर रहे हैं।

मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वे जवाब दें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, सत्पथी जी, आप क्या संतुष्ट हुए?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I am not satisfied....
(*Interruptions*) On being furnished the Minutes which are verified with the signatures of the employees, I will submit to the Chair my sincere apologies.

MR. CHAIRMAN: It will be better.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Let her submit the Minutes.

SHRIMATI AMBIKA SONI: This is not a question of my submitting any Minutes. When people seek an appointment with a Minister the meeting is not minuted because then they would have to go and speak to the concerned officers for Minutes to be recorded on the issues which can be replied. It is an autonomous body and I have got all the dates. I have also got these documents written; who all were the officers present at all these meetings from the Secretary, to the CEO, to the Additional Secretary. All the concerned officers who have been present at the meeting are registered there. I am sorry, Sir, I require your justice....
(*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): मेरा एक ही पाइंट है, मैंने डिबेट को इनीशिएट किया है।... (ब्यवधान) जरा सुनिये।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I will give a written apology to the Chair....
(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister of State has to reply.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except the speech of the hon. Minister of State, will go on record.

(*Interruptions*) ... *

* Not recorded

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA): Kindly allow me to reply.... (*Interruptions*) Sir, in all 19 Members participated in today's discussion.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is replying.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is not good in principle.

... (*Interruptions*)

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Kindly allow me to complete my reply and if there is anything left you can seek clarifications.

MR. CHAIRMAN: It is all right.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, in all 19 Members took part in this discussion on the Prasar Bharati (Amendment) Bill, 2011, which will be a part of the Prasar Bharati Act, 1990. Most of the speakers expressed their anxiety, feelings and sentiments to see that the Prasar Bharati functions as a full-fledged helping unit for the people. It is an autonomous body but as we all know though the Act was passed in 1990 it was actually allowed to work in 1997 only. In that way, the baby is hardly 14 years old.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): It is a minor.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Yes, it is a minor. So, it might have a lot of problems.

MR. CHAIRMAN: Shri Singh is a lawyer.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Very correctly, hon. Members brought all these aspects to the attention of the House. As we all know, this Bill has already been passed by the Rajya Sabha and is being discussed by the Lok Sabha today. If the House passes it then it will take the shape of an Act.



This is practically only one step forward towards making the Prasar Bharati a self-sufficient autonomous body. I have heard the statements of 19 hon. Members. I have summarized a reply. This discussion took more than about two and a half hours. I will not take more than five minutes to complete my reply, which I have prepared. If you kindly allow me, Sir, I will read out the reply. If anything is left out, I will definitely reply separately.

Sir, I am grateful to the Hon'ble Members for their active participation. I have taken careful note of the issues and concerns raised by them. These issues fall in two broad categories: the first is staff related issues and the second is general issues concerning the functioning of Prasar Bharati, Doordarshan and All India Radio.

I would like to clarify that the case of Prasar Bharati is somewhat unique and has been complicated due to uncertainty over the years. As I mentioned earlier, it has taken 14 years for the Prasar Bharati Board to even prepare a draft proposal for Recruitment Rules for Prasar Bharati employees and for setting up of Recruitment Boards. From the Ministry, we have immediately processed these proposals - that is, in respect of formation of the Board as also the Rules - and they are currently in inter-Ministerial consultation with Department of Personnel and Training (DoPT) and Department of Expenditure.

We are hopeful that with their approval, Prasar Bharati will at least become independent to conduct its own recruitment, thus solving a long standing need of this organization. This will enable optimum utilization of valuable infrastructure that continues to be created as Prasar Bharati reach is strengthened and improved all over the country.

Some hon. Members have expressed agitation and concern over matters relating to employees' organizations in Prasar Bharati. It is important to set the record straight. The Prasar Bharati employees, as on date, are governed by Government rules. In the case of formation of Associations and their recognition, DoPT Rules of 1993 apply. These prescribed well laid out procedures and

conditions for Associations' recognition. As within Prasar Bharati, the formalities, in this regard were not done before the notified date in 1997. There are no recognized Associations in existence in Prasar Bharati at the moment. The matter has been raised by some employee bodies and even by some Members of Parliament. Upon instruction of our Ministry, the process for recognition of representative bodies of employees has been initiated in Prasar Bharati and we are hopeful that all those employees who are desirous of being represented by a recognized Association will be able to join any group of their choice.

Further, it is a fact that the huge vacancy position in Prasar Bharati, as I mentioned before, of almost 33% of its sanctioned strength, has affected its performance. The Government is concerned that this position needs to be rectified. The GoM on Prasar Bharati has recently recommended immediate filling up of 3452 essential posts in Prasar Bharati. A proposal, in this regard, has already been submitted to Department of Expenditure and DoPT and is being vigorously pursued by the Ministry.

Once again, we are hopeful that with this induction of trained manpower, an immediate consequent improvement in Prasar Bharati services will become visible. I am sure, this will be of great satisfaction for all of us present here and the country.

In the recent past, Prasar Bharati has been in the news for some wrong reasons also. As the hon. members are aware, and this is not a closely guarded secret, there were systemic problems in Prasar Bharati. The Prasar Bharati Board has undertaken many initiatives and I am sure, the future will show much greater improvement. On our part, we are delegating more administrative and financial authority on this organization to allow it greater freedom to operate. Hon. Members will note that even these amendments that I have placed before this august House today, will empower Prasar Bharati with greater powers of disciplinary and supervisory control on its officers and employees, powers of transfers, etc. If we want this organization to be autonomous, in concept as well as

in reality, we must empower them sufficiently. The proposed amendments may kindly be seen by this House in that light also.

The Government firmly believe that Prasar Bharati, as the national Public Service Broadcaster, has a role that no other organization, either private or public, can emulate or copy. On our part, the proposed amendments have been brought before this august House, completely free of any partisan or sectional interest. The sole driving motivation of these proposed amendments is to ultimately provide Prasar Bharati with the wherewithal to deliver what is required in terms of quality and output to the common man of this country.

Sir, the first speaker, hon. Shri Joshiji, actually mentioned a lot of points and they have been replied to by me.

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, let him ask first and then you can reply.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Sir, since I have started, please let me complete.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA: Among other things, Mr. Joshi asked why there is no CEO. I would just like to bring to the notice of the hon. Members here that CEO is not appointed by the Ministry of Information and Broadcasting. For the appointment of CEO, there is a Committee under the chairmanship of hon. Vice President of India and two other members are the Chairman, Press Council and a representative of the hon. President of India. So, these are the three very big heads who will decide when and how the CEO will be appointed. So, the Ministry has nothing to do on this issue.

Another Member from Andamans asked about Andamans. I had gone there once. There are a lot of employees who are just casual. I assure them that something will be done. Actually, all these matters have been taken care of. There are certain rules prescribed by the DoPT to take care of the employees. So, the DoPT rules are being followed and attempts are being made. In the meantime, I will remind the hon. Members that with the present steps that we have taken today, the status of the employees will be finalized. We are talking about the employees who are serving already. They will not be serving for the next 100 years or 200 years. They will be serving for another 10 years or 15 years only. But the Prasar Bharti is like a big banyan tree which will live for hundreds and hundreds of years.


So, the employees will be recruited as has been provided for in the rules. A Board has been formed by the Prasar Bharati; they have sent the proposal and rules to this effect has already been framed. They have sent it to the Ministry. We have completed our part of the job. It is now pending with DoPT... (*Interruptions*) Hon. Members, I am first time replying to the debate on this amendment Bill. I am sorry is there is any procedural mistake in my reply. We are trying our best to look into the matter and the issues will be addressed in keeping with the prescribed procedure laid down and also in accordance with the laws of the land. We have nothing personal... (*Interruptions*) My reply is not yet complete. Let my reply be complete and then if you have any queries and objections, you may express it... (*Interruptions*) Kindly help me to finish my reply. I am a new Minister and for the first time is replying to a debate and to the points raised by hon. Members and so I request you to cooperate with me and even teach me if I am wrong in my submission because I do not mind learning things. Ramakrishna Paramhans said, "I live to learn and as long as I live, I learn". I am willing to learn here but kindly allow me to complete my reply and then I would try and respond to your queries, if any.

Sir, the Bill has a very limited scope. It is regarding the status of employees of Prasar Bharati. This was not finalized and was causing agitation in the minds of the people for the last 13 years or so and finally taking into consideration the recommendations of the GoM and the Standing Committee this Bill was given shape and has been passed already by the Upper House a few days ago. The provisions of this Bill do not contain anything about the problems of Prasar Bharati. A comprehensive Bill on the functioning of Prasar Bharati would be placed before Parliament very soon and that would take into account the entire perspective of Prasar Bharati as to how it can be improved and how to make it acceptable to the people of India and also as to how to reach the nook and corner of the country and even extend its reach to outside India and how it should be able to compete with private channels and all. When that Bill comes before Parliament the hon. Members of the House in that case will find the opportunity to discuss in details.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister has given a comprehensive reply to the debate but since Shri Pralhad Joshi had initiated the debate, he may ask a question.

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, with due respect to the hon. Minister I would like to know from her as to how many times the JCM has been held by the CEO and other Ministers on record. There is a Joint Consultative Process and as far as I am concerned after 2009 no meeting of the JCP has been held once. It has been reported in the Press and I would be happy if you say that this information is wrong. But after outsourcing of DTH some associations had opposed and after that it has been discontinued. This is the allegation which has appeared in some sections of the Press. I asked about this but the hon. Minister has not responded to this query.

Secondly, regarding work and charge basis, they are regular employees. They have got all facilities of the Government. The Standing Committee has also recommended for it.

Thirdly, I had personally met you about a year back and requested for Programme Generating Centre at Dharwad of Karnataka. You had assured me that since  is the place of Dr. Bhimsen Joshi and Gangubai Hangal, in the Eleventh Plan, it will be done. It is pending since 1998. Please reply to these points. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

*(Interruptions) ...**

* Not recorded

SHRIMATI AMBIKA SONI : Sir, I want to make one point very clear. Hon. Member, Shri Joshi and some other hon. Members have also raised the issue about the recognition of the Union. I want to make a point clear which is on record. So, I am not misguiding the House at all. There are around 21 Associations of employees, or maybe a few more than that, working for Prasar Bharati in around 122 different categories. They have not been given recognition because they have not really applied under the extant rules issued by the DoPT from 1993-94. I have talked to my officials in the Ministry and told them that as soon as any of the Employees Union or Association want to register themselves as per the rules, they should be facilitated in this process.

The question of their recognition was also taken up by an hon. Member in the other House who is also the President of one of official Trade Unions of this country, the INTUC. I explained, alongwith all the officials, all the rules as they exist today. He understood the situation. For a Union to be recognized, there are certain formalities which have to be fulfilled by them whereas none of those formalities has been fulfilled over the last many years. But we are willing to recognize any Association as a Union any time the employees subscribe to the existing rules laid down by the DoPT.

The other point is about the Dharwad Programme Generation Centre. As my colleague has said, this is a very limited Bill. I would like to tell the hon. Member, Shri Vijay Bahadur Singh and other hon. Members also that it is not that we are keeping them on deputation and their future is in doldrums. This is exactly what the employees who are originally working for the Doordarshan and All India Radio in 1990 wanted when the Act came in. Those who came from 2000 to 2007 also wanted that they should be considered as deemed deputation. I have been on both the GoMs even when I was not the Minister for I&B. So, I am conscious of the differences in the points of view among all the Associations. We cannot, by one step, please everybody. I admit that this is a limited Bill. But this Bill will

regularize a large section of the employees and we are going to move forward from here.

Let me assure this House that some of the recruitment rules which were made in 2002 could not be implemented because there was resistance from within the Prasar Bharati employees. They were kept in abeyance. So, today, when we are going to make them deemed deputation till retirement, they will be sure of their future under the Government rules. There will be new recruitment as per the Prasar Bharati Board approved recruitment rules of March, 2011. As my colleague said, we are processing the matter extra fast with the concerned Ministries in the Government of India. I am confident about it.

I would like to specially answer to what Shrimati Sumitra Mahajan has raised. There is so much autonomy now. I have to request Prasar Bharati on it and I have no ego hazzle in this regard. I am willing and I have requested them. There used to be Advisory Committees at the district and State regional levels to guide the programming of Prasar Bharati. Over the past years they had usurped the rights themselves. I told them that you cannot clear the programmes and have the Committees to decide. The Committees will be made from public persons of great eminence who will be able to decide what types of programmes have been cleared, and whether they are being watched or not watched. Let me not compare the Prasar Bharati with the BBC. We went into it. The BBC charges a big fee from every television owner. In India we do not want to burden the owner of a small television set for giving the licences.

I would like to assure the hon. Members that the Ministry is very sensitive. We have the Minister of State for Finance here now. When the GoM sat, we have increased the quantum of money being given to the Prasar Bharati. It was decided in an earlier GoM to split the expenses 50:50. I realised that it may not be possible. The employees were very worried that if the money is not generated by the Prasar Bharati, how they will get their pay. All of us forced the GoM collectively to take a decision that the Government will underwrite the salary structure of every single

employee of the Prasar Bharati so that he does not have to worry from where his salary will come. So, we have taken care of the staff.

I would ask the hon. Members to please give us time. Probably, in the next Session, there will be a more comprehensive Bill on Prasar Bharati. मैं चाहूंगी की यह सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के ऊपर एक गंभीर और विस्तृत चर्चा हो। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो स्थिति थी, वह आज 2011 में बिल्कुल नहीं है और आज कॉमर्शियल चैनल्स का मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत कठिन है। हमें इस पर विस्तार से और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि प्रसार भारती इस सदन का ही प्रोडक्ट है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस लिमिटेड बिल को आप अपना समर्थन दीजिए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI CHOUDHURY MOHAN JATUA : I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

16.39 hrs.

REGULATION OF FACTOR (ASSIGNMENT OF RECEIVABLES) BILL, 2011

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No. 30, Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill, 2011.

Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, on behalf of my senior colleague, the hon. Minister of Finance, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move:

“That the Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provision for registration therefor and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivables and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

The Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill, 2011 was introduced in order to provide a comprehensive legal framework for factoring business. After its introduction in March, 2011, the Bill was referred to the Standing Committee on Finance. The Committee has recommended enactment of the Bill subject to some modifications and the Government has accepted all major recommendations of the Standing Committee on Finance including exempting sale of agricultural produce or activity of commission agents from the factoring business and grant of Stamp Duty exemption to the factoring transactions.

The Committee had also asked the Government to do wider consultations to ensure that there are no legal infirmities in the Bill. Accordingly, discussions with a law firm, legal experts, IBA and RBI were organized and based on the suggestions received some additional amendments have been suggested in the Bill basically to provide greater clarity on the role and responsibilities of the various parties to the assignment of receivables in a factoring contract.

It is expected that the proposed legislation will provide a comprehensive legislative framework for development of factoring business in India by determining the rights, liabilities and obligations of the parties involved.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

“That the Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provision for registration therefore and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivables and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति जी, सबसे पहले तो मैं यहां से बोलने की अनुमति आपसे चाहता हूं।

सभापति महोदय : अनुमति दी जाती है।

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Mr. Chairman, Sir, thank you very much. You have called me to speak on the Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill. The name now stands changed to 'the Factoring Regulation Act, 2011'. This change of name is also in the light of the recommendation of the Standing Committee headed by Shri Yashwant Sinha who said that the present name or the original name, 'Regulation of Factor Assignment' will create a confusion as if there already exists some kind of a legislation. This is an important Bill to the extent that the credit facilities to Micro, Small and Medium Enterprises will be easier for these units to get. ... (*Interruptions*) मैं हिन्दी जानता हूँ, लेकिन हिन्दी सारी बात नहीं कह सकता। आप कान में लगा लें, हिन्दी में सुनाई देने लगेगा। मुझसे ज्यादा अच्छी हिन्दी में आपको सुनाई देगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ।

Factoring as a business is the conversion of credit sales to cash sales. Therefore, firms especially the smaller ones which are starved for working capital, which find it difficult to access working capital, will find that factoring business will make their lives easier to a certain extent. But when we talk of the Micro, Small and Medium Enterprises, we are actually talking about a sector which contributes to 40 per cent of our exports and 45 per cent of our industrial production. But we treat this entire sector with great disdain. Therefore, my first submission to the hon. Minister is that when this Bill was being brought about did you think of consulting other Ministries to bring about a more holistic Bill in which the problems of the MSME industries as a whole was taken into account. I will come to the specifics of this Bill later and I will come to the specifics of MSME later, but before that I would like to say something about the state of the economy that we find ourselves in.

Shri Pranab Mukherjee is not here. But through you, I would like to tell him that, 'yes' we have not reached a stage when we need to eat lizards, but for how long we will continue to get our chickens is also not very well known to us.

I am not talking about myself. I may not need to eat at all! But the state of the economy is coming down by the minute. The Government seems to be completely unaware of what is happening. Except for the rising food inflation, the Government walked away with the kudos for having managed the global slow down in 2008 very well. We all complimented the Government for that. Thereafter, the Indian economy was firing on all engines. What happened? You could not get ideas of how to contain the food inflation. You got worried. The whole country was agitated. Thereafter, single-mindedly, you and the Reserve Bank of India went on raising the interest rates with the result that on the one hand you contracted the industrial output and on the other hand you completely finished the demand so that today you have negative rate of production coming. I mean this is amazing! So, our vibrant economy is being made to turn moribund. Who is responsible for this? Who is going to take this responsibility?

Before we come to the MSME sector, when you reply, please answer who is going to take the responsibility for turning a perfectly vibrant economy into an economy about which everybody is now worried as to what is going to happen tomorrow morning. Now, you see the effect that when the Reserve Bank takes certain measures, the rupee's slide refuses to stand it. Therefore, it is becoming a very serious matter.


I have heard the hon. Finance Minister who rued here many times that he could not carry on this huge subsidy bill himself. But may I ask you, Mr. Minister, who taught us to ride this tiger? Who taught us to ride the subsidy tiger? You taught us to ride the subsidy tiger. You cannot dismantle it because you will be devoured. But, rather than taming the tiger, you are making it more ferocious. We read in the newspapers of more profligate ideas of some Food Security Bill coming up. What is the Food Security Bill going to do? It sounds very nice when you say "we will give food grains to 66 per cent of Indians." But what happened to your NREGA? What has NREGA done to your rural economy? It has completely altered the whole rural economy's equilibrium. Why? I hope the hon. Minister is

hearing what I am saying. Why has the NREGA done this? It is because you could not identify the beneficiaries. You are going to be making the same mistakes. And, at a time when the economy is under stress, for the Cabinet to have cleared the Food Security Bill, what sort of a signal has it sent to the market? What happened to the rupee? What happened to the Stock Exchanges?

In the last Session, I was speaking on the Customs Validation Bill. I was criticising your method of collecting taxes. I really do not know whether this Government's method of collecting taxes is worse or its method of collecting votes is worse! I say this because your tax collecting method is devastating this country. Therefore, you must realise what you are doing. You are sitting in a responsible position. You must take into account the economic situation.

Factoring as a business, I have already said, is a long-felt need. I do not know why this Government took so long a time in bringing forward this legislation. Long ago, the Kalyanasundaram Committee met. Thereafter, many Committees were appointed. Thereafter, our Prime Minister's Task Force was appointed. Finally, it has come. Now, the problems here are that the MSME sector will not benefit from this. I will tell you why it will not benefit from this. Many a time when the discussion took place, Members would like to compare ourselves with China. Now, Mr. Minister, when a person wants to set up a small industry here, what is the first thing that he needs? He needs land and a factory building. If land and the factory building were to be set up in Purnea, which is my constituency, it would probably cost him Rs.50 lakh. If the same thing were to be done in Delhi, probably, it would cost him Rs.20 crore. So, where does this small entrepreneur get this kind of a money? Therefore, the first thing that he does is to go and borrow money for real estate and, thereafter, it is a downward slide for him because he gets caught in the interest trap and he is gone! My request to you is that instead of spending on useless subsidies which do not reach the intended people, if you would finance the State Governments to make for five years land banks and factories which they could give out on lease to the small and medium

entrepreneurs, you will see that there is a mushrooming in this sector. The figure of 40 per cent is there. I do not know if this figure is correct or not because most of our figures these days are wrong. I do not know if this figure is correct or not because most of these figures, these days, are wrong. But if this 40 per cent figure is correct, it will, somehow, suddenly mushroom and you can then begin to dream of one day catching up with China.

The other point that I would like to bring out here is that I am happy that you have exempted it, through amendment, from the Stamp Duty Act. You have changed the name which is  more germane to the Act. But I am extremely dissatisfied and unhappy that you have not accepted the Standing Committee's recommendation to put some kind of a cap on the kind of discount and the commission that the factoring companies will charge. You have said that you will leave it to the market competition. That was the reply that the Finance Ministry gave to the Standing Committee. But please understand that the level of negotiating power with a micro and a small industry is extremely limited and, therefore, it will be difficult for those people to negotiate a good rate with the factoring companies. So it will be in line with your thinking of supporting the MSMEs that coupled with the Reserve Bank's rates there should be a cap on the amount of commission and interest that the factoring companies charge.

The other thing which this Bill is completely silent on is that whether the factoring services to the MSMEs will be on a 'with recourse' or 'without recourse' basis because if it is 'with recourse' basis, then you are not helping the MSMEs. The reason is that if the debtor refuses to pay the factoring company, the factoring company will come with a sledge hammer at the door of the small enterprise and the small enterprise will not be able to resist that pressure. Therefore, as the Gupta Committee had recommended, the factoring services to the MSMEs must be on a 'without recourse' basis and that the risk of debt collection must lie with the factoring company and it must not go back to the original assignor because if it does, then there is a problem.

Then, this Bill says nothing about developing factoring companies to give the whole host of services that they can provide. For example, managing of receivables is a very major problem for small companies. If these factoring companies can manage the receivables, it would help the MSMEs. Very often, a small company owner is hoodwinked into supplying material to a seemingly large company and then he is running around for his money. Therefore, credit appraisal service, receivable managing service etc. are important services because if it were only financing, then this would again become just another financial arm just like a bank. So, if you really want the mushroom companies to flourish here and if you really want the MSMEs do better, you will have to tell the factoring companies of what to do.

The last thing that I would like to come to is this. I do not know whether it is in your notice that mafia is deeply involved in the factoring business all over the world. It is there especially in the United States of America and Italy and now recently even in the United Kingdom you have the mafia-controlled factoring business. The reason why mafia is involved in the debt collection business is that if the debtor refuses to pay, often you have strong arm tactics being employed by the factoring companies to recover the debt. You have seen this happening in India also. You would have heard stories of the bank having given loan for a car and if the car loan is not paid, the family is suddenly stopped on the road and the car is taken away. The same thing happens in the factoring business on a much larger scale.

The other problem, hon. Minister, is about the dirty money laundering. That day we had a very meaningful debate on the black money and the money stashed abroad. Now factoring is also used for dirty money laundering and there is evidence to this effect. So, it will be good if the Ministry could take note of this and see that this aspect is taken care of.

The last point perhaps that I would like to ask you is that there is a sudden spike – and I think the hon. Members would interested in hearing me. Bahamas is

a known tax haven. Though there is an explanation for this given later, which I will put to you, to the Bahamas the exports from India in 2005-06 were nine million dollars. In this year, it is 2,173 million dollars. About these figures, UNCTAD says that there is no evidence of Bahamas having exported. But there is a caveat to this and I will come to the caveat later.

There is a similar story with Mauritius, there is similar story with Bahrain, there is a similar story with British Virgin Islands, with Gibraltar, with Latvia and with Malta. Therefore, I am again warning you that opening up factoring business may lead to a further spike. This is nothing but your own money coming back. The ill-gotten money is stashed abroad because the heat on them is on, they are now bringing back their money.

The caveat on Bahamas is that Reliance Industries claims that in recent years the shipment of gasoline to Bahamas has gone up astronomically and that it is sending to Bahamas giant ships and from where this gasoline is sent to the North and South American markets. Now, this brings up, hon. Minister, a very fascinating economics for me because if Reliance can import the same crude that we are importing, refines it here, sends it via Bahamas to the North and South American countries and is still able to make money, then this must be some very startling economics which, at least, I have not been able to follow. Therefore, I would like that the hon. Minister makes note of this and he need not give me a response on this today, but I would certainly like to know from the hon. Minister as to what kind of economics is this.

Therefore, while supporting this Bill, as there is no question of opposing this Bill, I would like to just request the hon. Minister that the points that we have made may kindly be taken note of and wherever possible those amendments may be made.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं रेगुलेशन आफ फैक्टर बिल, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस देश में इससे पहले भी कई एक्ट बने हैं जैसे द इन्ड्रस्ट आन डिलेएड पेमेंट टू स्माल स्केल एंड एनसिलेरी इंडस्ट्री एक्ट, 1993 में बना था। माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 में बना था। इन दोनों के बावजूद आज भी माइक्रो, स्माल और मीडियम एंटरप्राइजिज के जो हालात हैं, वे हमसे छिपे हुए नहीं हैं। आज भी सबसे बड़ी समस्या डिले आफ पेमेंट की है। आरबीआई ने 1998 में स्टडी ग्रुप कल्याण सुंदरम जी की चेयरमैनशिप में बनाया था। इसमें फैक्टरिंग आर्गनाइजेशन के लिए थ्योरी, कांस्टीचुएशन, आर्गनाइजेशन सैटअप, स्कोप आफ एक्टिविटीज और अदर रिलेटिड मैथड के अध्ययन के संदर्भ में ग्रुप बनाया था। उस कमेटी ने यह पाया कि सबसे बड़ी समस्या वर्किंग कैपिटल की कमी और डिले आफ पेमेंट के कारण है। मीडियम, माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत है और वह स्किल डेवलपमेंट है, अच्छे स्किल के लोग आएँ। इसके साथ कर्ज भी है। आज इन दोनों समस्याओं से पूरी इंडस्ट्री जूझ रही है।

17.00 hrs.

सरकार ने 2022 तक बीस करोड़ स्किल डैवलपड कर्मियों का लक्ष्य रखा है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। एमएसई सैक्टर के अंदर लगभग 2.6 करोड़ यूनिट्स और लगभग छः करोड़ श्रमिक आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं और हमारे जीडीपी में लगभग आठ प्रतिशत इसका योगदान है। फैक्टरिंग हमारे यहां बहुत पुराना इंडस्ट्री है। हम लोग उसे आदत के रूप में जानते हैं। इस शब्द को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी कई मतभेद हुए थे, उस संदर्भ में कई सुझाव भी आये थे कि इस बिल का नाम क्या रखा जाए, जिससे कि आम हिंदुस्तानी इसे अच्छी तरह से समझ सके और उसे फैक्टरिंग के संदर्भ में लिया गया। यह एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, फाइनेन्शियल कंपनीज इसमें इनवोल्व हैं। लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई रेगुलेटर्स नहीं थे। चाहे बैंकिंग सैक्टर में हो या चाहे इंश्योरेंस सैक्टर हो, जहां भी रेगुलेटर्स हुए, इतिहास बताता है कि उन सब सैक्टर्स में काफी अच्छी उन्नति हुई है और उसका लाभ देश के सभी वर्गों को मिला है, जो उससे जुड़े हुए हैं। अगर इसके अंदर रेगुलेटर्स होंगे तो तीनों पक्षों में जो सेलर और बायर होगा और जो फैक्टर धन मुहैया करायेगा, चाहे डिस्काउंट के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो तो उसके लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वे सब आ जायेंगे। आज इस कानूनी फ्रेमवर्क में नहीं आने के कारण छोटे उद्यमियों और किसानों को कितनी दुविधा होती है, उनके हालात इसके गवाह हैं। आज दोनों सैक्टर्स की क्या दुर्दशा है, वह भी हम लोगों में से किसी से छिपी नहीं है। इस बिल में तीनों को जब लीगल प्रोटेक्शन होगा तो तीनों पक्षों के लिए यह एक अच्छी चीज होगी। आज अगर कोई भी

अपना ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो उसके लिए इसमें बहुत सख्त कानून बनाये गये हैं और पैनल्टी के क्लाजेज भी रखे गये हैं। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो पांच हजार रुपये प्रति ट्रांजैक्शन प्रति दिन की पैनल्टी का प्रोविजन है। अगर कोई भी इस रेगुलेटर्स का नियम तोड़ेगा तो पांच लाख रुपये तक का उस पर दंड होगा और प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये का प्रावधान है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरे काबिल मित्र ने डर्टी मनी और ब्लैक मनी की बात कही। इन सबके कारण ही हम लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अगर रेगुलेटर्स होंगे तो कहीं न कहीं इसमें कमी आयेगी। आज छोटे उद्यमी और किसान के पास मनी ही नहीं है, डर्टी मनी और ब्लैक मनी आज उन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हम लोगों का यह ध्येय होना चाहिए कि उन लोगों के पास साधन पहुंचाएं। हम छोटे उद्यमियों के पास साधन पहुंचायें और किसानों के पास साधन पहुंचाएं। मैं समझता हूँ कि इस बिल के माध्यम से किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

महोदय, हम लोगों ने बहुत किस्से और कहानियां सुनी हैं। उन आदतियों का किसानों के प्रति जो व्यवहार रहता था, हम लोग जो किसान परिवेश से आये हैं, उससे हम भी पीड़ित रहे हैं। क्योंकि आदती जो कुछ भी लिख लेता था, उसे मान्य माना जाता था। कहीं भी उसका लेखा-जोखा नहीं होता था। यदि यह बिल पास होगा तो जो भी आपस में उनके बीच एग्रीमेंट होगा, अगर वह रजिस्टर्ड होगा तो वह लेखा-जोखा उस किसान को मिलेगा, उद्यमी को मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा।

आज स्टाम्प ड्यूटी के संदर्भ में भी बात हुई, स्टैंडिंग कमेटी में भी यह बात उठी कि इसे स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया जाए। सिर्फ बैंकिंग सैक्टर के अंदर ही बैंक्स को ही स्टाम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट किया गया है। आज स्टैंडिंग कमेटी के अलावा हम सब लोगों की भी यह मांग है कि स्टाम्प ड्यूटी से उन्हें एग्जैम्प्ट किया जाए। सरकार ने आश्वस्त भी किया कि स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1989-90 के अंदर संशोधन करेंगे, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

17.04 hrs. (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

आज इस बिल में कमीशन और डिस्काउंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी उदय सिंह जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि कोई न कोई कैप उन छोटे उद्यमियों और काश्तकारों के लिए जरूर होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए एक प्रावधान बने कि कितना डिस्काउंट या परसेंटेज होना चाहिए। सरकार जरूर कहेगी कि आज फ्री इकोनोमी है, मार्केट और बैंकिंग सैक्टर के अंदर भी इंटरैस्ट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। लेकिन बैंकिंग सैक्टर के लिए प्रावधान रखे गये हैं। आज हम लोग छोटे उद्यमी और किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, इसलिए हमें उन लोगों को इस बिल में भी कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए।

उदय सिंह जी ने कई सवाल रखे थे, विशेषकर आज की आर्थिक स्थिति के लिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसी सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने भी हम सब को बताया कि इस आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से पूरे देश को बताया कि अगर यह पार्लियामेंट सुचारू ढंग से चलेगी तो इस देश के अंदर एक विश्वास बनेगा, डैमोक्रेसी में विश्वास बनेगा, पार्लियामेंट में विश्वास बनेगा तो सरकार में विश्वास बनेगा। संविधान सबसे बड़ा है, फिर पार्लियामेंट है और उसके बाद कोई सरकार है। आज हम लोग इस सरकार के अंदर हैं। कल भारत की जनता चाहेगी वह इस तरफ रहेगी। पर हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी यह रहती है कि हम लोग विश्वास कैसे पैदा करें। विश्वास पैदा करने का एक जरिया यह है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। आप इस इकनॉमी में यह योगदान दीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। फूड सिक्योरिटी के बिल के संदर्भ में बोला गया। उदय सिंह जी जिस इंसान को एक रोटी की भूख पता है, उसको मालूम है कि इस बिल से उसे क्या मिलेगा। नरेगा के लिए आपने बोला है। आप मेरे क्षेत्र बाड़मेर में चलिए, वहां हम लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। आज नरेगा के माध्यम से पचास हजार टांके बनाए गए हैं।

श्री उदय सिंह : मैं, इस सदन से गुजारिश करना चाहता हूँ जो सांसद यह सोचते हैं कि उनके यहां मनरेगा बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, कृपया वे हां कर दें।

MR. CHAIRMAN : You are not supposed to ask like that. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री हरीश चौधरी : सभापति महोदय, कोई भी इंसान कोई व्यवस्था संपूर्ण तरह से ठीक नहीं है। हर इंसान और व्यवस्था के अंदर कोई न कोई कमी जरूर रहती है। ईश्वर ने इंसान को बनाया, इस व्यवस्था को बनाया, इस समाज को बनाया, उसके अंदर भी सुख और दुख दोनों रखे हैं। आप तो ईश्वर को मानते हो।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please address the Chair. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री हरीश चौधरी : आज हम लोगों का प्रयास यह होना चाहिए कि वे कमियां दूर कैसे हों। नरेगा के माध्यम से उस गरीब को अपने गांव में मजदूरी के लिए सै-सवा सौ रूपये मिल रहे हैं उसकी कीमत वही जानता है। मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। हमारे यहां हजार-हजार एमएम बारिश नहीं होती है। वहां केवल सौ-दो सौ एमएम बारिश होती है और टांकों के अंदर पूरे साल के लिए पानी का संग्रह करते हैं। नरेगा से पचास हजार टांके बने हैं। इस नरेगा के माध्यम से हमें क्या चीज मिली है वह आप वहां आ कर देखें आपको अपने आप अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक-एक घड़ा पानी के लिए हम कितना तरसते थे और कितना संघर्ष रहता था। हम लोग लोग शायद वोट कलेक्टिंग मैथड के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग जिस पार्टी से आए हैं, उनका हर समय यह ध्येय रहा है कि राजनीति के माध्यम से गरीब की सेवा कैसे कर सकते हैं और सबको विश्वास में लेकर विकास कैसे कर सकते हैं। अविश्वास के साथ विकास की धारणा हम लोगों की कभी भी नहीं रही है। विश्वास पैदा करें और विश्वास के साथ सब को साथ में लेकर विकास कैसे करें, यह हम लोगों की धारणा रही है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकारी विभाग और पीएसयू से सालाना बीस प्रतिशत खनिज की अनिवार्यता दी है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एससी और एसटी हैं, उनके लिए चार प्रतिशत का प्रावधान किया गया कि उनसे अनिवार्य खरीद करें। आज जो दलित लोग हैं, उनको विकास में कैसे भागीदार करें, यह हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। इस स्कीम से लगभग 35 हजार करोड़ रुपये उन लोगों को मिलेंगे। उस 35 हजार करोड़ के अंदर लगभग 7 हजार करोड़

* Not recorded

एससी/एसटी उद्यमी का भी होगा। आज के हालात के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक की जो ईएमआई है, सरकार ने उसको नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

श्री हरीश चौधरी : स्टेट बैंक के लिए 12.5 प्रतिशत मॅडेटरी रखा, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जेहन में एक सवाल है कि आज एफडीआई की बहुत चर्चा इस देश के अंदर हो रही है। यह एफडीआई स्कीम कंज्यूमर और किसान के हित में है या अहित में है, इसकी चर्चा हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं। आज वह किसान जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक रूपये किलो अपना आलू बेच रहा है और दिल्ली के अंदर उसी आलू का भाव दस रूपये किलो है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude, now.

श्री हरीश चौधरी : वही किसान जो पंजाब के अंदर भारती के माध्यम से करार करता है, उसे आज की तारीख में भी चार या पांच रूपये किलो का पैसा मिलता है। ऐसा क्यों है? आज हो यह रहा है कि उन किसानों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस विकास के अंदर किसान और मजदूर की क्या भागीदारी रहे और क्या यह विकास, जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं, किसान और मजदूर की भागीदारी के बिना इस विकास का क्या स्वरूप रहेगा? देश के अंदर 10 प्रतिशत अनाज और 30 प्रतिशत पैरीशिएबल आइटम, जो सब्जी, फल हैं, सप्लाई चेन न होने के कारण उसकी क्या स्थिति हो रही है। जब हम किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो महोदय, उन किसानों के लिए हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए। चाहे यह सही है या गलत है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा तो करें। आज हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि किसान और मजदूर की चर्चा तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों को हम नहीं देख रहे हैं। हमें उन पर भी गौर करना चाहिए। महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आदती विनियमन (प्राप्तियों का समनुदेशन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल में देखा गया है कि सरकार ने सूक्ष्म और लघु एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों, एमएसएमई के लिए नयी सार्वजनिक खरीद नीति को मंजूरी कर दी है। यहां तक कि यह फिक्स कर दिया गया है कि वस्तुओं, सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी विभागों और जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसमें पीएसयू की खरीद के लिए एमएसएमई को तरजीह देनी होगी। जहां तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अगर रूपरेखा देखें तो जो सरकारी आंकड़े हैं, उसमें 2.6 करोड़ है और जो हमारे ग्रामीण उद्यम हैं, वे 1.35 करोड़ हैं। उसमें महिला उद्यम 9 लाख हैं और रोजगार 5.95 लाख हैं। इसमें एक व्यवस्था की गयी है कि एससी, एसटी के लोगों को 4 प्रतिशत द्वारा चलायी गयी एमएसएमई के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि आज देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति भी बहुत दयनीय है और सच्चर कमेटी के अनुसार दलितों से बदतर पोजिशन अल्पसंख्यकों की बतायी गयी है। मैं चाहूंगा कि एससी, एसटी के लिए रखा है तो माइनोरिटी के लिए भी इसमें रखा जाये। देश में एक करोड़ एसएमई यूनिट हैं, जिनमें एक लाख करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : माइनोरिटी को रखा जाये तो ओबीसी का भी होना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ओबीसी के लिए आप मांग कर दीजियेगा। ओबीसी को भी रखा जाये, हम भी आपकी मांग को बल देंगे, हम भी चाहते हैं कि हो। देश में कुल निर्मित उत्पादों का अगर प्रतिशत देखें तो यह 45 प्रतिशत का योगदान करता है और देश के निर्यात में इसकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बावजूद भी पूंजी की कमी है और निर्यात के अलावा कई मोर्चों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश में चीन के बाजार से आये जो सस्ते उपकरण हैं, उसकी वजह से भी लघु एवं छोटे उद्योगों पर इसका अमूमन 50 प्रतिशत असर पड़ता है। आज बीस अरब डालर के व्यापार के घाटे की समस्या से ये छोटे उद्योग-धंधे जूझ रहे हैं। एक तरीके से इन्हें शुरू करने में पूंजी की बड़ी तंगी आती है, उससे इन्हें जूझना पड़ता है। बैंक भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को कर्ज देने से कतराते हैं। यहाँ तक कि धन और पूंजी की कमी की क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से न कर पाने के कारण इनकी क्षमता में भी वृद्धि नहीं होती। ये चलते हैं और बंद हो जाते हैं। अब तक के आँकड़े देखे जाएँ तो छोटे, लघु उद्योगों में बीमार इकाइयों की संख्या भी बढ़ गई है। इसका कारण 75 प्रतिशत धन की कमी को बताया गया है। निर्यात क्षेत्र में 40 प्रतिशत का जो अक्षम योगदान है, इसमें छः करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार एमएसई के लिए अलग कोष बनाए, यह हम आपके माध्यम से मांग करते हैं। 92 प्रतिशत इकाइयां

व्यक्तिगत या पारिवारिक बचत, या दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज़ लेकर शुरू की जाती हैं। इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ऋण की, विपणन की और लेबर की आती है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि इसके लिए एक कोष स्थापित करे ताकि इनको सबसिडी मिले और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले। अभी गुजरात सरकार ने शुरूआत की है 60 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर जिसमें तीन वर्षों में एमएसएमई के तहत तीन लाख रोज़गार देने की योजना है। 12 जनवरी से यह शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इसकी शुरूआत हर राज्य में करें ताकि वहाँ बेरोज़गारी की समस्या भी दूर हो सके और वहाँ लोगों को रोज़गार मिल सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, आपने मुझे रैगुलेशन ऑफ फैक्टर बिल 2011 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, आज सरकार लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग की एक नयी खरीद नीति के संबंध में यह विधेयक लाई है, जिसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विश्व इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है। हमारा देश भी इससे प्रभावित है। यह देश गाँवों में बिखरा हुआ है और गाँवों में चलने वाले जो उद्योग हैं, वे छोटे हैं, मध्यम हैं, लघु हैं और सूक्ष्म हैं। उनको विकास की ज़रूरत है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उन्हें ऋण प्रदान करने की ज़रूरत है। माननीय मंत्री जी ने इस बिल में कुछ संशोधन की बातें रखी हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मैं जापान की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूँगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान की स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक मंदी आ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई तो वहाँ की सरकार ने इन्हीं सूक्ष्म, लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों के माध्यम से देश को खड़ा कर लिया। आज वह देश विश्व के विकसित देशों में खड़ा है। महोदय, 2009 में एक नीति बनाई गई। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 लाख की सीमा के साथ फैक्ट्रिंग उद्यम, पूँजी क्रेडिट रेटिंग तथा एकल बहु प्रयोजन स्वरोज़गार क्रेडिट जैसे वित्त पोषण में नये उपाय शुरू किये जाने चाहिए। लेकिन वे शुरू नहीं हो पाए। वह अभी तक लंबित है। एमएसएमई में, जहाँ से 45 प्रतिशत तक निर्यात हो रहा है, देश में ढाई लाख से ज्यादा लोग लगे हैं जिसमें छः करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। यह गाँवों में फैला हुआ उद्योग है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जहाँ 75 प्रतिशत बीमार ईकाइयाँ धन की कमी की वजह से हैं, 92 प्रतिशत लघु, मध्यम और सूक्ष्म ईकाइयाँ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक माध्यमों से, रिश्तेदारों से या अन्य स्रोतों से ऋण लेकर अपने उद्योगों को चला रही हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लगे हुए हैं जो गाँवों में रहते हैं, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो बैंकों में जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में लगे हुए लोगों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। उनके जूते-चप्पल घिस जाते हैं और जो लोग बीच में होते हैं, वे किसी न किसी माध्यम से बैंकों से व्यवस्था बनाकर औने-पौने पर उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चीन की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा।



आज चीन ने अपनी व्यवस्था बढ़ा ली है। उसके बाजार बढ़ गए। उसके उत्पाद हमारे देश में आने लगे और सस्ते दर पर उनके उत्पादों की लोग खरीद करने लगे। इससे छोटे और मध्यम उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। कालीन, बुनकर और छोटे-मोटे उद्योग, जो देश में चल रहे हैं, जो आज बीमार हालत में हैं, जो बैंक से मिलने वाले ऋण के अभाव में निश्चित रूप से बंद करने की कगार पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन गरीब परिवारों को सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है। उन्हें ऊंची ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। जहां वैश्विक स्तर पर 4-5 प्रतिशत पर ऋण मिल रहा है, वहीं हमारे देश में 12, 13 और 15 परसेंट पर ऋण मिल रहा है।

महोदय, कालीन उद्योग, जहां से मैं आता हूँ, भदोही पूर्वांचल, जो दो हजार करोड़ से अधिक का निर्यात करता था, आज वह आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जिसे सब्सिडी मिलती थी। उन कम्पनियों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए। उन्हें खादी ग्राम उद्योग की तर्ज पर ऋण देना चाहिए। आज रुपए की कीमत बढ़-घट रही है। कर्ज उन उद्योगों का मर्ज बन चुका है। एमएसएमई को पांच प्रतिशत की व्यवस्था से ऋण देना चाहिए। उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए। उनके उत्पाद को बाजार मिलना चाहिए। आपने कहा कि एससी, एसटी के उत्पाद की चार-पांच परसेंट की खरीद की जाएगी, वह कम है। उनकी अधिक परसेंट में भी खरीद की जाए और उन उत्पादों को खरीद करने के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए ताकि सरकार की मंशा भी पूरी होगी, कमजोर और बीमार इकाइयां सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी और देश वैश्विक मंदी से मुक्ति पाएगा, महंगाई से मुक्ति पाएगा और सरकार की मंशा भी पूरी होगी।

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Thank you, Sir, for giving me permission to speak in this Bill.

While lending support to the Bill I would like to express and point out certain shortcomings of the Bill, which may kindly be noted and rectified.

The Bill seeks to regulate the business of factoring by providing a mechanism for assignment of factor and payment of consideration by the factor of to the industrial units.

The Bill provides for the regulation of the factoring business by the Reserve Bank of India. It empowers the Reserve Bank to issue direction, call for information from the factor, and prohibit financial institutions for undertaking the factoring business, if they fail to comply with its directions.

Under this Bill, assignees, that is, factors shall have an absolute right to secure due payment of the receivable from the debtor and may exercise all rights of the assignors for this purpose. Debtors shall have the right of notification of assignment.

In the Bill, factors are barred from disclosing personal information obtained from any assignor.

I do support some of the provisions as contained in the Bill. But, there are shortcomings which I would like to bring to the notice of the Government.

Firstly, the Bill does not include any provision on the amount of commission or discount charged by the factor. I am afraid that this may lead to unregulated pricing and will lead to exploitative practices and as such I suggest the guidelines of factor pricing may be issued by the Reserve Bank of India.

Secondly, I find that the clause 8 and clause 18 of the Bill are inconsistent. Clause 8 provides that the debtor is responsible to make payment to the assignee (factor) only after notice of assignment is served upon him by the assignor. Clause 18 provides that in case the assignor commits a breach of contract against the debtor, the debtor is not entitled to recover payments already made to the assignor or assignee (factor).

I feel that clause 18 does not mention the rights of the debtor and is thus inconsistent with clause 8, which determines the responsibilities of all parties.

Thirdly, clause 18 does not preclude the right of the debtor from claiming for any loss on account of defective goods or short supply from the assignor. This may please be taken care of.

Lastly, clause 32 of the bill states that the Government may make rules in respect of “form and manner in which transactions of non-banking financial company shall be filed”. I recommend that the phrase ‘non-banking financial company’ be changed to ‘factor’, since the definition of ‘factor’ includes other statutory companies as well.

With these words, I once again lend my support to some of the provisions of the Bill and express reservation on the shortcomings of the Bill.

Thank you.

MR. CHAIRMAN : We are going to take up this Bill tomorrow. Now we are going to take up 'Zero Hour' as we have to adjourn the House at 5.45 p.m.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-76 जो बुंदेलखण्ड का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस संबंध में आपने मुझे प्रश्न उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 76, प्रदेश के इलाहाबाद, विन्ध्याचल, चित्रकूट, खजुराहो आदि अनेकों धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को झांसी, ग्वालियर व राजस्थान से जोड़ता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यन्त ही जर्जर हो गई है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना हो रही है जिससे बुन्देलखण्ड की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

प्रदेश के इस सबसे पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के विकास हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज की घोषणा तो की जा चुकी है किन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत जैसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं किन्तु बुन्देलखण्ड के राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

अभी हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी द्वारा झांसी में बैठक बुलाई गई थी जिसमें मेरे एवं बुन्देलखण्ड के अन्य सांसदों द्वारा भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत एवं दोहरीकरण हेतु सुझाव दिए गए थे किन्तु अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सका है।

इस राजमार्ग की हालत इलाहाबाद से चित्रकूट, बांदा एवं महोबा तक अत्यन्त दयनीय है। जगह-जगह पुलिया क्षतिग्रस्त हैं एवं बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं, कहीं-कहीं तो सड़क एवं खेतों में अन्तर करना भी मुश्किल है। खेत और सड़क एक जैसे हो गए हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एन.एच.-76 के मरम्मत को तत्काल कराकर इसका दोहरीकरण किया जाए। धन्यवाद।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह अंग प्रदेश है, महाराजा कर्ण की राजधानी थी। महाभारतकालीन और रामायणकालीन अनेक अवशेष वहां मौजूद हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कुछ जगह जहां खुदाई नहीं हुई है, कौरव, पथरौल, पड़ैयाहाट एक ऐसी जगह है। विक्रमशिला का खुदाई स्थल मेरा गांव भी है जो भागलपुर जिले में है। देवघर, जहां से मैं आता हूँ, वह द्वादश ज्योतिर्लिंग का जगह है। वह शक्तिपीठ है। उसी तरह त्रिकूट पहाड़ है। बासुकीनाथ है, मंदार जिससे समुद्र मंथन हुआ था। चम्पापुरी, पारसनाथ है, जो कि जैनों का सबसे बड़ा केन्द्र है। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय है। बटेश्वरनाथ काशी की तरह महत्व की एक जगह है। मेरा आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एक

आग्रह है कि जहां-जहां खुदाई नहीं हुई है, वहां खुदाई की जाए। इसे पर्यटन के मानचित्र पर लाकर इसकी कनेक्टिविटी एयर, रोड और रेल से कैसे होगी और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में इस आवश्यक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि हज़ूर साहेब नांदेड़ देश का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। लाखों की तादाद में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में आते हैं। भारत सरकार ने गुरु-ते-गद्दी के कार्यक्रम के दौरान सिख श्रद्धालुओं को हज़ूर साहेब नांदेड़ में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए वर्ष 2006-07 के दौरान जेएनएनयूआरएम और बीएसयूबी सहित अन्य स्कीमों के तहत धनराशि आबंटित की थी। इसलिए ठेकेदारों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर खुलेआम दुरुपयोग किया। केन्द्र सरकार द्वारा अन्य स्कीमों के तहत दी जाने वाली राशि का भी यहां पर दुरुपयोग किया गया। मैंने कई बार सरकार से इस विषय पर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। नांदेड़ गुरु-ते-गद्दी गुरु गोविंद सिंह जी का एक स्थल है। वहां भारत और विदेशों से सब सिख समुदाय के लोग दर्शन के लिए आते हैं। तीन सौ साल गुरुनानक, गुरु गोविंद सिंह जी के वहां पूरे होने के बाद केन्द्र सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए की निधि नांदेड़ शहर के विकास के लिए दी थी। जब नांदेड़ शहर के अंदर सड़कें बनाईं, पांच करोड़ का काम, जब उसका टेंडर कॉल हुआ, उसका आर्डर देने के बाद काम करते-करते वह पांच करोड़ का काम रिवाइज्ड करते-करते 15 करोड़ का हो गया। ब्रिज का काम हुआ, वही काम ऐसे ही रिवाइज्ड करते-करते कम से कम दो हजार करोड़ रुपए का हो गया। वहां इतना खर्चा हुआ, दो हजार करोड़ में से कम से कम एक हजार करोड़ की निधि, ये जो कर्मचारी और वहां जो समिति है, ... (व्यवधान) इन्होंने वहां जो भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच की जाए। इसकी सीबीआई जांच की जाए, यह मैं मांग करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Shri Hansraj G. Ahir is also associating himself with this matter raised by Shri Wankhede.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise the issue of difficulties experienced by the nursing community in the country.

Of late we have been seeing the incidents of confrontation and atrocities, which have even reached larger scales, towards the nursing fraternity. This has promoted me to raise the issue before this august House.

Mr. Chairman, as you know, Kerala is the largest State which brings out nurses in the country. Nursing is considered as a respectable profession in the State. They can be seen even in the remotest hospitals of the country or almost in all the countries abroad. According to a study by the WHO, the country needs about 2.4 million nurses by 2012 to provide a nurse-patient ratio of one nurse per 500 patients.

However, now-a-days, as seen in the media reports, nurses are not being given due recognition and are often being deprived of their legal rights at their work-places and in the society.

Some of the issues related to nurses, which still remain to be tackled, are job insecurity, low pay and slow promotion in private sectors, lack of conducive work environment, harassment, increased risk of sexual harassment at the work-place and infrastructure facilities, including the bond system and compulsory deposit of their certificates in the private sector.

Sir, you would agree that all of us require the soothing comforts of a nurse, when hospitalized. However, we have not bothered to sooth their fears and discomforts.

Sir, to overcome these trying times faced by the nurses, I would like to request the hon. Minister, through you, that a national commission should be constituted to look into the matters of service conditions, pay-scale, security at work-place and the welfare of the nursing community. This commission should

also undertake detailed visits to various States and different kinds of hospitals, both in the Government sector and the private sector. The emphasis should be made on those working in the private sector.

MR. CHAIRMAN: Shri P.T. Thomas and Shri K.P. Dhanapalan are also associating themselves with this issue raised by Shri Raghavan.

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय सभापति जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

हमारे देश में 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। दिल्ली से हावड़ा तक 6 लेन बनाने का काम प्रस्तावित है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप 4 लेन को 6 लेन में बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जन-समुदाय को, आम आदमी को सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारे लोक सभा क्षेत्र इटावा में एक अनन्त राम टोल प्लाज़ा पड़ता है। वहां घण्टों जाम लगा रहता है, जबकि एक गाड़ी 30 सैकिण्ड में पार होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जहां अब टोल प्लाज़ा बनाया गया है, वहां कोई भी वी.आई.पी. लेन नहीं बनाई गई है। इसके अलावा जो 4 लेन बनाई गई, उसमें आये दिन तमाम एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जहां पर चौराहे थे, एक रोड दूसरी रोड को क्रॉस करती थी, वहां ओवरब्रिज भी नहीं बनाये गये, इतनी कमियां 4 लेन में की गईं।

अब वह हाईवे 6 लेन बनने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 6 लेन में ओवरब्रिज बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह टोल प्लाज़ा ठेके पर चलता है, लेकिन मैं समझता हूं कि परियोजना निदेशक कभी भी उसको चैक करने नहीं जाते हैं, जिससे ठेके की प्रथा में बहुत धांधली होती है और आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। पूरे 4 लेन की सड़कें टूट गई हैं, उनकी कोई मरम्मत नहीं होती है। यह जरूर है कि जब 4 लेन की व्यवस्था हुई, तब पूरे देश में टोल टैक्स लगाये गये। उस टोल टैक्स को रोका जाये, उसको माफ किया जाये।

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): माननीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस मुद्दे पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह मसला कई बार किसी न किसी रूप में उठा, लेकिन अभी भी इसका कोई सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को मिले, ऐसी कोई बात दिखती नहीं है।

देश के बहुत सारे उद्योगपति, जो कि स्वार्थी हैं और नियम और कानून को धता बताने की अक्ल रखते हैं। ऐसे व्यापारियों को गरीबों को सताने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन दुखद यह है कि कभी-कभी प्रदेश सरकार भी उसमें उनकी मदद कर देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण के

मामले में न केवल एक ...* की भूमिका निभाई, बल्कि एक ...* का भी समय-समय पर काम किया। जमीन का अधिग्रहण चाहे वह सड़क निर्माण के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, स्कूल आदि के लिए हो...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Unparliamentary words will not go on record.

... *(Interruptions)*

डॉ. संजय सिंह : रेलवे लाइन के लिए हो और विकास के लिए अगर हो, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे बिल्डरों को औने-पौने दाम में जमीन दिलाकर उद्योगपति उस जमीन से करोड़ों रुपया कमाये, ऐसा मौका देती है, यह बात जमती नहीं। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कानून है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please allow him to conclude.

... *(Interruptions)*

डॉ. संजय सिंह : हमारी बातें आप सुन लें। उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप जरूर कहें। मैं यह चाहता हूँ कि कई बार इस तरह से जमीनें खरीदी जाती हैं और करोड़ों रुपये उसमें कमाये जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी बता सकता है कि ये जमीनें बिल्डरों के लिए खरीद कर दी गईं। अगर उससे पैसे बनाने की बात बने तो यह बात जमती नहीं है।

मैं आपसे सदन के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस भूमि अधिग्रहण कानून को, जिसमें नियम बदलने की बात चल रही है, वह जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि इसमें सी.बी.आई. की जांच भी हो और बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी, जो पैसे बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

श्री दारा सिंह चौहान : मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात सैण्ट्रल गवर्नमेंट मान ले तो यह सारा मामला ठीक हो जायेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Next is Shri Jagdanand Singh. You have two minutes to speak as we are going to adjourn.

... *(Interruptions)*

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं बिहार प्रदेश के बक्सर नगर के बारे में आपके माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ।

* Not recorded

बक्सर के महत्व को मुझे इस रूप में आपके सामने रखना है कि विश्वामित्र के आश्रम में श्री भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया था। बक्सर राष्ट्र की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहां भगवान राम ने ज्ञान प्राप्त किया था और अयोध्या में राजकुमार बनने के बाद उनके भगवान बनने की क्रिया वहीं से शुरू हुई थी। आज बक्सर बिल्कुल अनाथ की तरह पड़ा हुआ है। विश्वामित्र का आश्रम, जितने प्राचीन हमारे स्थान हैं, बिहार सरकार की उदासीनता और भारत सरकार की लापरवाही के कारण, आर्कलॉजी और पर्यटन विभाग की दृष्टि में न होने के कारण नष्ट होते चले जा रहे हैं। गंगा के किनारे अवस्थित बक्सर पौराणिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां से ज्ञान प्राप्त कर भगवान राम ने लंका की विजय प्राप्त की थी। मैं बक्सर की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जितने पौराणिक काल के स्थान थे, लोगों की लापरवाही के कारण समाप्त होते जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि आर्कलॉजी डिपार्टमेंट (पुरातत्व विभाग), ऐसे स्थानों को संरक्षित करे और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बक्सर को विकसित करे। वहां लाइट एंड साउंड केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित था, जो लंबे समय से लापरवाही के कारण आज समाप्त हो गया है। उसका पुनर्स्थापन करे और पर्यटन की दृष्टि से हर तरह से बक्सर को विकसित करे, ताकि राष्ट्र का यह सांस्कृतिक केंद्र फिर अपने गौरव और वैभव को प्राप्त कर सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का तो महत्वपूर्ण केंद्र है ही, खेल की गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र है। मेरठ ने खेल के क्षेत्र में अलका तोमर कुश्ती में, प्रवीण कुमार क्रिकेट में, गुरुचांद सिंह बॉलीवाल में तथा हाल ही में एशिया कप जीतने वाली हाकी टीम के खिलाड़ी के रूप में विकास शर्मा जैसे खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन मेरठ के अंदर खेल के बुनियादी ढांचे की दशा बहुत खराब है। यह सरकार खेलों के आयोजन पर तो दिल खोलकर खर्चा करती है, मैं यहां कलमाड़ी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु खेलों पर इसका खर्चा बहुत कम है। मेरठ के स्टेडियम में जिन गद्दों पर कुश्ती का अभ्यास होता है, वे जगह-जगह से टूटे पड़े हैं, जिससे खिलाड़ियों के हाथ और पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। स्टेडियम में हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोर्टफ नहीं है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में खेल की बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करते हुए स्टेडियम में कुश्ती के लिए नये गद्दे बिछवाये जाएं तथा हाकी का अभ्यास करने के लिए एस्ट्रोर्टफ बिछाने की व्यवस्था की जाए

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, गंगा के मैदान में आर्सेनिक के असर के बारे में एसईएस के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर दीपांकर चक्रवर्ती के शोध के अनुसार गंगा के अंतिम छोर बंगाल की खाड़ी, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक पाया गया है। बेतहाशा दोहन व कुओं के समाप्त होने के कारण जमीन के भीतर जल में आर्सेनिक अर्थात् संखिया बहुत बढ़ गई है। बोरेवेल व हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं। शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार चक्रवर्ती ने हमारे संसदीय क्षेत्र बलिया में आर्सेनिक होने की पुष्टि की थी। उ. प्र. में बलिया सहित बरेली, खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बक्सर, भोजपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर जनपद पूर्ण प्रभावित हैं। पानी पीने से त्वचा, फेफड़ों, मूत्राशय, गुर्दे के कैंसर आदि बीमारी से लोग मर रहे हैं। हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में ही 3.5 लाख लोग बीमार हैं और असमय ही काल के गाल जा रहे हैं। खीरी में 165 गांव, बहराइच में 438 गांव, बरेली में 14, गोरखपुर में 45, गाजीपुर में 24, चंदौली में 19 गांव इससे प्रभावित हैं। हमारे बलिया के वैरिया ब्लाक में 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने बलिया में 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया है। बलिया के ग्राम बाबूरानी में 225, हासनगर पुरानी बस्ती में 400, उदवंत छपरा में 360, चोबे छपरा में 220, चैन छपरा में 500, राजपुर एकौना में 500, हरिहरपुर में 200, बहुआरा में 130, भोजपुर में 130, सुल्तानपुर में 140, चांदपुर में 140 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया गया।

महोदय मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें प्रभावी पहल करे और आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार इस जनपद के लोगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दे और वहां वैज्ञानिक भेजे, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 21st of December, 2011, at 11 a.m.

17.44 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, December 21, 2011/Agrahayana 30, 1933 (Saka).*

